खण्ड-309, अंक-2
बुधवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1896
(10 जुलाई, 1974 ई0)

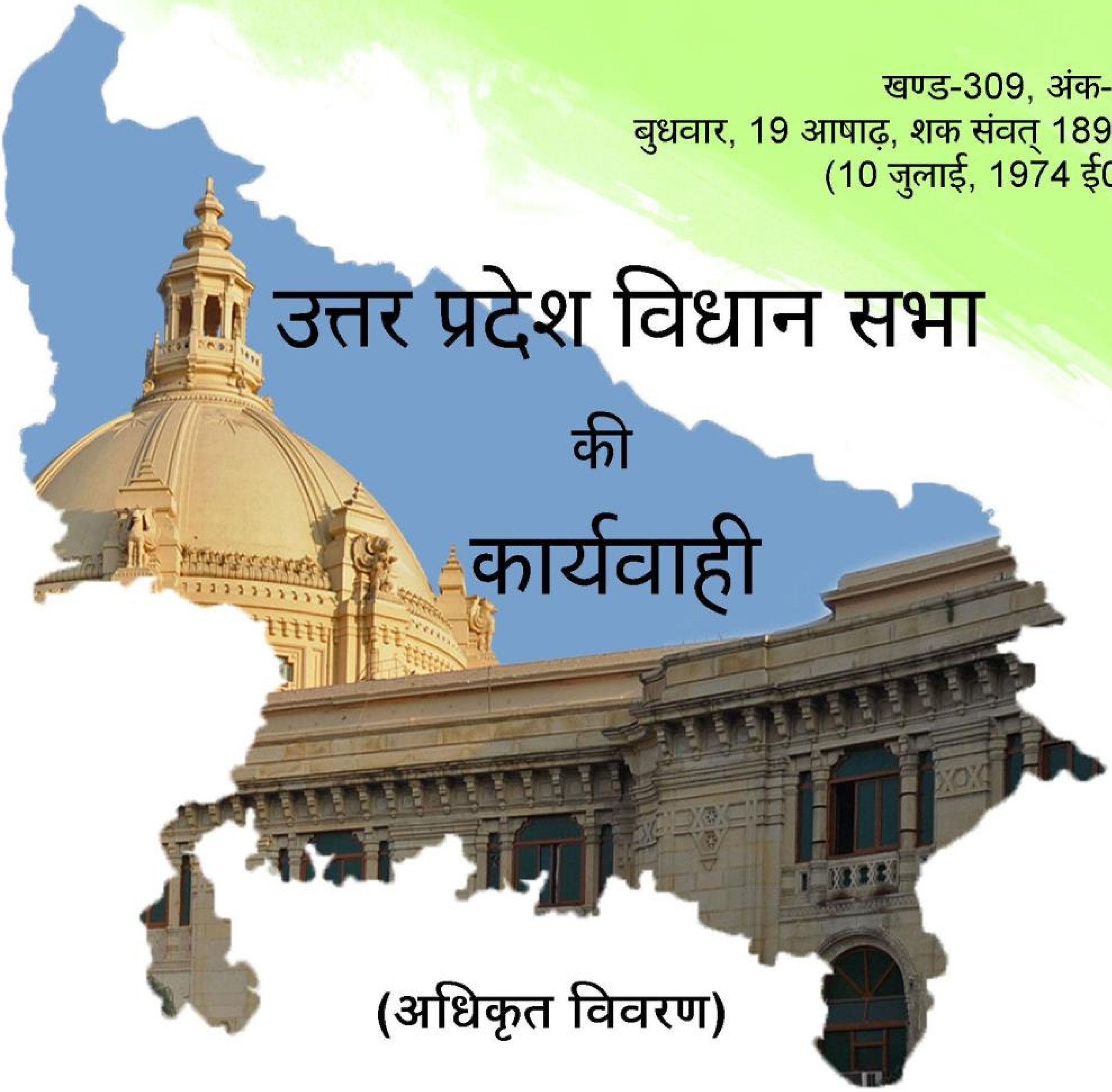

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 10 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—379

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊबल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री

गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा०
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दर्लासिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)

पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
जनाथ यादव, श्री
गवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीक़ी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)

रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राब मुश्ताक, श्री
द्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विमल प्रसाद, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री

शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरण लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन अन्सारी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सूखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

## सिंचाई मंत्री के सदन में समय से न आने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 1, माननीय सिंचाई मंत्री ।

(सिंचाई मंत्री के सदन में उपस्थित न रहने के कारण सदन में काफी शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

यह बड़े खेद की बात है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

खेद की बात तो है ही, आपसे एक अपील है कि सिंचाई मंत्री जी आयें तो उनकी खिंचाई होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

यह सदन का अपमान है । इसके लिये इनको आपकी ओर से प्रताड़ना दी जानी चाहिये ।

(सिंचाई मंत्री के आने पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

इनको बरखास्त करिये, यह बरखास्त करने लायक हैं ।

श्री अध्यक्ष—

(सिंचाई मंत्री से) आप विलम्ब से आये यह बड़े खेद की बात है। जिसका पहला सवाल हो उस मंत्री को समय से यहां उपस्थित रहना चाहिये। यह खेद की बात है।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

इसके लिये मैं माफी चाहता हूं। दूसरी फाइल यहां गलती से आ गई थी, वह रह गयी थी। इसीलिये मैं भाग कर गया और आया।

## प्रश्नोत्तर

## बुधवार, 10 जुलाई, 1974

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### गोरखपुर में राप्ती व गौरा से नदियों से कटाव को रोकने तथा गांवों को ऊंचा करने की योजना

*1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र मुन्डेरा बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत राप्ती व गौरा नदी के तटवर्ती ग्रामों आमारी, सहोडवा, चिहरी, मरकछा, सेपरौना, नौवा डुमरी, उघवलिया, जोगिया वसूही, जेराम कोल आदि के समीप प्रथम मानसून की बरसात से तीव्र कटाव होने लगा है, जिससे जनजीवन खतरे में पड़ गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल कटाव रोकने एवं गांवों को ऊंचा करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

जी नहीं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

इतने विलम्ब के बाद आ कर भी इतने महत्वपूर्ण सवाल को मंत्री जी, आपने "जी नहीं" में कह दिया जब कि इसी से संबंधित माननीय मंत्री जी को और इनके चीफ-इन-चीफ (ख.सुलखास) श्री सक्सेना जी को मैंने टेलीग्राम भी किया था आभारी गांव के विषय में, तो इतना होते हुये भी जब कि उसी दोआब का मैं निवासी हूं, यह बिल्कुल असत्य है, निराधार है और आफिस में बैठकर यह रिपोर्ट यहां आयी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस विषय में वह जानकारी करायेंगे कि तथ्य को क्यों दबा कर बताया गया है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसकी पोजीशन यह है कि जिन तमाम गांवों का नाम लिखा गया है उनमें अभी कोई कटाव नहीं हो रहा है जहां तक मेरी सूचना है। दूसरी बात यह है कि जहां तक गांवों के ऊंचा करने का सवाल है बाढ़ परिषद् ने यह तय कर दिया है कि ऊंचा करने की कोई योजना नहीं है। वैसे सर्वे वगैरह कराया जा रहा है और उसके बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि बाढ़ से पूर्व गांवों को ऊंचा करने का कार्य पूरा हो जायेगा और वहां ठोकरें लगाने का जो काम है वह भी हो जायेगा?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गोरखपुर जिले के मास्टर प्लान के अन्दर यह गांव शामिल हैं, बल्कि उसमें 100 गांव शामिल हैं। इस सम्बन्ध में योजना बन गयी है और जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, राप्ती और घाघरा नदियों से हर वर्ष इनके निकट के गांव में कटाव होता है, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे कराया है कि हर वर्ष इन नदियों से कौन-कौन से गांव कटते हैं? यदि हां, तो इस ओर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जहां तक इस तरह के गांव हैं उनका सर्वे कराने की कार्यवाही हो रही है और उसके लिये हम एक योजना भी बना रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मास्टर प्लान में कौन-कौन से गांव हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह सूचना इस समय नहीं है।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को वहां के अधिकारियों ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि इस समय राप्ती नदी आमारी ग्राम से कितनी दूर है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

अभी इन ग्रामों के पास नहीं आयी है। वह अभी काफी फासले पर है और अभी उसका स्तर भी नीचा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री ऊदल—

[8वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

## जिला परामर्शदात्री समिति (सिंचाई) वाराणसी द्वारा अनुमोदित नलकूप

*2—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सिंचाई विभाग की एडवाइजरी कमेटी ने सन् 1972–73 तथा 1973–74 में क्रमशः 75 तथा 139 नलकूपों की स्वीकृति प्रदान किया था ? यदि हां, तो अब तक कितने नलकूप लगाये गये और कितने बाकी हैं ? क्या चुनाव के बाद की बनी एडवाइजरी कमेटी के ऊपर कोई बाध्यता है कि उस कमेटी द्वारा स्वीकृत नलकूपों की संख्या को मान्यता दे, जो नहीं लग सके हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वित्तीय वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में जिला परामर्श दात्री समिति (सिंचाई) द्वारा जनपद वाराणसी में क्रमशः 103 तथा 173 नलकूपों का अनुमोदन किया गया था जिनमें से क्रमशः 89 तथा 81 नलकूप लगाये जा चुके हैं। शेष नलकूप अभी नहीं लगे हैं।

जी नहीं।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1972–73 तथा 1973–74 में जो नलकूप लगने से रह गये हैं वे किस कारण से नहीं लगे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

बात यह है कि वहां जिले के लिये जो एलाटमेंट किया गया वह कम था । कमेटी ने एलाटमेंट कम किया था, इस कारण ये कम लग पाये । जितना यहां से एलाटमेंट हुआ था वह कम कर दिया गया ।

श्री ऊदल—

जितना उत्तर में बताया गया है क्या एलाटमेंट उतने ही नलकूपों का था ?

(उत्तर आने में देर होने पर)

मैं दूसरा प्रश्न किये दे रहा हूं । क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि 1972–73 में जो 14 नलकूप लगने थे व नहीं लगे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह बात सही है कि 14 नलकूप नहीं लगे हैं ।

श्री प्रभू नारायण (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1972–73, 73–74 में जो ट्यूबवेल एलाट किये गये थे और जो अभी तक नहीं लग पाये हैं क्या उसके सिलसिले में कोई रिपोर्ट देंगे और कितने दिनों में इनको लगाने की व्यवस्था शासन की तरफ से हो जायगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मान्यवर, नया एलाटमेंट होगा तो उसी के बाद लगेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि जिले में जितना एलाटमेंट होता है उतने ही नलकूप लगाये जाते हैं । तो क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जिलों में आप जो एलाटमेंट करते हैं उसका आधार क्या होता है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसका आधार यह होता है कि, बाद देखने के कि किस जिले में कितनी सिंचाई का प्रबन्ध है और कितने दूसरे जरियों से आबपाशी होती है । इसके बाद जहां ,जरूरी होता है उसका एलाटमेंट किया जाता है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एडवाइजरी कमेटी ने जितने नलकूपों के लिये स्वीकृति प्रदान की थी उसमें से कितने अभी नहीं लगे हैं ? और क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि यह कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ ? जांच करा करके, क्या जितने नलकूप 1972–73 में नहीं लग पायें हैं उनको लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जितना एलाटमेंट किया गया और जो कम होंगे वह एलाटमेंट के बाद लगेंगे और उससे ज्यादा लगेंगे ।

## गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को संयुक्त खाते से वेतन दिलाना

*3--श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गैर-सरकारी बालकों के माध्यमिक विद्यालयों में प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों के समान संयुक्त खाते से वेतन दिलाने में क्या कठिनाई है ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)--

गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों से संलग्न प्राइमरी कक्षाओं को केवल फीस सम्बन्धी क्षतिपूर्ति मिलती है । इस सहायता को अनुदान नहीं माना जाता ।

अतः संयुक्त खाते से वेतन दिलवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

## नेहरू-स्मारक इण्टर कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत

*4--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के किन-किन कन्या इन्टर कालेजों के विषय में दिसम्बर, 1973 से 10 मई, 1974 तक कितनी शिकायतें जिले के अधिकारियों एवं शासन को प्राप्त हुई हैं ? क्या इनमें नेहरू स्मारक, इन्टर कालेज, मुन्डेरा बाजार, चौरी-चौरा, की शिकायतें भी हैं ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक--

सूची संलग्न है ।

जी हां, नेहरू स्मारक इन्टर कालेज मुन्डेरा बाजार चौरी-चौरा की प्राप्त शिकायतों से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख न्यायालय में जमा है जिससे अभी जांच सम्भव नहीं हो पा रही है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 214 पर) ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

श्रीमन, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि नेहरू स्मारक कन्या इन्टर कालेज के बारे में जो शिकायती-पत्र शासन को मिला है उसकी मूल शिकायतें क्या हैं ? और क्या आप उनकी जांच कराने जा रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, कुछ शिकायतें यह हैं:--

1--अध्यापकों की मनमाने ढंग से नियुक्ति करना ।

2--सरकारी पैसे का दुरुपयोग ।

3--प्रबन्ध समिति द्वारा पेड अध्यापकों को प्रधानाचार्य का पद दिया जाना ।

4--छात्रों के पैसों का दुरुपयोग, आदि शिकायतें थीं ।

## कानपुर में अमराहट पम्प कैनाल योजना

*5--श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा सुझाई गई कानपुर जिले में यमुना पर अमराहट पम्प कैनाल योजना "गत चुनाव के समय" उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम नाम की बुलेटिन में स्वीकार की गई दिखाई गई थी ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विधायकों के पत्र गत मार्च के तीसरे सप्ताह में सरकार को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो वे कौन से विधायक हैं और क्या सरकार ने उनके पत्रों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

प्रश्न का प्रथम भाग

बढ़ते कदम की बुलेटिन में यह योजना दिखायी गयी थी ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

जी नहीं ।

प्रश्न का तृतीय भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रणवीर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सिंचाई मंत्री जी ने दी है वह गलत है और उन्होंने सदन को गुमराह किया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कैसे आप कह सकते हैं ? आप पहले प्रश्न करें ।

श्री रणधीर सिंह--

मान्यवर, मैंने एक पत्र लिखा था, 19 तारीख को ।

श्री अध्यक्ष--

आप उसी को प्रश्न के रूप में रखें ।

श्री रणधीर सिंह--

मान्यवर, इस पत्र के साथ विवरण संलग्न करके पोस्ट कर दिया गया था । उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम के रूप में चुनाव के दौरान.....

श्री अध्यक्ष--

इसको सवाल के रूप में रखें यह जो आप कह रहे हैं प्रश्न नहीं है । आप प्रश्न करें ।

श्री रणधीर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है कि उनको कोई पत्र मिला और मैंने उनके कार्यालय में यह पत्र भेजा था । मेरे पास एम0 ए0 खान0 के दस्तखत मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इसको आप इस तरह से पूछें कि यह प्रश्न मालूम हो ।

चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मुझे पत्र नहीं मिला है । जबकि श्री सिंह जी पत्र को दिखा रहे हैं और उसमें इनके आफिस में प्राप्ति की दिनांक भी है । तो मान्यवर, मंत्री जी ने गलत बयानी की है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मुझे कोई पत्र नहीं मिला है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि बढ़ते कदम की बुलेटिन में यह योजना दिखाई गई थी । तो मंत्री जी क्या बतायेंगे कि वह योजना क्या थी और उसमें क्या कटौती की गई है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मान्यवर योजना यह थी कि अमराहट पम्प कैनाल निकाली जाय । अब उसमें कुछ पैसे की कमी, बिजली की कमी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण उसको दो स्टेजेज में बदल दिया गया है । इसमें और कोई कमी नहीं की गई है । वह योजना पूरी तरह से पूरी होगी ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यदि मंत्री जी इस योजना में कांट-छांट करेंगे तो ठीक नहीं है क्योंकि बढ़ते कदम को लाखों लोगों ने देखा है ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

इस योजना में कांट-छांट नही बल्कि इसको दो हिस्सों में अब कर दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, चुनाव से पहले यह बढ़ते कदम पुस्तक छपवाई गई थी । इस बढ़ते कदम में इस योजना का प्रचार करने से पहले क्या इक्नामिक वर्क आउट कर लिया गया था ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

बढ़ते कदम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया था कि अमराहट पम्प कैनाल बनाई जायेगी । उसमें कुछ नहीं था कि इतना हिस्सा पहले बनेगा और इतना हिस्सा बाद में बनेगा ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर यह योजना 3 करोड़ 7 लाख रु0 की थी ।इसमें मंत्री जी ने कहा है कि कटौती नहीं होगी बल्कि इसे दो हिस्सों में बनाया जायेगा । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसका काम कब से शुरू किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

अब यह काम शुरू होने वाला है । सर्वे हो रहे हैं और पहली स्टेज का अब सर्वे का काम मुकम्मिल हो चुका है । इस्टीमेंट की जांच की जा रही है ।

## (10 जुलाई, 1974 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)

## डेरापुर तहसील कानपुर के अन्तर्गत बान नाले का निर्माण

*1. चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत शासन द्वारा बान नाले के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब और उक्त नाले की लम्बाई कितनी है, किन-किन गांव से जायेगा ? इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृति हुई है तथा विभाग को इसके लिये कितना धन प्राप्त हो चुका है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां ।स्वीकृति दिनांक 21 अगस्त, 1972 को दी गई ।

इस नाले की लम्बाई 3 मील 1 फर्लांग है तथा यह नाला ग्राम बान, रानीपुर, रसूलाबाद एवं परजनी से निकलेगा ।

नाले की अनुमानित लागत रु0 89,317 है तथा वर्ष 1974-75 में व्यय हेतु 20,000 की प्रदिष्टि की गई है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि डेरापुर नाले की स्वीकृति 21 अगस्त, 1972 में दी गई थीं । जब से 2 वर्ष हो गये हैं, तो अभी तक नाला क्यों नहीं बना है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मान्यवर सर्वे का काम अभी तक किया जाता रहा है। वह काम बोर्ड की स्वीकृति के लिये गया। इनकी वजह से काम में देर हुई। दूसरी खास बात यह हुई कि वहां के काश्तकारों ने जमीन देने में उलझनें पैदा की जिसके कारण 14 मई, 1974 को जमीन मिल पाई है।

## डेरापुर तहसील कानपुर के अन्तर्गत भोजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना

*2---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर तहसील के अन्तर्गत भोजपुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम का सर्वेक्षण करा लिया गया है? यदि हां, तो उक्त लिफ्ट सिंचाई स्कीम के जरिए कौन-कौन गांवों की अलग-अलग कितनी भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इसके अन्तर्गत कौन-कौन माइनरें कहां से कहां तक कितने कि0 मी0 की प्रस्तावित हैं और इसके जरिये कुल कितनी भूमि को पानी मिल सकेगा और इसके निर्माण की कुल लागत कितनी आने की सम्भावना है?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

प्रश्न का प्रथम भाग

जी हां।

प्रश्न का शेष भाग

इस संबंध में सूचना संलग्नक में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 215 पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भोजपुर लिफ्ट कैनाल कब तक बनकर तैयार हो जायगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

इसका सर्वे वगैरह किया जा रहा है। उसके बाद इसको आर्थिक और तकनीकी नजर से देखा जायगा और उसके बाद शासन फैसला लेगा।

*3---श्री भीखा लाल---

[7 वें बुधवार के लिए स्थगित]

## प्रधानाध्यापिका जूनियर हाई स्कूल अडिग (मथुरा) का अवशेष वेतन एवं यात्रा भत्ता का भुगतान

*4---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

दिनांक 20 दिसम्बर, 1972 के विधान सभा में उत्तरित अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका, गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल, अडिग (मथुरा) को 1949 से 1969 के बीच की अवधि का अवशेष वेतन एवं यात्रा भत्ते का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां। संबंधित प्रधानाध्यापिका को सन् 1967-68 का यात्रा भत्ता रु0 314.35 पै0 का भुगतान दिनांक 30-6-1973 को कर दिया गया है।

शेष सन् 1968-69 का रु0 316-15 पै0 का यात्रा भत्ता बिल महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद को पारित करने हेतु भेजा गया है। पारित होने पर ही भुगतान किया जायगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 67/68 का तो भुगतान हो गया था लेकिन मान्यवर मेरी स्पष्ट सूचना है कि अभी तक उस प्रधानाध्यापिका को एक पैसा भी नहीं मिला। जुलाई 72 में और 20 सितम्बर, 72 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न किया गया था और उस पर स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि जो वेतन 49 से 69 तक का यानी 20 वर्षों का है अविलम्ब दिया जायगा। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ और यह प्रधानाध्यापिका रिटायर भी हो गयी ?

श्री रामजीलाल सहायक---

यह मसला 24 वर्ष पुराना है। 24 वर्षों का एक रजिस्टर खोजा गया। उस रजिस्टर से जिन तीन महीने का वेतन नहीं मिला वह पृष्ठ गायब थे। इन प्रधानाध्यापिका को लिखा गया कि वह खुद भेज दें। इन्होंने गलत विवरण भेजा। उनके पास फिर भेजा गया कि सही विवरण भेजें। इसके बाद उन्होंने नहीं भेजा। दूसरी बात यह है कि फाइनेन्शियल हैंडबुक में यह है कि जो कालातीत प्रश्न हो जाते हैं उनका भुगतान नहीं होता। इन्होंने स्वयं बिलों कीमांग नहीं की, कुछ बिल कालातीत हो गये और कुछ बिल राजाज्ञाओं के विपरीत हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने महालेखाकार इलाहाबाद को उनके यातायात के भत्ते की बाबत पत्र भेजा है तो वह कब भेजा है और यदि अभी भेजा है तो जुलाई और दिसम्बर 72 में जब यह प्रश्न उठा था तो इतनी देर से भेजने का क्या कारण था ?

श्री रामजीलाल सहायक---

8-5-74 को छानबीन के लिये महालेखाकार को कागजात भेजे गये हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, तनख्वाह न दी जाय और इस तरह की धपलेबाजी का उत्तर आये तो यह सरकार कैसे चलेगी ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आगे चला गया। आप स्वयं क्यों अव्यवस्थित हो गये। एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया। चूंकि उसका पैसा बकाया था, उसे स्वीकार किया गया। इतना समय नहीं है प्रश्न के बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठाना उचित नहीं मालूम देता।

*5---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

[6वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानातरित।]

*6---श्री राम सुन्दर पांडेय---

[7वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*7---श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री धर्मवीर---

[7वें बुधवार के लिये स्थगित।]

## बरेली नगर में पुलिस सब-इंसपेक्टर के क्वार्टरों का पुलिस विभाग को हस्तांतरण

*8---श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली के नगरीय क्षेत्र के थानों में कितने पुलिस सब-इन्स-पेक्टर्स क्वार्टर्स सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 वर्ष पहले बनाये गये थे और उनको अभी तक पुलिस विभाग को हस्तान्तरित न किये जाने के कारण क्या हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)---

इनमें थाना किला के चार क्वार्टर पुलिस विभाग को हस्तांतरित नहीं किये गये हैं क्योंकि उनमें जल सम्पूर्ति एवं विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है तथा इसके पूर्ण हो जाने के उपरान्त बाहरी पुताई आदि का भी कुछ कार्य कराना शेष है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन क्वाटर्स का निर्माण-कार्य कब पूरा हुआ और इनमें विद्युतीकरण और जल-सम्पूर्ति की व्यवस्था कब प्रारम्भ की जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

19 मई, 1972 को प्रारम्भ हुआ था। उसको पूरा होना था 30 मई, 1973 तक, लेकिन पूरा हुआ जून, 73 और विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और ऐसी आशा है कि जल्द ही पूरा होकर उसकी पुताई वगैरह हो जायगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुलिस कर्मचारियों (पुलिस सब-इंसपेक्टर्स) के लिये आवास की अत्यन्त असुविधा है और इन क्वाटर्स को बने हुये एक साल हो गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि विद्युतीकरण और जल-सम्पूर्ति का कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? मंत्री जी कृपया डिफनिट डेट बता दें ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

मान्यवर, फरवरी, 1974 को शुरू किया गया।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, वास्तव में अब तक यह कार्य शुरू ही नहीं हुआ। इसी कारण से ये क्वाटर्स पड़े हुये हैं। क्या मंत्री जी एक महीने के अन्दर विद्युतीकरण और जल-सम्पूर्ति का कार्य पूरा करा देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मान्यवर, यह कार्य सितम्बर तक पूरा कर देंगे।

## ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इण्टर कालेज, इटावा में प्रशासक की नियुक्ति

*9---श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इन्टर कालेज, इटावा के संचालन के लिये प्रशासक की नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कब से, और क्या यह सही है कि एक वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी दूसरे वर्ष प्रशासक की नियुक्ति बढ़ाने के लिये प्रबन्ध समिति को कोई नोटिस नहीं दिया गया और किसी सिंधी महिला को नियुक्ति किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां। प्रबन्ध समिति को नोटिस देने के पश्चात इस विद्यालय में दिसम्बर 20, 1971 को एक वर्ष के लिये प्रशासक को नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति से प्रबन्ध समिति भंग हो गई है तथा उसके समस्त अधिकार प्रशासक को प्राप्त हैं। अतएव उस एक वर्ष के बाद प्रशासक के कार्यकाल में वृद्धि करने के लिये प्रबन्ध समिति को नोटिस देने का प्रश्न नहीं उठता तथा कार्य काल में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति को नोटिस देने का प्राविधान भी नहीं है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासक के पद पर जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर इस समय एक महिला को नियुक्त कर दिया गया है।

## सहायता एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नये वेतन तथा भत्ते

*10—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सहायता एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं अशैक्षिक कर्मचारियों को क्या वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम, महंगाई भत्ता आदि दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। संयोग बस वेतन आयोग द्वारा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों के लिये संस्तुति नहीं की गयी।

## फतेहपुर में पी०ए०सी०के भवन निर्माण-कार्य में अनियमितताएं

*11—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर 12 अ वाहिनी पी०ए०सी० के भवन निर्माण कार्यों में की गई अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ जो पंजीकृत है के अध्यक्ष ने दिनांक 14-11-73 को अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, 45 वृत्त, इलाहाबाद तथा अन्य अधिकारियों के पास जरिये रजिस्ट्री शिकायत भेजी? यदि हां तो उनकी शिकायत पर अब तक कोई जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। शिकायतों की जांच करवाई गई।

श्री प्रेम दत्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतों के मुद्दे क्या थे और जांच का परिणाम क्या निकला?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जो पहले टेण्डर मांगा गया था, उसमें 12 ठेकेदारों ने टेण्डर दिया था। वह टेण्डर कैन्सिल हो गया और फिर से टेण्डर मांगा गया। शिकायतों की जांच में यह निकला कि जो पहले टेण्डर मांगा गया और जिन लोगों ने टेण्डर दिया था वह ज्यादा रेट का रहा। बाद को जो टेण्डर्स दिये गये, उसके रेट्स कम रहे। पहले के टेण्डर में सेक्योरिटी मनी नहीं जमा किया, जितनी जरूरत थी और साथ ही जो टेण्डर दिया, उसमें तरह-तरह की शर्तें थीं, जैसे ईंट या ईंट पकाने के लिये कोयला दिया जाय। इसलिये पहले वाला टेण्डर खत्म कर दिया गया।

श्री प्रेम दत्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पहले का टेण्डर था, उसके क्या रेट्स थे और बाद के टेण्डर के क्या रेट्स थे, एक बात? और दूसरी बात, क्या ये सहजराम ठेकेदार और वर्क मिस्त्री राम रंजन तिवारी और राम गोपाल दुबे, जो काम कर रहे हैं, इन्हीं इन्जीनियर, के०पी० श्रीवास्तव के साथ झांसी में भी काम कर रहे थे और अब यहां आकर इस काम को लिया है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अलग-अलग ग्रुप में बन कर बहुत से टेंडर हुए थे। यह बड़ी लम्बी तथा विस्तृत बात है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मंत्री ने बताया कि पहले टेंडर का रेट हाई था इसलिये इंजीनियर ने कैंसिल कर दिया और दूसरे टेंडर का रेट कम था इसलिये उसे मंजूर कर लिया, उस पर काम हुआ और बहुत सी शिकायतें आई। क्या सरकार को जानकारी है कि यह इंजीनियर पहले झांसी में थे और वहां जो ठेकेदार तथा मिस्त्री उनके साथ काम करते थे उनको वह अपने साथ यहां भी ले आये? पहला टेंडर इसलिए कैंसिल किया गया

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कि इनके आदमियों को वह नहीं दिया गया था और दूसरा टेंडर इसलिये मंजूर कर लिया गया कि वह उनको ठेकेदार तथा मिस्त्री जिनको वह साथ लाये थे उनको दे दिया गया था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री प्रभु नारायण---

जिस ठेकेदार ने यहां पर काम ले रखा है पहला टेंडर कैंसिल होने के बाद यह वही ठेकेदार है जो झांसी में इन इंजीनियर महोदय के साथ काम कर रहे थे, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां, जांच करा लूंगा ।

## गैरसरकारी विद्यालयों के बेसिक तथा जूनियर शिक्षकों की मांगें तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व शिक्षा राज्य मन्त्री के बीच हुई समझौता वार्ता

*12---श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-4-74 को उन्हें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त बाजपेयी द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के बेसिक तथा जूनियर शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के अनेक मांग-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

इन मांग पत्रों में बेसिक अध्यापकों का बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के समान वेतन निर्धारण, संघ को मान्यता दिये जाने आदि की मांग की गयी है ।

कथित मांग शासन के विचाराधीन है ।

*13---श्री नारायण दास---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ तथा तत्कालीन बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री के बीच प्रदेश के गैरसरकारी बेसिक तथा जूनियर विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 29-12-73 को कोई समझौता वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो क्या और अब तक उनमें से कितनी समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां । विभिन्न समस्याओं पर वार्ता हुई थी । सभी समस्याओं के निराकरण हेतु शासन प्रयत्नशील है ।

## राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मांगें

*14---श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कला, संगीत, गृह विज्ञान आदि के अध्यापकों का कोई मांग-पत्र राजकीय शिक्षक संघ के माध्यम से इस वर्ष प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

जी हां। मुख्यतः मांगें इस प्रकार हैं---

1---सामान्य संवर्ग में सम्मिलित करने हेतु।

2---विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में सामान्य अध्यापकों की भांति पदोन्नति किया जाय। मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्राइवेट संस्थाओं में जो सहायता प्राप्त हैं वहां संगीत कला तथा गृह विज्ञान में एम० ए० पास इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं उनको लेक्चरार ग्रेड मिलता है, लेकिन जिले में एक विद्यालय होता है आदर्श विद्यालय और वहां भी एम० ए० पास लेक्चरार गृह विज्ञान, कला तथा संगीत में इंटरमीडियेट क्लासेज को पढ़ाते हैं और सरकार की नीति यह है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय, लेकिन यह सब होते हुये भी अभी तक गवर्नमेंट कालेजेज में गृह विज्ञान, कला तथा संगीत में एम० ए० पास लेक्चरार जो इंटरमीडिएट क्लासेज को पढ़ाते हैं उनको लेक्चरार ग्रेड क्यों नहीं दिया गया?

श्री रामजी लाल सहायक---

मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि आर्ट एन्ड क्राफ्ट तथा म्युजिक तथा पी० टी० टीचर्स का अलग संवर्ग है, लेकिन अब सामान्य संवर्ग में उसे मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

यह मामला सरकार के विचाराधीन है तो कब से विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री रामजीलाल सहायक---

21 फरवरी, 1974 को यह मांगें आईं जो कि शासन के विचाराधीन हैं और इस प्रश्न पर जल्दी निर्णय होने वाला है।

## फैजाबाद की टांडा तहसील में पिकिया नदी पर पुल निर्माण की मांग

*15---श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील टांडा के ग्राम असनारा, अलऊपुर आदि गांवों की आबादी एक पिकिया नामक छोटी बरसाती नदी के कारण तबाह हो जाती है? यदि हां, तो क्या चालू सत्र 1974-75 में यहां एक पुल बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

पिकिया नदी में बरसात में बाढ़ आ जाने से दोनों ओर गांवों का संबंध टूट जाता है तथा सड़क पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। धनाभाव के कारण इस नदी पर पुल निर्माण करना सम्भव नहीं है।

श्रीमती रामरती देवी---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर को जो सड़क गई है उस पर आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों जिलों का सम्बन्ध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जब पुलों के बनाने की बात हो तो इस स्थान पर पुल बनाने के लिए आप प्राथमिकता देंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

श्रीमान जी, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि धन उपलब्ध होने पर उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब है जब भी आप पुल बनायेंगे, प्राथमिकता देंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब तक आप पक्का पुल वहां पर न बना पायें तब तक पीपे आदि वहां लगवा देंगे और संचालन व्यवस्था शुरू करवा देंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

श्रीमान् जी, अस्थायी पुल वैसे वहां पर है जो कि बरसात को छोड़कर बाकी समय में काम आता है ।

*16--श्री राम सुन्दर पांडेय--

[ ,वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*17--श्री जगदीश अवस्थी--

[ ,वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*18--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव--

[ ,वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*19--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[ ,वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## चयन समिति द्वारा चयन किये गये अधिशासी अभियन्ताओं की लिस्ट

*20--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति के लिए जुलाई, 1973 में चयन समिति ने एक लिस्ट बनाई थी ? यदि हां, तो वह क्या लिस्ट है और उसके अनुसार कितने अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नत कर दिया गया है और कितने बाकी हैं ? क्या इस लिस्ट के भिन्न भी किसी की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां ।

चयन समिति द्वारा चयन किए गए अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति दे दी गई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं:--

सर्वश्री (1) हनुमान प्रसाद
,, (2) इस्लाम मोहम्मद
,, (3) रवि प्रकाश गोयल

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने यह भी सवाल किया था कि यदि वह लिस्ट तैयार की गई तो वह लिस्ट क्या थी ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

इससे तो जनरल माननीय सदस्यों का सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य विभाग में जाकर लिस्ट देख सकते थे । कोई सवाल इस आदरणीय सदन में नहीं हो सकता जब तक कि वह..... ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी मिश्र आप कृपया आसन ग्रहण करें। यह प्रश्न जिस रूप में स्वीकार हुआ है वह ऐसा ही है कि वह लिस्ट क्या है। इस पर मन्त्री जी बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यही तीनों की सूची बनी थी और तीनों की नियुक्ति हो गई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं जवाब सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि तीन की सूची बनी थी और तीनों की नियुक्ति की गई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह बात गलत है कि 14-16 आदमियों की लिस्ट बनी थी और केवल 3 आदमियों का ही प्रमोशन किया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इसकी सूचना नहीं है। मेरे पास जो सूचना है उसमें यह है कि 3 की लिस्ट बनी थी और तीनों प्रमोट किये गये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तो क्या मैं यह समझूं कि तीन के अलावा और किसी की लिस्ट नहीं बनी थी... (व्यवधान)। मान्यवर, मैं तथ्य सदन के सामने रखूंगा।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इन तीन अधिशासी अभियन्ताओं का जो प्रमोशन किया गया है, सरकार बताने की कृपा करेगी इस प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया निश्चित किया गया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*21--श्री मोहन लाल कपूर--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

## मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*22--श्री कल्याण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी बाल मंदिरों (विद्यालयों) के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए अभी तक सेवा नियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं और वह कब तक बना दिये जायेंगे ?

श्री राम जी लाल सहायक--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कल्याण सिंह--

मैं आप का ध्यान लालफीताशाही और विभाग की ढिलाई पर दिलाना चाहता हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सूचना उपलब्ध होने में काफी समय लगे। मैंने पूछा था-- प्रदेश के मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं मान्टेसरी बाल मंदिरों (विद्यालयों) के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये अभी तक सेवा नियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं। नियम बनाने हैं, सूचना एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मन्त्री जी इस सत्र की अवधि में प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो 15 दिन के अन्दर आएगा ही।

श्री कल्याण सिंह--

मन्त्री जी यह सूचना कहां से एकत्र कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, विद्यालय सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। उनके पे-स्केल क्या हैं, उनको ग्रान्ट-इन-एड क्या दी जाती है, उनके यहां शुल्क क्या है और क्या आय है, मान्यता की शर्तें क्या हैं, कितनी शैक्षिक योग्यता के लोग भर्ती किये जाते हैं--यह सब एकत्र करना है।

*23--श्री भगवत दयाल--

[ वें गुरुवार में प्रश्न सं० 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*24--श्री रघुवीर तथा श्री झिलमिट--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

## झांसी में बरुआ सागर तालाब से झिराव को रोकने की मांग

*25--श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में सपरार डिवीजन के बरुआ सागर तालाब से जो नहरी झिराव होता था, उसे रोकने को गत वर्ष धन मन्जूर किया था ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग उसी कार्य हेतु किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं।

श्री भगवत दयाल--

बरुवा सागर तालाब से जो झिराव होता है, उससे काफी नुकसान हो रहा है, क्या उसको सरकार रोकने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह पहला प्रोग्राम जो था, उसमें यह शामिल नहीं था, जब आईन्दा फण्ड होगा तो इस पर कार्य किया जाएगा।

*26--श्री राम प्रकाश यादव--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*27-28--श्री शारदा प्रसाद रावत--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

## टांडा तहसील, फैजाबाद के कतिपय ग्रामों को पिकिया नदी तथा ताल के पानी से क्षति

*29--श्रीमती रामरती देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद तहसील-टान्डा के ग्राम-अमोला, धुन्नेपुर, हसनपुर आदि ग्रामों की जमीन इतनी नीची है, जिससे स्थानीय छोटी पिकिया नदी तथा ताल का पानी भर जाने के कारण हजारों मन अनाज की हानि हो जाती है ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बरसाती पानी को निकालने के लिए एक बाहा (नाला) की खुदाई कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां, सरकार को स्थिति का ज्ञान है। फिलहाल नाला बनाने की कोई योजना नहीं है। इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्रीमती रामरती देवी—

क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि उपरोक्त गांव में बरसात के दिनों में गांव के अन्दर भी 4–5 फुट पानी भर जाता है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गांव के बारे में तो सूचना नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि इस एरिया में 1400 एकड़ रकबे में कुछ पानी भरता है और रबी की फसल में उससे कुछ नुकसान नहीं होता है, खरीफ की फसल में जरूर नुकसान होता है ।

श्री ऊदल—

खरीफ की फसल में जो नुकसान होता है, ताल के पानी से धान की फसल सड़कर खराब हो जाती है और उसकी वजह से रबी की बुआई भी निचली जमीन में नहीं हो पाती है, तो उसको देखते हुए क्या मन्त्री जी वहां सर्वे करायेंगे और कोई नाला निकालकर उसके पानी को निकलवाने की कृपा करेंगे ?

[कोई उत्तर नहीं दिया गया ।]

श्रीमती रामरती देवी—

क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि उपरोक्त गांव के धनी-मानी लोग अपने पैसे के बल पर नाले के इर्द-गिर्द की जमीन को पाट रहे हैं, जिससे उनकी जीविका चल रही है और उस हानि से बचने के लिए कार्य में ढ़िलाई कराई जा रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसकी कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्या लिखकर देंगी तो अवश्य जांच कराएंगे । सर्वे तो कराया जाएगा ही ।

*30—श्री जगदीश अवस्थी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## पुरवा-बीघापुर मार्ग का अधूरा निर्माण-कार्य

*31—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुरवा-बीघापुर मार्ग (पुरवा से उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग लिंक रोड) का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और क्या यह सही है कि शासन ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि बीघापुर-पुरवा मार्ग का निर्माण-कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया जाय ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं और अब उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत कार्य का निर्माण फरवरी, 1969 में प्रारम्भ हुआ था । इस कार्य को रोकने के कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये थे ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय सार्वजनिक मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्य 1969 में प्रारम्भ होने के बाद, ढाई वर्ष से काम नहीं हो रहा है, प्रशासन की ओर से आदेश दे दिये गये हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की ओर से काम रोक दिया गया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमान् जी, असल में इसमें समय इसलिए लगा कि उसकी मिट्टी नहीं ठीक थी । दूसरे तरीके से, लाइम स्टेबिलाइजेशन का तरीका अख्तियार करके, इसको बनाना पड़ा । इसमें काम रुकने का सन्देह है, और वह इसलिए है कि हर डिवीजन में राष्ट्रपति शासन

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]
में आदेश गये थे उनके डिवीजन में जितना पैसा अलाट हुआ है उससे ज्यादा खर्च न हो, उस से पहले अधिक काम हो चुका था, इसलिए चार पांच महीने तक प्रदेश में सभी जगह काम रुके रहे। इसलिए माननीय सदस्य को संदेह हुआ कि रोका गया। जैसे ही पैसे का अलाटमेंट होगा काम चालू रहेगा।

श्री भगवती सिंह विशारद--
क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसका पूरा निर्माण-कार्य कब तक पूरा समाप्त हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--
धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

## उन्नाव के लिये ड्रेनेज परियोजना की स्वीकृति

*32--श्री भगवती सिंह विशारद--
क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1972-73 या वर्ष 1973-74 में उन्नाव जिले की ड्रेनों का लगभग 30 लाख रुपये का जो प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया था उसमें कौन-कौन सी ड्रेने सम्मिलित हैं ? उनका निर्माण-कार्य अब तक प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
उन्नाव जिले में 30.16 लाख रुपया लागत की ड्रेनेज परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 1973-74 में प्रदान की गई है। ड्रेनों की सूची संलग्न है।

व्यय स्वीकृति देना अभी सम्भव नहीं हो सका है इस कारण अभी कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है। आशा है कि यह कार्य 1974-75 में आरम्भ हो जायगा।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 216-217 पर।)

श्री भगवती सिंह विशारद--
क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 1973-74 में दी गई वह कार्य उन्नाव से कब यहां स्वीकृति के लिए भेजा गया था ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
इसकी सूचना की जरूरत होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--
क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 30 लाख रुपया 1973-74 में उन्नाव जिले की ड्रेन्स के लिए रखा गया था, एक भी स्कीम प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गयी, क्या कारण है न स्वीकार करने का ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
6 लाख रुपया बजट में इसका रखा गया है। जहां तक काम न शुरू करने का सवाल है 1974-75 के बजट में रखा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट और सामुदायिक विकास डिपार्टमेंट से इसके सिलसिले में लिखा-पढ़ी हो रही है। उसी की वजह से कुछ रुकावट है।

*33--श्री मलखान सिंह--
[7 वें बुधवार के लिए स्थगित]

## फतेहपुर क कतिपय विकास खण्डों में राजकीय नलकूपों की बोरिंग

*34—श्री प्रम दत्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खंडों में क्रमशः कितने-कितने सरकारी ट्यबवेल 1 मार्च, 1974 से 15 जून, 1974 तक लगे हैं ? और क्या वे चालू हो गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जनपद फतेहपुर के मलवां, अमौली एवं असोथर विकास खंडों में क्रमशः 7, 15 एवं 6 राजकीय नलकूपों की बोरिंग 1-3-74 से 15 जून, 1974 तक की गई है। उपरोक्त नलकूप अभी चालू नहीं हुए हैं। चालू करने की शेष कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रेम दत्त—

मुझे जो उत्तर मिला है उसमें 7, 15, 6 और आपने बताया 15, 7, 6। इसको स्पष्ट कर दें।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने अर्ज कर दिया 7, 15 एवं 6।

श्री प्रेम दत्त—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि शेष कार्य जो बाकी है कब तक खत्म करने की कृपा करेंगे क्योंकि बड़ा अभाव है पानी का ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इस सिलसिले में पम्पिंग सेट्स अभी तक नहीं मिल पाये हैं। बराबर कोशिश हो रही है। जिन फर्मों को आर्डर दिया गया है जल्द से जल्द दे दें। आज कल बनने में दुश्वारियां भी होती रहती हैं। ज्योति और जांस्टन को इसकी सप्लाई के लिए लिखा गया था। ख्याल है कि अक्तूबर तक, ज्यादा से ज्यादा पम्पिंग सेट मिल जायेंगे। उसके बाद विद्युत विभाग को लिख देंगे।

श्री प्रेम दत्त—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह केवल फतेहपुर के लिए है या बाकी प्रदेश भर में है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*35—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*36—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

## बरला ताजपुर नाला, मुजफ्फरनगर की सफाई व खुदाई

*37—श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरला, जिला मुजफ्फरनगर में बरला, ताजपर गन्दे नाले में जो जंगल से पानी की निकासी के लिए है, बरसात में जंगल की फसल हमेशा बरबाद हो जाती है और साथ ही साथ यह कि इस नाले की लगातार 5-6 साल से सफाई व खोदाई आदि का काम नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य को बरसात से पहले पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी नहीं।

बरला ताजपुर नाले की सिल्ट सफाई व खुदाई का कार्य वर्ष 1969-70 व 1971-72 में किया गया था। इस वर्ष केवल मील 2-0 से मील 4-0 में तली के जंगल सफाई का कार्य हुआ है। वर्षा के पूर्व इस वर्ष और कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

श्री नन्दराम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस नाले की लम्बाई कितनी है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

इसकी लम्बाई 5 मील से कुछ ज्यादा है ।

श्री नन्दराम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि 1972–73 के बाद इसकी सफाई क्यों नहीं हुई जब कि फसल में पानी भर जाता है और काश्तकार का नुकसान होता है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

फंड की कमी की वजह से नहीं हो पाई ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि हजारों एकड़ प्रति वर्ष फसल का नुकसान होने के बावजूद इस नाले की सफाई के लिए एक भी पैसा क्यों नहीं रखा गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मैंने तो अर्ज किया कि उसकी खुदाई पिछले साल हो चुकी है । आप तो सिंचाई मंत्री रह चुके हैं । आपको मालूम है कि 5 साल के बाद सफाई होती है ।

## सलौन जायस मार्ग, रायबरेली पर गाड़ी घाट में सई नदी पर पुल निर्माण

*38—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत सलौन-जायस मार्ग पर गाड़ी घाट सई नदी में पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन चल रही है? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक सरकार कार्यान्वित कराने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

*39—श्रीमती सुखदा मिश्रा—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*40—श्री वीर सिंह सेंगर—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

## नलकूप खण्ड, मैनपुरी के निलम्बित ड्राफ्ट्समैन के निलम्बन की समाप्ति

*41—श्री कल्याण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खंड मैनपुरी में कौन-कौन ड्राफ्ट्समैन माह नवम्बर, 1968 में किन-किन आरोपों के आधार पर निलम्बित किये गये और उनको अब तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक बहाल कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

नलकूप खण्ड, मैनपुरी में केवल एक ड्राफ्ट्समैन (श्री हरि प्रसाद शर्मा) माह नवम्बर, 1968 में पुलिस द्वारा लगाये गये हत्या व चोरी तथा धोखाधड़ी से कई स्थानों पर भूमि खरीदने के आरोपों के आधार पर निलंबित किये गये थे । इनको निलम्बन से मुक्त करने के आदेश सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 27–6–74 को जारी कर दिये गये हैं ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कर्मचारी को निलंबन काल का देय वेतन तथा अन्य सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--
जो नियम के अन्दर होगा वैसा होगा ।

*42--श्री रघुबीर तथा श्री झिलमिट--
[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*43--श्री गोरेलाल शाक्य--
[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*44--श्री मोतीलाल देहलवी--
[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

## प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षित व अशिक्षित उर्दू अध्यापकों की संख्या तथा वेतन व भत्ते

*45--श्री अब्दुल बाकी (जिला आजमगढ़), श्री फजलुर्रहमान अंसारी (जिला बहराइच) तथा श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1973-1974 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गई? उनमें कितने प्रशिक्षित तथा कितने अप्रशिक्षित हैं और इनमें से कितने अध्यापकों को महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता तथा समय-समय पर स्वीकृत किये गये अन्य भत्ते दिये जा रहे हैं और कितनों को नहीं दिया जा रहा है और न देने का कारण क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

शिक्षा सत्र 1973-74 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 3,731 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है । इनमें 797 अध्यापक प्रशिक्षित तथा 2,934 अध्यापक अप्रशिक्षित हैं । जिन अध्यापकों की नियुक्ति प्रशिक्षित वेतन क्रम में हुई है, उन्हें महंगाई भत्ता एवं अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो समय-समय पर स्वीकृत होता है दिया जा रहा है, लेकिन जिन अध्यापकों की नियुक्ति अप्रशिक्षित वेतन क्रम में हुई है उन्हें केवल 170 रु० वेतन मात्र छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार की "हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम" के अन्तर्गत शिक्षा सत्र में यह पद सृजित हुए और उसी के अन्तर्गत अप्रशिक्षित वेतन क्रम वाले पदों को केवल छात्र-वृत्ति दी जाती है जिसके साथ महंगाई, अंतरिम सहायता, अतिरिक्त महंगाई या अन्य भत्ते नहीं दिये जाते ।

श्री अब्दुल बाकी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि डायरेक्टर तालीमात ने अपनी 31-7-73 की चिट्ठी में साफ तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हिदायत दी है कि उर्दू के मुदर्रिसों को 14 रुपये महंगाई भत्ता और भी मिलने वाले दूसरे भत्ते दिये जायेंगे । मगर सूबे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो तकर्रुरी परवाने दिये हैं, उनमें महंगाई भत्ता दिये जाने से साफ इंकार किया गया है । फिर भी गैर-तरबियत उर्दू अध्यापकों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है और न अन्तरिम रिलीफ ही दी जा रही है । तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महंगाई भत्ता और अंतरिम सहायता गैर तरबियत अध्यापकों को देंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, जो अन्ट्रेन्ड हैं उन्हें 170 रु० दिया जा रहा है उनको अंतरिम सहायता और महंगाई भत्ता दिये जाने का सवाल नहीं उठता है ।

श्री प्रभु नारायण--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उर्दू पढ़ाने के सिलसिले में जो सरकार ने नीति चलाई है उसके महत्व को देखते हुए जो अध्यापक रखे गये हैं उनको प्रशिक्षित करने की योजना है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी हां, योजना है। उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि कितने विद्यार्थी उर्दू के गत वर्ष शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग सवाल है।

श्री बाबू लाल वर्मा--

मान्यवर, यह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उनकी क्या योग्यतायें रखी गयी हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक--

हाई स्कूल उर्दू के साथ हो और ट्रेन्ड हो, और कोशिश यह की जाती है कि कामिल हो तो वह हाई स्कूल अंग्रेजी में हो और अगर फाजिल हैं तो हाई स्कूल अंग्रेजी में होना चाहिये।

श्री प्रभु नारायण--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण की योजना है वह क्या है ? उसको सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, बी० टी० सी० की योजना है उनमें भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और एक पत्राधारित प्रणाली है उसके आधार पर भी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सी० पी० आई० की तरफ से उनको ट्रेन्ड किया जा रहा है।

*46--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*47--श्री राम प्रकाश यादव--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*48--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री ऊदल--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*49--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

## बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों एवं कर्मचारियों आदि को देय नये वेतनमान म वेतन का भुगतान

*50--श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों, अध्यापक, अध्यापिकाओं, दाइयों तथा चपरासियों एवं कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को उ० प्र० वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान अभी तक क्यों नहीं दिया गया, जबकि राज्य के अन्य समस्त कर्मचारियों को दिया जा चुका है ? क्या सरकार उपर्युक्त कर्मचारियों को भी नवीन वेतन मान से भुगतान करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

---

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रामजी लाल सहायक---

बेसिक शिक्षा परिषद् के सभी कर्मचारियों का नये वेतनमानों में वेतन निर्धारित किया जा रहा है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् परिषद् के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को नये वेतनमान में वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

श्री आशा राम यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नये वेतन मानों में कब तक निर्धारण हो जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इसमें समय लगेगा क्योंकि हर अध्यापक से विकल्प पूछा गया है कि वे पुराने वेतन-मान में रहेंगे अथवा नये वेतन-मान में रहेंगे उसमें देर हो गई क्योंकि गर्मियों की छुट्टी थी। लगभग 2,55,415 अध्यापक और लगभग 20,000 शिक्षणेतर कर्मचारी हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में वेतन निर्धारण करना आसान काम नहीं है।

## वाराणसी में मोरवा नदी को गहरा करने की योजना

*51---श्री राम रति बिन्द (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के पिलखुवा, बयांब रमईपुर ताल के अतिरिक्त जल की निकासी के लिये मोरवा नदी को गहरा करके गंगा नदी में जल बहाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मोरवा नदी को गहरा करने की एक योजना का सर्वे हो रहा है। अभी योजना स्वीकृत नहीं हुई है अतः कार्य करने का प्रश्न नहीं उठता है।

## हाई स्कूल के परीक्षाफल का प्रतिशत

*52---श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष हाई स्कूल का परीक्षाफल कितना प्रतिशत रहा और क्या यह प्रतिशत गत वर्ष की अपेक्षा कम रहा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या राज्य सरकार इस गिरते हुए परीक्षाफल के प्रतिशत को दूर करने के लिये कोई उपाय पर विचार कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा का सामूहिक परीक्षाफल 38.5 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष (1973) की तुलना में 5.1 प्रतिशत कम है। परीक्षाफल में कमी का मुख्य कारण इस वर्ष व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का बहुत अधिक संख्या में फेल होना है। संस्थागत छात्रों का परीक्षाफल प्रतिशत 44.1 है जो गत वर्ष की अपेक्षा केवल 3 प्रतिशत कम है जबकि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल प्रतिशत केवल 22.9 है जो पिछले वर्ष से 11.2 प्रतिशत कम है।

शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु शासन सतत प्रयत्नशील है तथा इस उद्देश्य से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन विभाग की स्थापना हेतु एक परियोजना सम्मिलित की गई है।

*53---श्री जंग बहादुर---

[7वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*54---श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 7वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

---

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## विधान सभा क्षेत्र सलोन, रायबरेली में इण्टर कालेज व हाई स्कूल

*55—श्री दीना नाथ सेवक—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सलोन—रायबरेली में कितने राजकीय तथा मान्यता प्राप्त प्राइवेट हाई स्कूल एवं इंटर कालेज किस-किस विकास खंडों में चल रहे हैं ? और निकट भविष्य में कितने हाई स्कूल तथा इंटर कालेज खोलने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम जी लाल सहायक—

विधान सभा क्षेत्र सलोन, रायबरेली में 3 इंटर कालेज तथा 1 हाई स्कूल व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरण द्वारा निम्नलिखित विकास खंडों में चलाये जा रहे हैं :—

| विकास खंड का नाम | विद्यालय का नाम |
|---|---|
| 1—सलोन .. | 1—सर्वोदय इंटर कालेज, सलोन<br>2—कान्ह शिक्षा निकेतन इंटर कालेज, करहिया बाजार । |
| 2—ऊंचाहार .. | 1—गुहेश विद्या निकेतन इंटर कालेज, ऊंचाहार ।<br>2—जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरखा । |
| 3—डीह .. | शून्य ।<br>इस क्षेत्र में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है और न कोई विद्यालय खोलने का प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन है । |

*56—श्री मुन्शी लाल—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित । ]

*57—बाबा रामनाथ—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित । ]

## अतारांकित प्रश्न

1—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

[ 7 वें बुधवार के लिये स्थगित । ]

## छोटी सरजू नदी, आजमगढ़ की सफाई कराने की मांग

2—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की छोटी सरजू नदी की सफाई कराने की व्यवस्था पर विचार करेंगे क्योंकि नदी के पट जाने के कारण प्रति वर्ष हजारों एकड़ भूमि की फसल पानी में डूब जाया करती है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

यह सही है कि छोटी सरजू नदी में बाढ़ आने पर हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है किन्तु अभी इसकी अभी सफाई कराने की कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है । इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

## आजमगढ़ विकास खंड, आजमगढ़ के अन्तर्गत कन्या पाठशाला व प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की मरम्मत

3--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के 'आजमतगढ़' विकास खंड के अन्तर्गत कन्या पाठशाला, रामपुर, अपर प्राइमरी पाठशाला, डोरवा वक्खनपुर एवं करनपुर सरैया के भवन का निर्माण कब और किस विभाग द्वारा हुआ है और क्या भवन की दशा अत्यन्त खराब है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामजी लाल सहायक--

कन्या पाठशाला रामपुर तथा प्राइमरी पाठशाला, करनपुर सरैया का भवन निर्माण 1973 में जिला परिषद् द्वारा खंड विकास अधिकारी के माध्यम से हुआ है। अभी उक्त दोनों स्कूल भवनों की दशा अच्छी है। अतः उनकी मरम्मत का प्रश्न नहीं उठता। अपर प्राइमरी पाठशाला डोरवा वक्खनपुर के संबंध में अभी जांच की जा रही है।

4--श्री जंग बहादुर--

[ 5वें मंगल में प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। ]

## गाजीपुर के जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों को देय छात्रवृत्ति का भुगतान

5--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों को 1972-73 ई० की छात्रवृत्ति नहीं मिली है? यदि हां, तो कब तक मिल जायेगी?

श्री रामजी लाल सहायक--

जी नहीं, गाजीपुर जनपद के जूनियर हाई स्कूलों के छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है।

6--श्री झिलमिट--

[ 5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। ]

## घरिहा ग्राम, गाजीपुर के अन्तर्गत ताल के पानी को निकालने की मांग

7--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, परगना पवोरा के अन्तर्गत ग्राम घरिहा के दक्खिन में एक ताल है और इस ताल के बरसाती पानी से कई गांव की 1000 एकड़ से अधिक फसल बरबाद होती है और बरसाती पानी जमा रहने से रबी की फसल नहीं बोई जाती? यदि हां, तो इस ताल के पानी निकासी पर क्या सरकार विचार करने की कृपा करेगी?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी हां। एक नाला बनाने की योजना बनाई जा रही है।

8--श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री शिव संपत्ति राम--

[ 8वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। ]

## जहानाबाद-अमौली तथा अमौली शहबाज, फतेहपुर की सड़कों का निर्माण-कार्य

9--श्री प्रेमदत्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहानाबाद अमौली रोड जिला फतेहपुर में मौजा बिसई से आगे अमौली तक जो गिट्टियां डाली गई थीं उन पर अब तक तारकोल की पेंटिंग न होने की क्या वजह है और कब तक इसे पूरा किया जावेगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला फतेहपुर में जहानाबाद-अमौली सड़क पर ग्राम बिरनई से आगे अमौली तक 4.2 किलोमीटर की लम्बाई में पत्थर की गिट्टी कुटी थी जिसमें शुरू के दो किलोमीटर (यानी किलोमीटर 8 तथा 9 पर) पेंटिंग हो गयी है तथा 10 वें किलोमीटर की पेंटिंग जुलाई, 1974 तक हो जाने की आशा है। शेष 1.2 कि० मी० की लम्बाई की पेंटिंग किये जाने का फिलहाल कोई प्राविधान नहीं है।

10—श्री प्रेमदत्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमौली-सहवाज रोड जिला फतेहपुर की सड़क कब तक पेन्टेड हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला फतेहपुर में अमोली शहबाज मार्ग की कुल लम्बाई 31.875 किलोमीटर है जिसमें से पहले 22.5 कि0 मी0 कंकड़ के हैं और बाकी 9.375 किलोमीटर में से 2.3 किलोमीटर, जो रिन्द नदी के पुल का पहुंच मार्ग है, को छोड़कर, 7.075 किलोमीटर की लम्बाई का नवनिर्माण स्वीकृत है। इस 7.075 किलोमीटर में से 5.575 किलोमीटर लम्बाई तक दिसम्बर, 1974 तक पेंटिंग हो जायेगी। श्रम की दरों तथा सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण इस मार्ग का पुनरीक्षित आगणन तैयार कराया जा रहा है तथा शेष 1.50 किलोमीटर लम्बाई पर पेंटिंग का कार्य पुनरीक्षित स्वीकृति के उपरान्त हो सकेगा।

11—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित।]

## क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षक परिषद् मेरठ के भवन का निर्माण

12—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षक परिषद्, मेरठ के नवीन भवन निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह भवन कब तक निर्मित हो जायेगा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

प्रस्ताव वर्ष 1974-75 में स्थगित रखा गया है।

## जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति

13—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि वर्ष 1973-74 में शिक्षा विभाग द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (एस0 डी0 आई0) के लिये विभागीय पदोन्नति के लिय जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रार्थना-पत्र अमंत्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी और उनमें से राजनैतिक पीड़ित अथवा उनके आश्रित कितने प्रतिशत लिये जायेंगे।

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों से वांछित विवरण प्राप्त होने पर नियुक्ति की जावेगी। 10 प्रतिशत पदों पर राजनैतिक पीड़ित के आश्रितों की नियुक्ति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

## संडीला नगरपालिका के प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतन का भुगतान

14—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संडीला नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को माह अप्रैल-मई, 1974 के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

नगरपालिका, संडीला के प्राथमिक शिक्षकों के अप्रैल व मई, 1974 माह के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

## तीन वर्ष की सेवा वाले प्रसार अध्यापकों का स्थायीकरण

15—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोरा (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन ने तीन वर्ष तक के निरन्तर राजकीय सेवा में चले आ रहे कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश के अन्तर्गत प्रदेश के प्रसार अध्यापकों को भी लिया है ? यदि हां, तो उन्हें स्थायी अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामजी लाल सहायक—

तीन साल तक निरन्तर सेवा में चले आ रहे राजकीय कर्मचारियों को स्थायी करने के कोई आदेश नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## गंगा नहर के कमांड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था

16—श्री राजपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगा की नहर के कमांड में जो भूमि है उसमें कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित करने की व्यवस्था कितनी पुरानी है और क्या आधुनिक परिस्थितियों में उक्त व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया ? यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यह परिवर्तन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

गंगा नहर के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत भमि को रबी की फसल में सुरक्षात्मक सिंचाई करने की व्यवस्था प्रायः 50 वर्ष पुरानी हैं और इस व्यवस्था में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव है ।

17—श्री शारदा प्रसाद रावत—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

## बस्ती जिले में फजिहतवा नाले पर लकड़ी के पुल की मरम्मत

18—श्री प्रभु दयाल (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद के बांसी-लुम्बनी सड़क पर फजिहतवा नाले का लकड़ी का पुल बहुत कमजोर तथा खराब हो गया है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां । पुल की मरम्मत कर दी गई है ।

## इटावा-कचौरा घाट सड़क का निर्माण

19—श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान इटावा-कचौरा घाट सड़क के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी और क्या उसके इस वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित होने की संभावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वर्ष 1973-74 के दौरान प्रश्नगत मार्ग निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं थी, लेकिन इस मार्ग पर 12 कि0 मी0 की लम्बाई में मिट्टी व पुलियों का काय टस्ट वर्क को योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में इस मार्ग का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर किया करेगा।

## राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां, स्थायीकरण तथा सेवा समाप्ति

20—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा) तथा श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में जुलाई, 1964 से जून, 1973 तक कितने प्रिंसिपल राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में नियुक्त किये गये, उनमें कितनों की सेवायें स्थायी की गईं और क्या उनमें से कुछ प्रिंसिपलों की सेवायें समाप्त कर गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जुलाई, 64 से जून, 73 तक 13 राजकीय पालीटेक्निक (इसमें राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय एवं अन्य पांच विशिष्ट संस्थायें सम्मिलित नहीं हैं) में 15 प्रधानाचाय वेतन-क्रम रु0 750-1400 पुनरीक्षित वेतन-क्रम रु0 900-1600 नियुक्त किये गये। उनमें से दो की सेवायें स्थायी की गई हैं। केवल एक प्रधानाचार्य श्री जे0 पी0 भार्गव की सेवाय समाप्त की गई हैं; (जून, 73 में) क्योंकि उनका कार्य एवं आचरण लगातार असंतोषजनक पाया गया था।

## खड्डा स्थित ट्यूबवेल, देवरिया का चालू किया जाना

21—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के खड्डा स्थित सरकारी ट्यूबवेल को चालू करने के विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

देवरिया जिले का खड्डा स्थित सरकारी ट्यूबवेल फेल हो गया है। इसके पुनः निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

## उस्का तेतरी सड़क, बस्ती का निर्माण

22—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में उस्का बाजार के तेतरी बाजार तक जो सड़क निर्माणाधीन है वह कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वर्ष 1973 में अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण यह मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था जिस पर सुधार का कार्य चल रहा है। आशा की जाती है कि यह कार्य दिसम्बर, 1974 तक समाप्त हो जायेगा।

## उप खंड-सलेमपुर, देवरिया के कर्मचारियों के चोरी गये वेतन का भुगतान

23—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के उप-खण्ड सलेमपुर के कर्मचारियों का माह अप्रैल, 1971 का वेतन जो चोरी चला गया था अब तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

जी हां ! कर्मचारियों के वेतन तथा यात्रा भत्ते की धनराशि जो चोरी हो गई उस धन को पुनः खजाने से निकालने के बारे में कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा ।

## बाराबंकी की प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन व साज सज्जा

24—श्री राम सेवक यादव, श्री मधुकर दिघे तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत कुछ ऐसी प्रारम्भिक पाठशालायें हैं, जिनके पास न तो स्वयं का भवन है और न किराये का भवन है, कुछ ऐसी प्रारम्भिक पाठशालायें हैं जिनके भवन निर्माण के लिये धन प्रदान किया गया और खर्च भी हो गया परन्तु इमारत अस्तित्व में नहीं आई तथा कुछ ऐसी प्रारम्भिक पाठशालायें हैं जिसमें न तो अध्यापकों के बैठने के लिये मेज-कुर्सी हैं और न विद्यार्थियों के बैठने के लिये टाट पट्टी है ? यदि हां, तो उसकी अलग-अलग संख्या क्या है और सरकार भवन निर्माण कराने तथा मेज-कुर्सी व टाट पट्टियों का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के सम्बन्ध में 9 जुलाई, 1974 को दी गयी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

कर्मचारियों आदि के वेतन तथा भत्ते जाम किये जाने के राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किए गये अध्यादेश के विषय में प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में कल विधान सभा में यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि क्या यह विधान सभा राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये किसी अध्यादेश पर चर्चा कर सकती है या उस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया गया था कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसके अनुसार ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती या कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं उठाया जा सकता ।

इस प्रश्न पर पूर्ववर्ती अध्यक्षों के निर्णयों तथा संवैधानिक स्थिति पर विचार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 208 की ओर आकृष्ट करूं जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली बनायी गयी है । उक्त अनुच्छेद 208 के अनुसार राज्य के विधान मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है परन्तु ऐसे नियम संविधान के उपबन्धों के अधीन ही बनाये जा सकते हैं । संविधान में की गयी व्यवस्था के अनुसार केन्द्र और राज्यों की विधायिका एवं कार्य-पालिका शक्ति का स्पष्ट रूप से वितरण है और यह भी व्यवस्था है कि एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा । यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो संविधान के विरुद्ध होगा ।

[श्री अध्यक्ष]

संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेशों को उक्त अनुच्छेद के खंड 2 के उप-खंड (क) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है और संसद को यह अधिकार है कि वे उनके सम्बन्ध में अनुमोदन का प्रस्ताव लायें और यदि ऐसे प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो वे अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं आते। राष्ट्रपति द्वारा उक्त अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड (1) के अधीन मन्त्रि-परिषद् की सलाह से किया जाता है और मन्त्रि-परिषद् अनुच्छेद 78 के खंड (3) के अन्तर्गत संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गयी है और इस शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में किया जा सकता है जो राज्य विधान मण्डल की विधायिनी क्षमता के अन्तर्गत आते हैं तथा अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल उसका प्रयोग मन्त्रि-परिषद् के परामर्श से करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक ही है, जिनके बारे में राज्य के विधान मण्डलों को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 164 (2) के अनुसार इस राज्य की मंत्रि-परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से अपने ऐसे कार्यपालिका सम्बन्धी कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी है। संविधान के भाग 11 में विधायिनी शक्तियों का वितरण दिया हुआ है, इसके अनुसार संविधान के सप्तम अनुसूची में राज्यसूची तथा सम्वर्ती सूची में उल्लिखित विषयों तक ही राज्य विधान मंडलों की विधायिनी शक्ति सीमित है और उसी हद तक कार्यपालिका की शक्ति का भी विस्तार है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्य में कार्य-पालिका एवं विधायिका का अधिकार क्षेत्र पृथक-पृथक है और राज्य संविधान के अन्तर्गत केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका और मंत्रि-परिषद् उन्हीं विषयों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, जिनके सम्बन्ध में उसे कार्यकारी शक्ति संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त है। जो विषय केन्द्रीय संसद की विधायिका शक्ति के अन्तर्गत और केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् की कार्य-पालिका शक्ति के अन्तर्गत आता है, उनके विषय में यह स्पष्ट है कि प्रदेश का मंत्रि-परिषद् उत्तरदायी नहीं हो सकता और केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये परामर्श के लिये राज्य का मंत्रि-परिषद् उत्तरदायी नहीं हो सकता न ही उसके सम्बन्ध में वह विधान सभा में कोई उत्तर ही दे सकते हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्न जब भी इस विधान सभा में उठे हैं तो उनके सम्बन्ध में यह निर्णय दिया गया कि केन्द्रीय विषय से संबंधित मामले इस विधान सभा में नहीं उठाये जा सकते।

अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहित संकलन (अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक) में दिये गये निम्नलिखित निर्णय इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं:—

(1) पृष्ठ 167–168, निर्णय संख्या 44 और 45 के अनुसार केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

(2) पृष्ठ 168 पर निर्णय संख्या 46 के अनुसार केन्द्रीय सरकार से संबंधित विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता किन्तु उसका प्रभाव यदि राज्य पर पड़ता हो तो सरकार द्वारा उस पर बयान दिया जा सकता है।

(3) पृष्ठ 170 पर निर्णय संख्या 51 में भी यह कहा गया है कि राज्य विधान सभा से असम्बद्ध विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

(4) पृष्ठ 182 पर निर्णय संख्या 87 के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किये गये कार्यों की आलोचना विधान सभा में नहीं हो सकती और न ही उस विषय में कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है।

(5) पृष्ठ 206 पर निर्णय संख्या 51 और 52 में इसी प्रकार प्रश्नों के सम्बन्ध में यह निर्णय है कि प्रदेश तथा प्रादेशिक सरकार से असम्बद्ध विषयों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं किये जा सकते और केन्द्रीय सरकार से संबंधित प्रश्न नहीं किये जा सकते।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 26 में भी यह स्पष्ट प्राविधान है कि प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषयों से संबंधित होने चाहिये, जिनके लिये शासन उत्तरदायी है।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली संविधान के उपबन्धों के अधीन ही है और केन्द्र और राज्य के कार्यकारी एवं विधायी क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। जब विधान सभा को ही राज्य के विधायी एवं कार्यकारी क्षेत्र के बाहर जाने की संविधान ने अनुमति नहीं दी है तो संविधान के अन्तर्गत और उसके प्राविधानों के अधीन रहते हुए बनाये गये नियम में किस प्रकार केन्द्रीय विषय के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा सकता है। नियमावली में व्यवस्था तो उन विषयों के सम्बन्ध में है जो विधान सभा में विचार के लिए आ सकते हैं। इस प्रकार माननीय नेता विरोधी दल द्वारा उठाया गया यह प्रश्न कि नियमावली में कोई नियम इस प्रकार की चर्चा में बाधक नहीं है, उपर्युक्त संवैधानिक स्थिति के अनुसार सही नहीं है क्योंकि जो कार्य हम संविधान के अन्तर्गत नहीं कर सकते वह कार्य विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत भी नहीं कर सकते चाहे नियमावली में कोई रोक न भी हो।

उपरोक्त संवैधानिक स्थिति एवं निर्णयों को देखते हुए, मैं अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों के निर्णयों से सहमत होते हुए, इस निश्चित मत का हूं कि इस विधान सभा में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये किसी अध्यादेश पर चर्चा नहीं की जा सकती और न ही उस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग को मानता हूं। लेकिन जितनी आपने पुरानी रूलिंग्स का हवाला दिया है उन सबमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति या केन्द्रीय सरकार के मामले के सिलसिले में प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है क्योंकि उसका असर हमारे सूबे की स्थिति पर पड़ता है। तो उस पर विवाद हो सकता है, तो यह आप स्वीकार कर दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने कल ही निश्चय कर दिया था कि जहां तक विवाद का सम्बन्ध है 2 घंटे की चर्चा हो सकती है, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, वह तो 2 घंटे की चर्चा का आदेश आपका कायम है ?

श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि आर्डिनेन्स के लागू होने के सम्बन्ध में यहां पर बहस नहीं हो सकती है इस बात का स्पष्टीकरण बहुत ही जरूरी है कि उस आर्डिनेन्स पर चर्चा हो सकती है या नहीं ? जहां तक रूलिंग्स की बात है, जो रूलिंग्स आपने सदन के सामने पढ़ी है उनमें सरकार

[श्री प्रभुनारायण]
के वक्तव्य की बात तो है, लेकिन उस आर्डिनेन्स पर बहस हो सकती है या नहीं, जो हमारी विधायिनी शक्ति के बाहर है जिस पर कि कोई विधेयक बनाने की बात है, उस पर चर्चा हो सकती है या नहीं—सवाल तो यह है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—
नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में कोई चर्चा इस आदरणीय सदन में इस नियमावली के अन्तर्गत नहीं हो सकती है. . .

श्री अध्यक्ष—
जब भी कोई प्रश्न उठेगा तो माननीय काशीनाथ मिश्र अपनी व्यवस्था के सारे पक्ष और और उसकी सारी प्रखरता को लेकर उपस्थित होंगे सदन के सामने अभी तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—
मैं अपनी व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, नियमावली का हवाला. . .

## कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—
कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी 10 जुलाई, 1974 की बैठक में निम्नलिखित विधेयकों तथा अन्य कार्य को सदन में लिये जाने हेतु समय निर्धारण की जो सिफारिश की है वह निम्न प्रकार है—

(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 19 4 पर विचार एवं उसका पारण—15, 16, 17 जुलाई, 1974 को प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे के बाद एक-एक घंटा बढ़ाकर।

(2) खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1974 पर विचार एवं उसका पारण—20 जुलाई, 1974 को 3 घंटे।

(3) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था जांच समिति का प्रतिवेदन, 1972—74—29 जुलाई, 1974 को 3 घंटे (आवश्यकतानुसार सायंकाल 5 बजे के बाद समय बढ़ाकर)

(4) असरकारी सदस्यों का कार्य—30 जुलाई, 1974

(5) दंड प्रक्रिया संहिता (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उसका पारण—31 जुलाई, 1974।

(6) उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक 1974, तथा

(7) भारतीय भागीदार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं उसका पारण—1 अगस्त, 1974।

(8) असरकारी सदस्यों का कार्य—2 अगस्त 1974।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा 10 जुलाई, 1974 को लिये गये निर्णयों को स्वीकार किया जाय।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

जो आपने अभी सिफारिशें सुनायी कि 29 तारीख को भूमि-व्यवस्था कमेटी की रिपोर्ट पर 3 घंटे की चर्चा रखी है, तो जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ही गंभीर बातें हैं और बहुत विस्तृत सूचनायें हैं। 3 घंटे की बहस से काम निकलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें कहा गया है कि आवश्यकतानुसार 5 बजे के बाद समय बढ़ाकर भी बहस होगी।

प्रश्न यह है कि कार्य-मन्त्रणा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## क्लार्क्स अवध होटल के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब वक्तव्य होगा।

(श्रम मन्त्री के उपस्थित न होने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

आज मन्त्री लोग छुट्टी मना रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

खेद की बात है कि मन्त्री उपस्थित नहीं हैं।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दूसरे सदन में उत्तर दे रहे हैं, वह आते होंगे।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

खेद प्रकाशन से काम नहीं चलेगा, सरकार को प्रतारण की आवश्यकता है। सदन का सम्मान करने के लिए सरकार तैयार नहीं है।

## निगमों से सम्बन्धित प्रश्नों को अस्वीकृत कर देने के सम्बन्ध में शिकायत

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं आपकी इजाजत से दो प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहला तो यह कि जैसा कि सदन को याद होगा, नत्थूपुर बाई-इलेक्शन के सिलसिले में मैंने यहां प्रश्न उठाया था कि 40 मिनट तक काउंटिंग के समय बिजली बुझायी गयी और जो अपोजीशन के एजेंट्स थे कैंडीडेट के जिनमें दो एम० एल० ए० भी थे उनको बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया और बिजली गायब रही जबकि बाहर सड़क पर,अहातों में,दुकानों पर बिजली बराबर जल रही थी और वहां अंधेरे में काउंटिंग हो रही थी, बिजली बुझी रही। तो मैं उस प्रश्न को उठाना चाहता हूं। आपने उस पर यह रूलिंग दी थी कि जो प्रश्न उठाया जा सकता है एलेक्शन कमीशन के सामने, वह यहां न उठाया जाय केवल बिजली से मुताल्लिक सवाल उठाया जाय।

मैंने उसके सिलसिले में और भी बातें कही थीं। तो मैंने सवाल आपके यहां भेजा था तो आपके यहां से वह सवाल रिजेक्ट हो गया इस बिना पर कि वह एलेक्ट्रिसिटी बोर्डके परव्यू में आता है और क्योंकि वह अलग एक बोर्ड है उसकी परव्यू में आता है इसलिये प्रश्न नहीं आ सकता। तो सवाल यह उठता है कि इस बोर्ड को रुपया हम देते हैं, रुपया सदन की तरफ से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

दिया जाता है और वह रुपया टैक्स के जरिये से रेज किया जाता है तो जिम्मेदार उसके लिये लेजिस्लेचर हुआ, लेकिन बोर्ड किस प्रकार से फंक्शन करता है उस पर सदन में प्रश्न नहीं किय जा सकता । तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जनता की शिकायत हो तो हम गवर्नमेन्ट के सामने उस शिकायत को नहीं ला सकते क्योंकि वह बोर्ड अटोनामस है । तो इस प्रकार से इस सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे । इसी प्रकार के और भी निगम हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट निगम है उसमें भी जब शिकायत लोगों को होती है तो यहां भी माननीय सदस्य उसके सिलसिले में उसी रूलिंग के अनुसार प्रश्न नहीं कर सकते ।

एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ट्रांसपोर्ट निगम हैं उसके सिलसिले में मुझे दो माननीय सदस्यों ने बतलाया कि अब गवर्नमेन्ट ने यह तय किया है कि पुलिस को छोड़कर हर मुहकमे का निगम बना दिया जावे । उसके सिलसिले में मैंने जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोलते हुए जो बातें कही थीं उसका उत्तर देते हुए मुख्य मन्त्री जी ने जो उनका अपना तरीका है, सब इरेलेवेंट बातें कहीं और जो मैंने रेलेवेंट बातें कही थीं उनमें से उनका एक भी उत्तर नहीं आया । अब जब आगे मौका मिलेगा तो उनकी बातों का उत्तर दूंगा, लेकिन मैंने उस दिन भी जब जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी बात कही थी 'कहा था कि सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को यदि निगम ही बना देंगे तो फिर इस सदन की जरूरत ही क्या है । पुलिस और जेल जैसा मुहकमा है कि उसका निगम नहीं बन सकता वरना प्रायः हर चीज का निगम बनाया जा रहा है । इससे सिवाय इसके कि काम में डिले होगा और करप्शन बढ़ेगा, वेस्टेज होगा । आप कहते हैं कि वे अलग से कर्ज ले सकते हैं । ठीक है, वह इसका एक पहलू है, लेकिन उससे ज्यादा उसके दूसरे पहलू भी हैं । मैं उसकी बहस में इस वक्त जाना नहीं चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सूबे के लोगों ने सेवा करने की जिम्मेदारी इस माननीय सदन के सुपुर्द की है और सदन के माननीय सदस्यों का पार्लियामेन्टरी सेटअप में सबसे बड़ा हक जो है, जो प्रिविलेज है वह है इंटर पोलेशंस, क्वेश्चन्स और सप्लीमेन्टरीज और वह भी आपके यहां से रिजेक्ट हो जाते हैं । तो फिर आप बतलाइये कि क्या इलाज है ? किस तरीके से इस माननीय सदन के माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं? क्या हम सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं निरर्थक ही बैठे रहें ?

जो ट्रेजरी बेंजस के माननीय सदस्य हैं उनको कुछ थोड़ी-सी सुविधायें हैं वह अपने मिनिस्टरों से कह सकते हैं और किसी भी कारपोरेशन के लोगों से कह सकते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह बैठे हुए हैं वह मिनिस्टरों से किसी चीज के लिये कहने जाना नहीं चाहते, या नहीं कह सकते हैं या कहें भी तो उनकी बात कम सुनी जायगी । तो पब्लिकली, क्योंकि यहां की कार्यवाही पब्लिक है तो गवर्नमेन्ट से पूछ सकते हैं आपका ऐसा कहना है । अब अगर यह भी हो गया कि सवाल भी नहीं कर सकते तो लाभ क्या हुआ ? एक बड़ा प्रश्न यह है कि निगम लेजिस्लेचर के प्रति एकाउंटेबिल नहीं है, जबकि लेजिस्लेचर निगम के प्रति एकाउंटेबिल है और यहां पर उसके प्रति प्रश्न भी नहीं हो सकते । तो आप चाहे गवर्नमेन्ट से पूछिये या स्वयं ही कोई मार्ग निकालिये कि हम लोगों के लिये यहां अपने कर्तव्यों को निभाने का क्या मार्ग रह जाता है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, चौधरी साहब ने एक बहुत गंभीर और बड़े महत्व का प्रश्न उठाया है । समय-समय पर जब यह चर्चा निगमों के विषय में आयी तो यह विचार व्यक्त किया गया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से धीरे-धीरे बरी होती जा रही है और होना चाहती है । अभी हमारे बहुगुणा जी ने इलाहाबाद में चुनाव के सिलसिले में कहा है कि विपक्ष बेकार है, विरोधी दल के लोग बेकार हैं केवल आलोचना करते हैं और आलोचना से बचने के लिये ही हर चीज को निगम बनाया जा रहा है । अभी उस दिन प्रश्नों के दौरान मैंने आपसे निवदन किया था कि ये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कीड़े-मकोड़े का भी निगम बना देंगे ताकि इनकी कोई जिम्मेदारी न रह जाय और कोई आलोचना करने वाला न रह जाय। निगम आटोनामस बाडी है, उसकी कोई पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी नहीं है, हम कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं जिनसे पब्लिक का कोई सम्बन्ध न रह जाय। आखिर वह कौन सा समय आयेगा कि जब हम उनको यहां लाकर खड़ा कर सकेंगे? आप इस पर रूलिंग दें और इस पर विचार करें। यह बहुत महत्व का प्रश्न है वरना एक भी प्रश्न ऐसा हमारे सामने नहीं रह जायगा जिसके बारे में हम सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकें।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, कोई प्रश्न स्वीकार हो या न हो वह आपका निर्णय होता है। उसमें शासन से जब कोई कठिनाई आती है कि कोई अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है उसको अल्पसूचित के रूप में उत्तर नहीं दिया जा सकता, इस प्रकार की सुविधा हम कभी-कभी आपसे मांगते हैं। यह भी हो सकता है कि कदाचित् कभी कोई विशेष परिस्थिति में किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गयी तो इस तरफ आपके कार्यालय का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता में, अपनी गुरुता में, अपनी महिमा में आप किसी प्रश्न को उचित या अनुचित समझते हैं, कितना संशोधित करना चाहते हैं यह आपके ऊपर है। इसमें हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि किसी प्रकार दखल दें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस शासन ने नहीं बनाया है। वह तो पहले से ही बनी हुई संस्था है और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो सम्मानित नेता विरोधी दल उस समय सरकार की शोभा बढ़ाते थे....

चौधरी चरण सिंह--

यह आपको क्या मालूम कि कैबिनेट में मेरी क्या राय रही थी?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके विरोध में किया होगा? जबकि सारे प्रदेशों में वह बने हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज कोई नयी संस्था नहीं बनी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सवाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में नहीं होता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

विरोधी दल के नेता ने कैबिनेट में क्या कहा वह तो ज्वाइंट रेस्पांसिबिलटी है। आपका कहना तो यह है कि रोज-रोज बोर्ड बनते जा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा निवेदन यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई आज बनी हुई संस्था नहीं है। मुझे बिजली विभाग दो साल, दो महीने सम्हालने का मौका मिला। नित्यप्रति बिजली के बारे में सवाल हुए हैं, उत्तर दिये गये हैं और दिये जायेंगे। अब प्रश्न यह है कि किसी प्रश्न को डिटेल का प्रश्न मानकर आप अगर उसको अस्वीकृत कर दें वह अलग बात है। इस प्रश्न पर क्या हुआ फाइल पर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान) हमारा निगम बनाने का बिल्कुल यह तात्पर्य नहीं है कि पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी निगमों की न रहे। एक-एक पाई का हिसाब कारपोरेशन को देना होगा और इस सदन के सामने रिपोर्ट रखनी होगी। अभी मैंने परसों ही सीमेंट कारपोरेशन की रिपोर्ट यहां पर रखी थी। टेक्सटाइल कारपोरेशन की रिपोर्ट यहां पर रखी थी। उनकी बैलेन्टशीट उपलब्ध है, उनका आडिट होता है। इसीलिये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इस सदन की काम करती रही है, दूसरे सदन की काम कर रही है और अभी हाल ही में हमने प्रस्ताव पारित किया कि हम पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी बनायेंगे जो दूरबीन से प्रत्येक पब्लिक अन्डरटेकिंग की जांच करेगी जसे पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी करती है। उसी शक्ति के साथ इस सदन की सम्यक् बुद्धि का उपयोग करत हुए वह इन अन्डरटेकिंग की जांच करेगी हमने यह व्यवस्था की है। तो श्रीमन्, प्रश्नों के बारे में आपका जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

चौधरी चरण सिंह—

स्पीकर साहब के दफ्तर से इस तरह के सवाल रोज रिजेक्ट होते हैं यह कह कर कि यह निगम से संबंधित है। माननीय नारायणदत्त तिवारी के भाषण से मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से अन्य विभागों के प्रश्न स्वीकार होते रहे हैं, इनके बारे में भी अब स्वीकार होंगे और आप उनकी इजाजत देते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 28 (12) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो इस प्रकार है—"उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्धस्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके और शासन के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के मांग होने से संबद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखते हों," इसी नियम के अन्तर्गत कोई प्रश्न अस्वीकृत किया गया होगा। इसमें व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है, नियमों का प्रश्न है। माननीय नेता, विरोधी दल, ने जिस प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया है, हो सकता है असावधानी हुई हो, उसको हम फिर देख लेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

सवाल यह है कि जब आपके दफ्तर से प्रश्न यह कह कर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ··

(व्यवधान)

एक सदस्य—

हजारों सवाल रोज इस तरह के हमारे भी अस्वीकृत होते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर दैनिक प्रशासन से संबंधित होगा तो अवश्य अस्वीकृत होगा। (व्यवधान) नियमों की जो स्थिति है वह मैंने बतला दी। आप चाहें तो इस नियम को बदल सकते हैं। अब इस मामले को तो हम बाहर रख सकते हैं, व्यवस्था का कोई प्रश्न इसमें निहित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

रोज-रोज निगम बनते जा रहे हैं....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। (व्यवधान)

## क्लार्क्स अवध होटल के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम 5 शुरू होगा (श्रम मन्त्री जी से) माननीय श्रम मन्त्री जी, आप विलम्ब से आये, यह ठीक नहीं है।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का सवाल है...

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

श्रीमन्, देरी के लिये मैं सदन से क्षमा चाहता हूं।

उक्त प्रतिष्ठान के सेवायोजकों के द्वारा अपने एक परिवीक्षाकाल पर नियुक्त टेलीफोन आपरेटर श्री आलोक चन्द्र बहुगुणा को, जिनका परिवीक्षाकाल 6 जुलाई, 1974 को समाप्त होना था, दिनांक 1 जुलाई, 1974 को एक नोटिस इस आशय का दिया गया कि परिवीक्षाकाल

में उनका कार्य संतोषजनक नहीं था तथा परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उनकी सेवाओं की आवश्यकता प्रतिष्ठान को नहीं रहेगी।

सेवायोजकों के इस आदेश की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों को काम पर जाने में बाधा डाली, अतएव वे काम पर न जा सके। कुछ कर्मचारी स्वेच्छा से भी कार्य पर नहीं गये। ऐसे कुल कर्मचारियों की संख्या दिनांक 4 जुलाई, 1974 को लगभग 50 तथा दिनांक 5 जुलाई, 1974 को लगभग 95 थी। श्रम विभाग के हस्तक्षेप से स्थिति सुधर गई। स्थिति 7 जुलाई, 1974 को सामान्य हो गयी। लिखित रूप से खेद प्रकट करके कर्मचारी काम पर वापस आ गये।

यह सही नहीं है कि प्रतिष्ठान ने कोई तालाबन्दी की, अतएव किसी के बेरोजगार करने का प्रश्न नहीं उठता। शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को उनके देय वेतन इत्यादि समय से नहीं मिलते, अथवा उन्हें अवैधानिक तरीके से निकाल दिया जाता है।

फूड ऐंड ड्रिंक वर्कर्स आफ उत्तर प्रदेश नामक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने दिनांक 5 जुलाई, 1974 को सायंकाल प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के बारे में एक मांग-पत्र सहायक श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया परन्तु वार्ता के लिये वे दिनांक 8 जुलाई, 1974 को सहायक श्रमायुक्त के सम्मुख उपस्थित न हुए। इसके विपरीत प्रतिष्ठान की यूनियन, जो पंजीकृत नहीं है, होटल क्लार्क्स अवध कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी तथा पांच अन्य पदाधिकारियों ने दिनांक 6 जुलाई, 1974 को एक सूचना जारी की कि प्रतिष्ठान में तालाबन्दी नहीं है और न कोई कर्मचारी बेरोजगार हुआ है।

स्थिति पूर्णरूप से सामान्य तथा शान्तिपूर्ण है। प्रतिष्ठान का कार्य सुचारुरूप से चल रहा है। नगर के कर्मचारियों में कोई उत्तेजना एवं आतंक नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, जैसा अभी मन्त्री महोदय ने बताया उसमें लिखा है कि फूड एंड ड्रिंक्स वर्कर्स आफ उत्तर प्रदेश नामक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने दिनांक 5 जुलाई, 1974 को सायंकाल प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के बारे में एक मांग-पत्र सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया तो उस मांगपत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जो मुख्य मांगें हैं, वह यह हैं:--

(अ) निकाले गये अथवा बैठाये गये समस्त श्रमिकों को बेकारी के दिनों के हरजाने के साथ अखंड नौकरी के साथ कार्य दिलाया जाय।

(ब) अतिरिक्त कार्य को बंद कराया जाये और किये गये कार्य का श्रमिकों को समुचित मुआवजा दिलाया जाये।

(स) हाउस रेंट कम से कम 10 परसेंट दिलाया जाय।

(द) सर्विसिंग चार्जेज 17 परसेंट दिलाये जायं।

(क) अधिक महंगाई के कारण रु० 100 प्रति श्रमिक अंतरिम सहायता दिलायी जाय।

(ख) विश्रामगृह का तुरन्त प्रबन्ध कराया जाय।

(ग) साइकिल स्टैंड बनाया जाय।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

(घ) कैंटीन की दशा एवं स्वच्छता में सुधार किया जाय ।

(च) तालाबन्दी शीघ्र खुलवाई जाये, निकालने तथा बैठालने के प्रबन्धकों के आदेश रद्द किये जायं ।

(छ) श्रमिकों के साथ प्रबन्धकों का अनुचित एवं अवांछनीय व्यवहार बन्द कराया जाय ।

(ज) महंगाई भत्ते में स्केल वाइज वृद्धि की जाय ।

श्री गोविन्द सिंह मेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस कर्मचारी को निकाला गया था, क्या यह सही है कि वह कर्मचारी यूनियन का पदाधिकारी था और उसको विक्टीमाइज करने के लिए नौकरी से निकाला गया । क्या इसकी जांच करायी जायगी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मैंने तो पहले ही कहा है कि उनकी कोई यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है और जिस कर्मचारी को निकाला गया उसको परिवीक्षा पर रखा गया था । परिवीक्षाकाल में कर्मचारी का काम संतोषजनक नहीं था, इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रतिष्ठान के यह फूड ऐंड ड्रिंक वर्कर्स आफ उत्तर प्रदेश नामक यूनियन ने जो मांग-पत्र दिया था वह मांग-पत्र आने के बाद सरकार ने होटल क्लार्क्स के मालिक से क्या इस सम्बन्ध में निर्णय कराया और उन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने शायद पूरा वक्तव्य सुना नहीं । 5 जुलाई को उनका मांग-पत्र सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ को यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने दिया । परन्तु 8-7-74 को सहायक श्रमायुक्त 4 बजे सायं पार्टी से मिले किन्तु संघ के जनरल सेक्रेटरी वहां नहीं गये ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

वह नहीं आये थे किन्तु मांग-पत्र तो आपके सामने था । आपने क्या निर्णय लिया ? होटल के मालिक ने क्या किया?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैं फिर कहूंगा कि माननीय सदस्य ने वक्तव्य नहीं पढ़ा । उसमें साफ दिया है कि कोई तालाबन्दी नहीं थी । दिनांक 4 और 5 जुलाई को कुछ आदमियों ने हड़ताल किया । दिनांक 6 जुलाई को सारा मसला तय हो गया ।

*श्री त्रिवेणी सहाय--

दिनांक 4 जुलाई को हड़ताल होती है और जिसमें 50 व्यक्ति शामिल होते हैं । दिनांक 5 को 25 व्यक्ति हड़ताल में जाते हैं किन्तु वक्तव्य में कहा गया है कि शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को उनके देय वेतन इत्यादि समय से नहीं मिलते अथवा उन्हें अवैधानिक तरीके से निकाल दिया जाता है । मान्यवर, यहां व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो मांग-पत्र जनरल सेक्रेटरी ने प्रस्तुत किया उनमें उन्हीं मुद्दों पर कहा है कि हमको निकाल दिया जाता है, तथा तालाबन्दी है । अतः तालाबन्दी को हटाया जाय ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कहां व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ? कहां संविधान टूट रहा है ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, इन्होंने जानकारी गलत दी है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप सवाल करें। कहां व्यवस्था का नियम टूटता है या कहां संविधान के विपरीत कोई कार्य हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो व्यवस्था दी जा सकती है अन्यथा नहीं। हम इस पर व्यवस्था नहीं देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, वहां के मजदूरों की मांगें कुछ हद तक हमें जायज दिखाई देती हैं। क्या उनकी मांगों पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, यदि उनकी कोई शिकायत नहीं है तो जानकारी क्या होगी। पहली शिकायत 5 जुलाई को सहायक श्रमायुक्त को फूड ऐन्ड ड्रिन्क वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी द्वारा प्राप्त हुई और सहायक श्रमायुक्त ने उनको 8 जुलाई को बुलाया। परन्तु वे 8 तारीख को वहां नहीं गये। इसके अलावा वहां कोई जानकारी नहीं थी। स्थिति पूर्णरूप से सामान्य तथा शांतिपूर्ण है और कार्य सुचारुरूप से चल रहा है।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 10 जुलाई, 1974 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 7 (सात) सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की बलिया और गाजीपुर तथा बिहार के सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों की आतंकपूर्ण गतिविधियों के बारे में है जिसको हमने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 300-400 की संख्या में नक्सली लोग मार्च करते हैं जिससे वहां के निवासियों में आतंक फैला हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

इसको कह दिया कि हमने वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। दूसरी सूचना देवरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान न खुलने तथा राहत कार्य न होने से जनता में असन्तोष।

तीसरी सूचना प्रदेश में कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा पानी का प्रबन्ध न होने से जनता में असन्तोष।

चौथी सूचना उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों एवं विद्वानों के बेरोजगारी से जनता में व्याप्त असन्तोष।

पांचवीं सूचना इटावा में ग्रामीणों के अस्लाह लाइसेन्सों को जिला अधिकारी द्वारा रद्द कए जाने से जनता में असन्तोष।

[श्री अध्यक्ष]

एक और है। माननीय राजेन्द्र कुमार गर्ग ने नोटिस दी है कि 80 फैक्टरियों को प्रदेश से बाहर ले जाने के कारण असन्तोष है। यह भी केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मैंने भी दिया है कि विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक आये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

एक स्वीकृत हो गया। फिर दूसरे दिन दीजिएगा।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

इटावा जिले के बारे में दिया था।

श्री अध्यक्ष—

उस पर आप प्रश्न करें। एक कार्य-स्थगन का बाबूलाल वर्मा जी ने दिया है। तो इस पर प्रश्न करें।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

बाबूलाल जी ने जो दिया है वह मामूली बात नहीं है। अब सूबे में अकाल पड़ने की सम्भावना हो गई है। सदन यह जानने का इच्छुक है कि गवर्नमेंट उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

इन्होंने इसको सीमित कर दिया है। इसमें है कि प्रदेश में अवर्षण के कारण चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है। फसल की बुआई पिछड़ गई होने के कारण गम्भीर खाद्यान्न संकट की दशा पैदा हो रही है। नहरें सूखी पड़ी हैं। नलकूप पानी देने में अक्षम हैं। इस संकट के सुधार हेतु सरकार कोई कारगर योजना नहीं बना रही है। अस्तु मैं सदन का कार्य स्थगित करने की सूचना देता हूं। जो स्थिति है वह महत्वपूर्ण है। दो-चार इस पर और आ जायं। यह मालूम हो कि पूरे प्रदेश भर में यह स्थिति है। अगर आप चाहते हैं तो बहस के लिए हम समय दे देंगे।

चौधरी चरण सिंह—

अगर किसी मित्र की तरफ से प्रस्ताव न भी आया हो तो भी हमारे प्रदेश में कहीं-कहीं छुट-पुट बूंदें पड़ी हैं। वर्षा नहीं हो रही है। हो सकता है किसी एक आधा हिस्से में हो गयी हो। 10 जुलाई हो गई और अब तक बारिश नहीं हुई। अकाल की सम्भावना हो गई है। सदन हकदार है और इच्छुक है यह जानने के लिए कि सरकार इस अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कर रही है। अगर दस-पांच दिन बीत गये आज जो काम कर सकते हैं वह फिर नहीं कर सकेंगे। सरकार की तरफ से कुछ चीज आये तो विपक्ष की तरफ से लोग सुझाव देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसमें मैं बहस के लिए समय देना चाहता हूं। सरकार की तरफ से न भी बयान आये तो भी मैं दो घन्टे की बहस दे दूंगा।

श्री भारत सिंह चौहान—

इटावा के सम्बन्ध में दिया था। पूरे गांवों में किसानों के घरों में लूट मची हुई है। लोगों के बन्दूक के लाइसेंस छीन लिए हैं।

श्री अध्यक्ष—

उस पर प्रश्न करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

नियम 51 में कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

अभी नियम 51 को नहीं ले रहे हैं । वह अन्त में आयेगा तब कहियेगा ।

(व्यवधान)

51 पर जब आये तो कहें । यह तो अभी 56 पर है ।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

एक देवरिया जिले का है । लोग भूख से मर रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं.....

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर ....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपने दल के माननीय सदस्यों को समझायें ।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय सदस्यों को कोई शिकायत नहीं रहेगी, अगर उनको शार्ट नोटिस क्वेश्चन की इजाजत दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

हां-हां ।

## पाठ्य पुस्तक प्रकाशकों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में सुझाव

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

निगम के बारे में भी मैंने कहा था, लेकिन श्रम मन्त्री जी आ गये और मान्यवर, आपका ध्यान उधर आकर्षित हो गया ।

दूसरा प्रश्न है बच्चों के लिए टेक्स्ट बक्स की उपलब्धि का । पहली अगस्त तक के लिए स्कूल और कालेजेज टाल दिए, सरकार ने । लेकिन जिस वक्त यह सवाल आया था उस वक्त शिक्षा मन्त्रीजी ने कहा था कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बिठलाई हुई है । यह काम फरवरी में होना चाहिए था । उसको तब न करके, देर में जागे हैं । जो समस्या सामने खड़ी थी, तब आंख मीच ली और जब वह सर पर आ गयी है, तो हल करने चले हैं । मैं कहता हूं कि यह पहली अगस्त तक भी नहीं हो सकेगा ।

मान्यवर, प्रकाशकों के 2 नुमायन्दे मुझसे मिले थे और मैं आपके जरिए माननीय वित्त मन्त्री जी और उनके साथियों को बताना चाहता हूं कि वे नमायन्दे मेरे सामने फूट-फूट कर रोने लगे । उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबिले में तीन गुने कागज और स्याही के दाम हो गए हैं । माध्यमिक शिक्षा परिषद्, या कोई, उन्होंने कमेटी बिठलाई है और उन्होंने रिकमेन्डेशन की, इन्क्वायरी की, कि कुछ किस्म की किताबों के दाम 28 प्रतिशत बढ़ने चाहिए, कुछ के 60 प्रतिशत कुछ के 65 प्रतिशत और कुछ के 75 प्रतिशत गवर्नमेंट ने 50 प्रतिशत तय किया । यह प्रश्न उठाया और ठीक था । अब चीफ मिनिस्टर ने यह वक्तव्य दिया 28 जून को । दो पृष्ठ का है । अगर मान्यवर, इजाजत दें तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप सारांश सुना दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी चरण सिंह—

जो पिछले दाम थे, वही रहेंगे। 69–73 के दाम मुकर्रर कर दिये। अब कागज और स्याही के दाम बढ़ गये हैं। मान्यवर, वे दे नहीं सकते, तो जेल जायं, उनका स्टाक ले लेंगे। मैं कहता हूं कि आप पहली अगस्त तक स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है, बच्चों को सस्ती किताबें मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों की समस्या का भी खयाल रखना चाहिए। उन प्रकाशकों से यह कहा गया कि हम कुछ नहीं जानते। तुमको पुरानी कीमतों पर किताबें देनी पड़ेंगी। गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए पुराने दामों पर टैक्स्ट बुक सप्लाई करें, लेकिन प्रकाशकों को हुक्म देना कि नहीं, पुराने दामों पर दें, नहीं तो जेल भेज देंगे, स्टाक बर्बाद कर देंगे, इससे समस्या का हल नहीं हो सकता है। दोनों पक्षों का सुनकर सोल्यूशन निकालना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमको धमकाया गया। जेल की धमकी दी गई। कहा गया कि देश की सेवा का सवाल है। ठीक है। थोड़ी-सी सेन्टीमेन्टल बात हो गयी। वक्तव्य हो गया। लेकिन वे कहते हैं कि हम बरबाद हो जायेंगे। वे रोने लगे। मेरे कहने का मतलब है कि केवल यह हुक्म देना कि इतने दामों पर देना पड़ेगा, या पहली अगस्त तक नहीं दिया तो जेल भेज देंगे। सारी किताबें छीन लेंगे। मैं कहता हूं कि फिर भी कालेज पहली अगस्त तक नहीं खुल सकते। इसके लिये, हमें मिलकर कोई हल निकालना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट के सदस्य हैं, उनसे, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से किसी समस्या का हल नहीं होता। आर्डर दे दिया ऐण्ड इट मस्ट बी कैरिड आउट। इसमें दूसरी पार्टियां भी इनवाल्व हैं। उनके पक्ष को भी सुनें और जो बात सही हो, उसको सुनें और तब जितना सम्भव हो, बच्चों को सस्ते दामों पर किताबें दें। यह मेरा सुझाव है।

वित्त मन्त्री जी बैठे हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या वह इस पर विचार करने को तैयार हैं या नहीं ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय नेता विरोध दल ने जो कहा है हमारा प्रयास यह है कि सस्ते दामों पर छात्रों को किताबें तथा कापियां मिल सकें। जो दो प्रतिनिधि उनसे मिले हैं अगर उचित समझें माननीय नेता विरोधी दल तो उनको हमारे पास भेज दें तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

## 1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या 60—सड़कें तथा पुल, अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—सार्वजनिक निर्माण

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाल वर्ष में अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,62,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने बाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—सड़कें तथा पुल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,53,46,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,51,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,73,41,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,54,12,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,04,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,72,59,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए 100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय और राष्ट्रीय सड़कों का पुनर्निर्माण रख-रखाव और नई सड़कों का निर्माण, सुधार और रख-रखाव किया जाता है। इसके अलावा विभाग के भवनों के अलावा सिंचाई, वन, स्वायत्त शासन के भवनों को छोड़कर और जिनकी लागत 20 हजार से ऊपर हो उनका भी निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

वैसे हमारे प्रदेश में सड़कों की कमी है। पिछली चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रदेश में 29,200 किलोमीटर सड़कें थीं जो कि उसके अन्त में बढ़कर 34,280 किलोमीटर हो गयीं और आशा है कि वह 36,000 किलोमीटर हो जायेंगी क्योंकि क्रैश कार्यक्रम के मातहत जो सड़क बनी हुयी हैं उसकी पूरी सूचना हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपलब्ध नहीं है। पिछले वर्षों में तो माननीय अध्यक्ष जी, आप और माननीय सदन को भी ज्ञात है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाई जा सकें इस तरह की शासन की मंशा रही और खासतौर से पिछले दो वर्षों में तो बहुत अधिक काम हुआ। मान्यवर, आपको मालूम है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 1,325 किलोमीटर सड़कें बनी थीं, लेकिन चौथे वर्ष में कच्ची और पक्की दोनों सड़कें मिलाकर 3,945 किलोमीटर सड़कें बनीं उसमें से केवल पक्की सड़क 1,456 किलोमीटर बनी थीं। इसके अलावा पुनर्निर्माण का कार्य भी हुआ 786 किलोमीटर सड़कों का। 1973-74 में हालांकि जैसा कि अभी प्रश्नों के समय में भी आया था। कुछ दिन राष्ट्रपति शासन में पैसे की कमी के कारण कार्य रुका हुआ था, साल में केवल 7 महीने ही काम हुआ, 5 महीने काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1972-73 में जितना काम हुआ उससे कहीं ज्यादा काम 1973-74 में केवल 7 महीने में हुआ। सारी सड़कों की लम्बाई कच्ची और पक्की मिलाकर 3,957 किलोमीटर बनी और उसमें से पक्की सड़क 2,455 किलोमीटर बनी जबकि 1972-73 में पक्की सड़कें केवल 1,456 किलोमीटर थीं।

इसके अलावा 22 पुलों का निर्माण किया गया। किन्तु जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 1973-74 में राष्ट्रपति शासन में पैसे की कमी के कारण काम रुका रहा। नवम्बर में सरकार आई। केन्द्रीय सरकार से भी प्रयास किया गया और वहां से भी 5 करोड़ 80 लाख रुपया मिला। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि राष्ट्रपति शासन काल में जो कार्य रुके हुए थे वे पुनः शुरू कर दिये जायं जिसके फलस्वरूप सारे प्रदेश में सभी जगह वे काम शुरू कर दिये गये हालांकि काम शुरू होने के बाद जनवरी में जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल भी हुई लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि इतना ज्यादा काम हुआ और कच्चा-पक्का काम दोनों को जोड़ लें तो जहां 3 वर्षों में 1,325 किलोमीटर सड़कें बनी थीं, इधर चौथी पंचवर्षीय योजना के चौथे और पांचवें वर्ष में कच्ची और पक्की मिलाकर 8 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ, जिसकी मिसाल कम मिलेगी। श्रीमन्, जो कच्ची सड़कों का कार्य किया है 1972-73 में खासकर जब सूखे का भयंकर प्रभाव था, उस समय शासन ने निश्चय किया कि प्रदेश में हर जगह, जितने भी लोग बेकार हों और जिनके पास साधन न हो जीवन निर्वाह के लिए उनको काम दिया जाय। इस सिलसिले में सड़कों के निर्माण का ज्यादा से ज्यादा कार्य हुआ और कोई सीमा नहीं थी, श्रीमन्, क्योंकि जब बेकारों को काम देने का मुख्य ध्येय था, तो यह सीमा कैसी।

यह बात हमारे पुराने माननीय सदस्यों को मालूम है और अध्यक्ष जी, आपको भी मालूम है, जहां भी जमीन मिले और काम करने वाले आदमी मिलें, वहां पर सड़कों का निर्माण हो जाए---यह हमारे सामने लक्ष्य था। साथ ही जो कागज बहुत दिनों में पहुंचता है, वह रास्ता छोड़ा। जो हमारे साथ गया, सीधे लिखकर दे दिया, जो भी मेरे पास आया, उसको सीधे लिखकर दे दिया। यह है कि उतनी सड़कें नहीं बनीं। क्योंकि उसमें शर्त थी कि जहां जमीन हमें मिलती थी और काम करने वाले आदमी हमें मिलते थे वहां तो निर्माण हो जाता था, और कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ है कि जिले में और खंड में जहां अधिक काम हो गया और उस पर अभियन्ता उसका निर्माण नहीं करा सके। चूंकि, उस योजना के समय जो हमारा लक्ष्य था कि गांवों में सूखे की वजह से जो लोग बेकार हैं उन्हें खाना मिल सके, तो उसमें किसी दल का सवाल नहीं था। कभी किसी दल का हमने सवाल नहीं पैदा

किया। जो भी, जिस दल का मेरे पास आया, उसको लिखकर दे दिया। जहां कहीं इंजीनियर ने इंकार किया, उसको भी देखा।

सन् 73–74 में नई सरकार बन जाने के बाद, गांवों में कुछ बेकारी है, इस दृष्टि से प्रदेश ने अपने फण्ड से कुछ पैसा दिया था और उससे भी कुछ काम हुआ और जैसे ही जनवरी में पैसा मिला, जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल हो गई, फिर भी 97 करोड़ रुपया व्यय हुआ और उससे 1,050 किलोमीटर हमारी नई सड़कें कच्ची बन गईं। सवाल यह है कि 4 हजार किलोमीटर हमारी कच्ची सड़कें पिछले दो वर्ष में बनीं। बड़ा प्रयास किया कि उसमें कुछ पैसा मिल सके, जिससे हम उसे पक्की करा सकें। यह भी प्रयास किया कि इतना न हो सके तो उसकी मिट्टी बहने से ही रोका जा सके, क्योंकि उन पर बरसात का असर होगा और एक बरसात बीत भी गई है। सोचा कुछ सुधरवा लें और उससे बचा सकें। केन्द्र सरकार में भी दिल्ली जाकर प्रयास किया। प्रदेश के सभी संसद सदस्यों से भी निवेदन किया और दिसम्बर तथा अप्रैल में मीटिंग भी किया। वैसे भविष्य में आशा रखनी ही चाहिये। अभी तक मिला नहीं, कहीं से भी पैसा मिले। अगर 4 हजार किलोमीटर सड़क जो प्रदेश के हर जिले में है, उसे पक्की करवा सकें तो हमारे प्रदेश में सड़कों की अच्छी लम्बाई बढ़ जायेगी। पैसे की कमी थी इसलिये हमने यह मुख्य अभियन्ता या जितने अभियन्ता थे उनसे बात किया और मीटिंग बुलाई जिससे पैसे की कमी के समय कोई रास्ता निकले जिससे कम से कम पैसे में ज्यादा मजबूत न सही, ऐसी सड़क तो बना लें पक्की जिससे मिट्टी कटने से बच जाय। उन लोगों ने सब सोच-विचार के निश्चय किया कि जितनी हमारी टेस्ट सड़कें हैं जिन पर मिट्टी पड़ चुकी है और माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि जब भी कोई नई सड़क बनने को होती है तो कितनी परेशानियां पैदा होती हैं। फैसला हो जाय, उसके बाद अलाइनमेंट, सर्वे, जमीन मिलने में 50 झंझट खड़े होते हैं। लेकिन सबका ऐसा सहयोग था, गांव के लोगों को काम देने की बात थी, चार हजार किलोमीटर सड़क बनी जो अधिकतर कायदे की सड़क है। जमीन भी मिल गयी। कार्य तो 90 फीसदी हो चुका, पैसा 10 फीसदी खर्च हुआ। अब पैसा खर्च करना है 90 फीसदी और कार्य बाकी है 10 फीसदी। लेकिन पैसा मिले, उपलब्ध हो इसको बना सकें, 55 हजार रुपये प्रति किलोमीटर में, वैसे जो नयी सड़क बनाने का निश्चय किया है, मिट्टी डालनी, कलवर्ट, पुलिया बनानी पड़ेगी, मजबूत कम होगी। लेकिन चार हजार किलोमीटर पर कम से कम पैसा मिले तो नौ फीट चौड़ी सड़क बना देंगे। उसमें चूना, मिट्टी और कुछ गिट्टी टेस्ट के अनुसार दो तीन परसेंट तक चूना होगा, 65 से 67 परसेंट तक मिट्टी होगी और 32 से 35 परसेंट तक ईंटों की गिट्टी मिल सके वह होगी, जिसको लाइम स्टेबिलाइजेशन कहते हैं, उतनी सीलिंग और इंटरकोट मान लेंगे। उसके बाद एक कोट, जैसा उपलब्ध हो ओवरबर्न्ट या फर्स्ट क्लास ईंटे की गिट्टी या संभव हो तो पत्थर के स्टोन बैलास्ट दे कर पेंट कर देंगे।

(व्यवधान)

55 हजार हमने तैयार किया था लेकिन उसमें ठेकेदार नहीं होंगे।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

व्यवस्था का सवाल है। यह सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे हैं। कब बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का अर्थ क्या है ? और व्यवस्था के बारे में आप मुझसे कहें। पहले समझ लीजिये।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

माननीय सदस्य ने ध्यान दिया होगा कि चार हजार किलोमीटर सड़कें कच्ची बन चुकी हैं। उनके पक्के करने की बात कर रहा हूं। अगर हम उनको पक्की न कर सकेंगे तो वह कट जायेंगी। धनाभाव में पैसा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पैसा मिल जाय ''

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कुछ इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि पूर्व. इलाके हैं, जैसे अपने जिले की बात बताता हूं, सड़कें बहुत कम बनी हैं, चार हजार किलोमीटर में कितनी लम्बी सड़कें वहां बनी हैं ?

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

सूबे में जहां थाने में ब्लाक्स हैं उनको कच्ची या पक्की रोड से कनेक्ट करवा दें, जो खास रूट्स हैं अभी तक कच्चा रोड़ा डालते हैं उससे भी बचत नहीं होती है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी देख-रेख कौन करेगा ? यह सड़कें बन गईं और साल भर बाद खराब हो गईं तो इनको मेन्टेन कौन करेगा ? इसके ऊपर रोशनी डालिये।

श्रीमती गायत्री देवी (जिला मथुरा)—

मैं निर्माण मंत्री जी से जिला मथुरा की बलदेव दाऊजी की सड़क के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि वह टूटती जा रही है और वहां कूड़ा-करकट पड़ा हुआ है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। इसके बनाने के लिये मैंने एक नोट भी दिया है। मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जरूर इस पर विचार करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा पैसे की कमी जरूर है। 74–75 में प्लान की सड़कें 330 किलोमीटर, दूसरी है 661 किलोमीटर, पुनर्निर्माण की 101 किलीमीटर, योजनान्तर्गत 65 किलोमीटर और 13 पुल बनायेंगे। इस साल पंचवर्षीय योजना में जो पहाड़ पर डेवलपमेंट होगा और उसमें जो सड़कें आयेंगी वह बाद में पेश किया जायेगा।

हमारे यहां पंचवर्षीय योजना को स्टडी करने के लिये एक टीम आई उसने सिफारिश की कि हमारे यहां मुख्य सड़कें या बड़े गांवों को मिलाने की सड़कें वह 1,500 की आबादी या इससे ज्यादा, बुन्देलखंड में 1,200 या इससे ज्यादा और पहाड़ों पर 500 या इससे ज्यादा आबादी पर होनी चाहिये। इनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जाये। इसके लिये 1,030 करोड़ रुपये की सिफारिश की लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि यह रुपया बहुत ज्यादा है। इसलिये दूसरी योजना भेजी जाये। 450 करोड़ रुपये की दूसरी योजना भेजी गई। प्लानिंग कमीशन में सड़कों की प्राथमिकता का नम्बर बहुत नीचे पहुंच गया। अभी तक पांचवीं योजना में 127 करोड़ रुपया ही मिला है। जबकि 85 करोड़ रुपया पिछले सालों के बाकी काम का है जो 100 करोड़ के बराबर हो जायेगा। नये कामों के लिये केवल 27 करोड़ ही बच गया है। यह विकट समस्या है। जब तक योजनान्तर्गत के अलावा किसी योजना में पैसा न आ जाय तब तक दिक्कत जरूर है। इसमें शक नहीं है कि हम पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं। 127 करोड़ में से भी इस साल 13 करोड़ है। इसमें से 2 करोड़ पहाड़ों पर जायेगा। अब केवल 11 करोड़ बचेगा।

अब मैं भवन निर्माण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 2 वर्ष पहले हमारे यहां एक ही वृत्त डिवीजन था। वह दोनों काम जो सड़कों और मकानों के निर्माण का होता था करता था। नतीजा यह होता था कि सड़क का काम हो जाता था, लेकिन भवन का काम छूट जाता था। 72–73 से इसको अलग कर दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो भवन का पैसा खर्च नहीं होता था, सरेन्डर हो जाता था और दूसरे विभान के लोगों को शिकायत

रहती थी कि भवन नहीं बना तो जब से यह अलग हुआ है एक पैसा भी सरेन्डर नहीं हुआ है। यह बात और है कि बजट में आया लेकिन पैसा नहीं मिला। ऐसा नहीं हुआ कि पैसा मिला हो और वह सरेन्डर हो गया हो। साथ ही साथ.....

श्री सोहन लाल लाठ (जिला रामपुर)—

माननीय मंत्री जी का कहना है कि जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन लोग दे नहीं पाते हैं और सड़क का बनना रुक जाता है। जब सरकार के पास ऐसा कानून है और उसे एक्वायर कर सकते हैं तो जमीन एक्वायर करके ही सड़क बनायें। मेरे क्षेत्र में मिलक-पटनाई सड़क है, वह पूरी बनने वाली है, कुछ बन रही है सिर्फ 2 किलोमीटर इसलिये रुक गई है कि वहां जमीन नहीं है और वह सड़क बन्द हो गयी है। आपको यह चाहिये कि जमीन को जल्दी से जल्दी एक्वायर करें। दूसरी बात और.... (माइक बन्द कर दिया गया)।

श्री अध्यक्ष—

अब हम कोई वोट नहीं लेने जा रहे हैं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

चार हजार किलोमीटर जो टेस्ट की सड़कें हैं उनमें जमीन हमको मिल गई थी। वैसे एक्वायर करने का कानून है लेकिन उसमें समय लगता है। तो मैं भवन निर्माण के संबंध में थोड़ा सा निवेदन कर दूं। वैसे तो बड़े मकान बनते हैं, लेकिन जो हमारे राजकीय कर्मचारी हैं उनके रहने के लिये कई जगहों पर मकान बने हैं। 6192 मकान बन गये हैं, 3045 मकान निर्माणाधीन हैं और 5334 शेष हैं। लेकिन खासतौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये लखनऊ एवं अन्य जिलों में 2614 स्वीकृति 1179 पूर्ण और 774 प्रगति पर हैं। इसमें खास बात यह है कि यह जो मकान हैं उनका किराया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से नहीं लिया जायेगा और पिछले वर्ष यह किया गया कि उनमें विद्युतीकरण कर दिया जाय और पाखाने वगैरह सामूहिक होते थे अब अलग-अलग करने का प्राविधान है। औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह निर्माण योजना है और उसके अन्तर्गत नैनी में 576, गाजियाबाद में 656, लखनऊ में 400 मकान बन रहे हैं।

इसके अतिरिक्त झांसी, गोरखपुर और मेरठ के मेडिकल कालेजों में लगभग साढ़े 10 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक्स, लेक्चरर्स थियेटर्स आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य कार्य प्रगति पर हैं।

गत वर्ष कुम्भ मेले हरिद्वार में यातायात की सुविधा बढ़ाने हेतु 6 स्थायी तथा 14 अस्थायी सेतुओं का निर्माण तथा 35.20 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं सुधार किया गया। इन सेतुओं में से 14 सेतु गंगा नहर पर 7 दिन की अल्पा धि में बनाकर तैयार कर दिये गये थे क्यों कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर बन्दी केवल 14 दिन के लिये की गयी जिसमें से लगभग आधे समय में नहर विभाग द्वारा इन सेतुओं की नींव आदि तैयार की गयी, इसमें कोई शक नहीं है। अब समय कम है। वैसे इधर काफी पुलों को प्रारम्भ किया गया।

श्री बलवान सिंह—

कानपुर में कई साल से पुल का काम हो रहा है। वह पुल नहीं पूर्ण हो पाया।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

पुलों के निर्माण में तो एकाध साल तो डिजाइन और पैमाइश में समय लगता है। सन् 1973 में उसकी बुनियाद पड़ी और उसके बाद सर्वे, टेस्टिंग, बोरिंग तमाम चीजें कराकर

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

उसके बाद शुरू कर दिया गया। जितना समय हुआ है उसके हिसाब से कम काम नहीं हुआ है। अब जब वह शुरू हो गया है तो काम तेजी से होगा, जब तक कोई काम शुरू नहीं होता है तभी तक उसमें देरी लगती है। यह ब्रिज कारपोरेशन ने बाहर के देशों को भी टेन्डर दिये थे। केन्द्रीय सरकार की सहायता से नेपाल में राजा महेन्द्र मार्ग बन रहा है उस मार्ग पर पुलों का ठेका मिला है सेतु निगम को। इरीगेशन विभाग से भी सेतु निगम को कई जगह पर ठेके दिये गये हैं। अन्त में मैं बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्यों को और ऐसी आशा करता हूं कि वे इन प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे। वैसे उनकी आशा को तो हम धनाभाव के कारण जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया पूरा नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि पहले माननीय सदस्य लिख कर दे देते थे और उनका काम हो जाता था।

श्री बलवान सिंह--

तो कानपुर के पुल में अभी कितना समय लगेगा और वह कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र प्रस्तुत करेंगे। मान्यवर, इसमें एक संशोधन है नत्थी (घ) में। संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य प्रशासन में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार एवं विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। जैसे कि-(1) बांसी-पनघटिया, गोरखपुर रोड, जिगनहवा-चैतिया-शोहरतगढ़ मार्ग, बांसी-गायघाट मार्ग का निर्माण तत्काल प्रारम्भ कराया जाय। (2) बस्ती जिले में महोखवा पुल के पास किल-किल रोड बनवाना। मान्यवर, यह मैंने कहा शुद्ध कर लिया जाय।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष जी, मेरी एक प्रार्थना है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष--

अब आप आपस में बात कर रहे हैं। आपस की बात न करें।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 24 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 5 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 61 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 62 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 61 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974–75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 68 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974–75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 84 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974 75 के अन्तर्गत अनुदान संख्या 96 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष––

अनुदान संख्या 96 के लिये तो 100 रुपये की ही मांग है, क्या उस पर भी आपका 1 रुपये का कटौती का प्रस्ताव है ?

श्री गोरे लाल शाक्य––

जब विरोधी दल ऐसी हालत में नहीं होता है कि वह सरकार के घुटने टिका सके तो यह प्रस्ताव केवल रिवाज बनकर रह जाता है। इसलिए सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय या सम्पूर्ण धनराशि में एक रुपया कम कर दिया जाय, कोई मायने नहीं रखता है।

जब मैं एम० काम० का विद्यार्थी था और रोड ट्रान्सपोर्ट, रेल ट्रान्सपोर्ट और एयर ट्रान्सपोर्ट पर पढ़ता था तो बड़ी खुशी होती थी। रोड ट्रान्सपोर्ट एडवाइजरी कौन्सिल ने जो सुझाव दिए उससे ऐसा आभास होता था कि इस प्रकार से प्रवेश की तस्वीर बहुत सुन्दर बनती जा रही है, लेकिन जब मैं यहां सदन में आता हूं, आलोचना पढ़ता हूं, जब इन्जीनियर्स से मिलता हूं तो वह तस्वीर बिल्कुल धूमिल हो जाती है और मेरी उन सारी आशाओं पर, जब मैं एम० काम० का विद्यार्थी था, पानी फिर रहा है।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिव प्रसाद गुप्त पीठासीन हुए।)

श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता––

व्यवस्था के नाम पर आप अव्यवस्था क्यों पैदा कर रहे हैं ? आप कृपया बैठें।

*श्री सुखद राज सिंह––

मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप अध्यक्ष की कुर्सी पर पीठासीन हो सकते हैं ? अनुच्छेद 180 के अन्तर्गत संविधान में स्पष्ट दिया हुआ है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस कुर्सी पर बैठेंगे और यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों तभी अधिष्ठाता मंडल के सदस्य बैठेंगे। उपाध्यक्ष हैं ही नहीं, उनके पद की रिक्तता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप इस आसन को ग्रहण कर सकते हैं और जो कार्यवाही इस समय होगी, वह वैधानिक होगी ?

श्री अधिष्ठाता––

बिलकुल वैधानिक है। सदन के सदस्यों का एक पैनल बना हुआ है, मैं उस पैनल का एक सदस्य हूं। तो ऐसे हर सदस्य को जिसे माननीय अध्यक्ष आदेश दें, इस कुर्सी पर बैठने का हक है।

(श्री सुखद राज सिंह के अपने स्थान पर खड़े रहने पर।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अधिष्ठाता]

अब रूलिंग हो गयी, इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है। तशरीफ रखें।

(व्यवधान)

श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सड़कें बनाने की व्यवस्था जो आजकल चल रही हैं वह कोई नयी परम्परा नहीं है। यह हमारी पुरातन काल से परम्परा चली आ रही है और जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी उस समय भी मिलता है कि तक्षशिला, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, विदेह जितने हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े शहर थे वह सब बड़ी-बड़ी सड़कों से जुड़े हुए थे। तो यह कोई नयी परम्परा नहीं है, यह पुरानी परम्पराओं को निभाते हैं।

इसके साथ-साथ सड़कों का कितना महत्व है किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में। सड़कें एक जीवन-रेखा के समान हैं। सड़कों के जाल से हम यह आंक सकते हैं कि हमारा देश कितना जीवित है। ये जीवन-रेखायें हैं जिससे देश की जिन्दगी का पता चलता है कि देश जिन्दा है, अर्ध-मृतक है या कुल मरा हुआ है। सड़कों की जाल "लाइफ लाइन" कहलाती हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण हैं कि नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने अपने आंकड़ों से बतलाया है कि अगर 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाय तो 3,000 मैन-ईयर्स वर्क मिलता है। तो देखिये, किसी और योजना से इतना काम हमारे बेरोजगार लोगों को नहीं मिलता है जितना कि सड़कों से मिलता है।

अब सड़कों के लिए कितनी धनराशि रखी गयी है—मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वह कम है या ज्यादा है—यह कटौती का प्रस्ताव हमको मूव करने के लिये मिला हुआ है। तो मैं मांग करूंगा कि इसमें धनराशि बढ़ायी जाय। चाहे कोई भी मिलता तो मैं यही मांग करता। मैं तो केवल एक बात कहता हूं कि चाहे कोई भी युग रहा हो, साधन हमेशा सीमित रहते हैं और उन सीमित साधनों का जुडीशस यूज कैसे किया जाय, हम केवल यही कहते हैं। तो जितने प्लानिंग डाक्यु-मेंट्स हम देखते हैं वहां पर साफ साफ उल्लेख है कि योजना का प्रादुर्भाव जब भी कहीं हुआ, रूस में हुआ तो साफ-साफ वर्णन है कि इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि बैलेंस्ड डेवलपमेन्ट और दूसरा निजी योजना में लोग अपना पेट भर लेते हैं और कहीं ज्यादा डेवलपमेंट होता है और कहीं कम होता है। इन्हीं दो चीजों को खत्म करने के लिये कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट न होने पाये और जो लोग पेट भरने की कोशिश करते हैं—निजी लोग वह न भरने पायें। इन दो चीजों को दूर करने के लिये योजना का प्रादुर्भाव हुआ और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि योजना में ये दोनों ही दोष हम देखते हैं—आंकड़ों से जाहिर है कि यह दोनों ही दोष दूर नहीं किये गये हैं, मौजूद हैं। यानी बैलेंस्ड डेवलपमेंट भी सड़कों का नहीं हो रहा है और बड़ी-बड़ी, करोड़ों की धनराशियां जेबों में भरी जा रही हैं और प्लानिंग की भावना कितनी पवित्र है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन पर एक प्रश्न दिया था और हमको लिख कर मिल गया था कि यह स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन का प्रश्न है इसलिए इसको पूछने की कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती। उस समय मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रोटेस्ट किया था कि सदन के सदस्यों के ऊपर कोई प्रतिबन्ध इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि प्रदेश के किसी व्यक्ति या संस्था के संबंध में बहस न की जा सके। चाहे वह कोई व्यक्ति सदन के अन्दर मौजूद हो या न हो, चाहे कारपोरेशन हो, इस सदन को हर बात पर, हर मसले पर बहस करने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो कहा जाता है कि कारपोरेशन की बात मत करिये। इन चीजों का खात्मा होना चाहिए। हमारे जैसे लोग इन चीजों को सहन नहीं कर सकते हैं। चाहे वह व्यक्ति यहां अन्दर का हो या बाहर का हो, हम तो यहां डिस्कस

करेंगे अवश्य। सदन में डिस्कस करने से ही किसी को फांसी तो नहीं लग जाती। मैं केवल आलोचना की दृष्टि से ही नहीं कहता हूं इसके गुण दोष बताता हूं लेकिन जो नियम बने हुये हैं उनमें कुछ सुधार होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ, अब मैं आपके सामने ऐसे आंकड़े रख रहा हूं जिससे यह पता चलेगा कि आज शाम को 5 बजे सरकार इन अनुदानों को पास करवा कर 8 करोड़ रुपये पर कानूनी रूप से खुली डकैती डालने जा रही है। मुझे तो इन आंकड़ों को देख कर हैरत है। मैं चैलेंज देता हूं कि हमारे साथ चीफ इंजीनियर बैठें, मंत्री जी बैठें और मैं बैठूं और जो आंकड़े मैं दे रहा हूं अगर वह गलत निकल जाय तो सदन जो भी सजा देगा मैं उसको भुगतने के लिये तैयार हूं। यह 8 करोड़ की कानूनी डकैती कैसे आज पांच बजे शाम को डाली जायगी यह मैं बताता हूं। यह तथ्य गलत नहीं हैं बल्कि पूर्णतया सत्य है। हमारे पी० डब्लू० डी० में कमीशन किस रेट से बंधे हुये हैं पहले मैं उनको लेता हूं। पहला रोड्स का है और दूसरे बिल्डिंग्ज का है। जूनियर इंजीनियर्स का रोड्स में 5 परसेंट और बिल्डिंग्ज में 3 परसेंट, असिस्टेंट इंजीनियर्स को कमीशन रोड्स में 3 परसेंट और बिल्डिंग्ज में 2 परसेंट, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को रोड्स में कमीशन 2 परसेंट और बिल्डिंग्ज में 1 परसेंट, और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को लम्पसम धनराशि है परसेंटेज नहीं है। उनको लाखों रुपये, 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। इसके साथ ही साथ चीफ इंजीनियर भी इससे बचे हुये नहीं हैं। जब चीफ इंजीनियर टूर पर जाते हैं तो कम से कम हजारों रुपये का सामान उनके लिये पहुंचाया जाता है और यह उनके नीचे के कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। सामान तो लोग इनको यहीं बंधवा देते हैं, आभूषण, साड़ियां, घी आदि आदि जो कुछ होता है वह सब इनको भेज दिया जाता है और इनका जो सेवा सत्कार होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है और अब उसके ऊपर मिनिस्टर साहब आते हैं। मैं यह सब बिलकुल छानबीन के साथ कह रहा हूं कि हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब ने पिछले चुनाव में इसी डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपया इकट्ठा किया था। (व्यवधान) हर डिवीजन से 10 हजार रुपया इकट्ठा किया गया और यह भी लम्पसम है परसेंटेज नहीं है।

श्री मुंशी लाल (जिला मैनपुरी)—

माननीय सदस्य को यह पांच लाख रुपये की बात कहां से मालूम हुई? (व्यवधान) माननीय सदस्य तो अभी चुन कर आये हैं। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोगों को भी अवसर मिलेगा तब अपनी बात कह लीजियेगा। श्री मुंशीलाल जी, जब आपकी तरफ से बोलें तो जो चाहें उनके द्वारा या स्वयं कह सकते हैं।

श्री गोरेलाल शाक्य—

यह सच है कि माननीय मंत्री जी ने 5 लाख रुपये इकट्ठे किये हैं... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना समय मत नष्ट करें, आपको जो कहना है वह कहें।

श्री गोरेलाल शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय,....

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

यह आंकड़े इन्होंने कहां से इकट्ठे किये हैं? ..... (व्यवधान)

श्री गोरेलाल शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 10 परसेंट इस तरह से इनके कर्मचारियों का कमीशन हुआ। इसके साथ-साथ जो ठेकेदार होते हैं उनका भी 10 परसेंट प्राफिट है। 10 परसेंट प्राफिट के अलावा 10 परसेंट कमीशन है। लेकिन अभी बिल्कुल ताजी कल की इन्फार्मेशन के अनुसार यह 10 परसेंट कमीशन बढ़ कर 20 परसेंट हो गया ऐसा लोगों ने बताया। कहीं-कहीं 20 परसेंट इम्प्लीमेन्टेड है और कहीं पर वही पुराना 10 परसेंट चल रहा है। इस तरह से जैसे ही यह अनुदान पास हो जायगा 8 करोड़ का डाका ये डाल लेंगे।

इसी तरह से जैसे हम राम राज्य की बात करते हैं तो उस समय एक धोबी ने कह दिया था कि पता नहीं इन्होंने सीता जी को कैसे रख लिया, इनके ऊपर तो दोषारोपण है। इसी कारण रामचन्द्र जी ने सीताजी को निकाल दिया था। तो मुझे यह पैम्फलेट मिला है। यह लोक प्रेस जौनपुर द्वारा छपा है और फोन नम्बर 524 है। यानी यह फर्जी नहीं है। इसका कुछ अंश मैं बताये देता हूं। इसमें इतने गम्भीर आरोप हैं कि मंत्री जी को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। वह अंश ऐसा है जो देखने में भी झूठा नहीं कहा जा सकता है। जैसे इलाहाबाद के सच्चा आश्रम के नाम पर मंत्री जी ने 5 लाख रुपया इकट्ठा किया और ढाई लाख रुपया खा गये। यह गम्भीर आरोप है। दूसरे, श्री नरेन्द्र कुमार, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, जौनपुर जो कि इस समय प्रान्तीय खंड, देहरादून में हैं इनके खिलाफ इन्हीं की पार्टी यूथ कांग्रेस ने चार्जेज लगाये और उसकी जांच के लिये राष्ट्रपति को ज्ञापन दिये गये, लेकिन उस जांच को दबा दिया गया।

एक सदस्य--

क्या यह नियमानुसार है? या तो कोई डाक्युमेन्ट हो या इनकी व्यक्तिगत जानकारी हो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य यह अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं उनको पर्चा मिला है। उसी को पढ़ कर सुना रहे हैं।

एक सदस्य--

क्या उस पर्चे को सदन में पढ़ा जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता--

बिल्कुल पढ़ा जा सकता है।

श्री गोरेलाल शाक्य--

सेतु निर्माण, जौनपुर। उसमें एक चौकीदार था जो बिल्कुल ईमानदारी से रखवाली करता था स्टाक की। उसने जो 300 बोरी जा रही थीं उनको रोका। तो पहले उसको धमकी दी गयी कि अगर तुम रोकोगे, चोरी नहीं करने दोगे तो तुमको जान से मार दिया जायगा। तीसरे दिन उस को गोली मार कर हत्या कर दी गयी और इसमें लिखा है कि इसमें मंत्री जी का हाथ है। इस तरह से इसमें 14 आरोप हैं। मैं दो और बता देता हूं। यहां पर दारुलशफा ए-ब्लाक में कमरा नं० 25 में एक व्यक्ति रहता है जो मंत्री जी से सांठगांठ करता है और उसी कमरे में उत्तर प्रदेश के सारे लोग आते हैं और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार उसी कमरे में होता है और मंत्री महोदय को उसी कमरे से रिश्वत मिलता है जो कि हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसके अलावा शाहगंज में मंत्री जी का मकान बन रहा है जिसको इंजीनियर लोग बनवा रहे हैं पी० डब्लू० डी० के मेटीरियल से। इसके अलावा धर्मपुर डिग्री कालेज में गुटबन्दी करा कर एक व्यक्ति की हत्या मंत्री महोदय के सहयोग से की गयी है। तो ये इतने सीरियस चार्जेज हैं कि मंत्री महोदय को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये या इस पर्चे पर ऐक्शन लेना चाहिये।

दूसरी बात अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आडिटर एण्ड कन्ट्रोलर जनरल की तथा पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट हैं उनके इस तरह के रिश्वत लेने तथा सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। लखीमपुर में ऐरा सड़क पर 14–15 मील पर, गोला और पत्थरों की सप्लाई में 3 लाख 75 हजार रुपये का घपला इसी आडिटर जनरल की रिपोर्ट में है। इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने यह संस्तुति भी की है कि इस सम्बन्ध में सरकार जांच करे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे, मगर आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी तरह से एक केस और है मुजफ्फरनगर में कैराना में मोतीझील का जिसका ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया उसने बाद में निर्माण-कार्य बन्द कर दिया और ठेके को छोड़ दिया। उस ठेकेदार को 23 बार नोटिस दिया गया। 23 बार नोटिस देने का मान्यवर, कौन सा नियम है? बाद को तहसीलदार ने यह लिखा कि उस ठेकेदार से रुपया वसूल करने का कोई साधन नहीं है। मैं यह उदाहरण देकर यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तमाम ठेके ऐसे ठेकेदारों को दिये जाते हैं जो वास्तव में ठेकेदार होते ही नहीं हैं। मंत्री और इंजीनियर मिल कर फर्जी ठेकेदार को पहले ठेका दे देते हैं, बाद को यही हालत होती है जो इस केस में हुई जिसका मैंने अभी जिक्र किया। भर्थना के पास एक नदी पर पुल के निर्माण का ठेका भी एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया गया जिसने कभी कहीं एक ईंट भी नहीं लगायी थी और कभी ठेके का काम ही नहीं किया था। उस ठेकेदार ने अपना नाम एशिया निर्माण कं० रखा था। ऐसे ठेकेदारों पर न तो कभी जुर्माना किया जाता है और न उनको जेल भिजवाया जाता है और उसका कारण यह है कि वे फर्जी होते हैं।

मान्यवर, नगीना में, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक सड़क बनने वाली थी। उस सड़क पर 5 लाख रुपया खर्च होना था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह सड़क बनी ही नहीं, पर कागज पर उसको बनी हुई दिखा दिया गया, वह 5 लाख रुपया खर्च कर लिया गया। वह सड़क आज तक है ही नहीं। यही नहीं, उस सड़क की मरम्मत के लिये भी बाद को डेढ़ लाख रुपया और ले लिया गया। यह सब फर्जी काम हुआ। सरकार की नोटिस में यह बात लायी गयी, मगर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

इसी प्रकार बलिया में एक रेलवे स्टेशन के पास एक सड़क को पक्की बनना दिखाया गया है, मगर वह सड़क पक्की बनी ही नहीं है, वहां धूल उड़ रही है। मगर कागज पर वह पक्की बनी हुई दिखाई गयी है। यह झांकी मैं आपके इस विभाग की प्रस्तुत कर रहा हूं।

अब पक्की रोड्स के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं 1 मार्च, 1971 को हमारे उत्तर प्रदेश में पक्की अर्थात् (Surfaced) रोड्स 36,559.3 मीटर लम्बी हैं। तामिलनाडु में इनकी लम्बाई 50,110 किलोमीटर है। मैसूर में 50,495 किलोमीटर। अब आप देख लीजिये आपका प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। 9 करोड़ की आबादी वाला यह आपका प्रदेश है, क्षेत्रफल में हमारा प्रदेश सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं तामिलनाडु में 50,110 कि० मी०, पर हमारे उत्तर प्रदेश में 36,559 कि० मी० सड़कें हैं। हम सड़कों के मामले में अन्य प्रदेशों से पीछे हैं।

इसके साथ-साथ आप नेशनल हाईवेज को लीजिये। केंद्रीय सरकार पैसा देती है। हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और इसके आंकड़े भी आपके सामने मैं रखता हूं। अप्रैल, 1971 को हमारे प्रदेश में नेशनल हाईवेज की लम्बाई कुल है 2,228 किलोमीटर, आन्ध्र प्रदेश

[श्री गोरे लाल शाक्य]
में 2,332 कि०मी०, मध्य प्रदेश में 2,675 कि० मी, महाराष्ट्र में 2,272 कि०मी० । आपका प्रदेश सबसे लम्बा प्रदेश है और नेशनल हाईवेज की लम्बाई कुल 2,228 कि०मी० है । आपके सामने आंकड़े हैं आप देख लीजिये । सबसे पीछे है ।

(इस समय दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके गये ।)

एक सदस्य--
अधिष्ठाता महोदय, उधर आप देखिये उधर से पर्चे गिर रहे हैं । आप देख लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--
मैं इसको दिखवा रहा हूं ।

श्री गोरे लाल शाक्य--
अधिष्ठाता महोदय, अब मैं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ झांकी पेश करता हूं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की कितनी उपेक्षा की है । मैं 1969-70 में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फल पर जितनी सड़कों की लंबाई थी उसको पेश कर रहा हूं । उत्तर प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 55 कि०मी० सड़कें तथा पश्चिमी बंगाल में 67 कि०मी०, पंजाब में 152 कि० मी०, केरल 153 कि०मी० और हमारे उत्तर प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 55 कि०मी० सड़कों की लंबाई है । इसकी तुलना करें तो हम यह देखते हैं कि इस तरह भी हम सड़कों के मामले में सबसे पीछे हैं । आप देख सकते हैं पिछली सरकारों ने इस प्रदेश की कितनी उपेक्षा की है ।

इसके साथ-साथ जो अन-बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो रहा है उसके आंकड़े भी मैं आपके सामने रख रहा हूं । अब मैं प्रति हजार वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ले रहा हूं । इस प्रदेश को कई भागों में बांटा गया है । जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुन्देलखंड क्षेत्र । इसमें आप देखें कि किस तरह से सड़कों का निर्माण किया गया है ।

पर्वतीय क्षेत्र में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर 120.9 कि०मी० सड़कें हैं, पश्चिमी भाग में 113.9 कि०मी०, केंद्रीय क्षेत्र में 93.5 कि०मी०, पूर्वी क्षेत्र में 113.2 कि०मी०, बुन्देलखंड क्षेत्र में सड़कों की लंबाई प्रति हजार वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल पर केवल 74.4 कि०मी० है । इससे आप देख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किस तरह से हुआ है । मध्य भाग (केंद्रीय क्षेत्र) तथा बुन्देलखंड में सड़कों की लम्बाई कम है । इस तरह से इन क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है । सरकार को चाहिये कि वह हर क्षेत्र को देखें, हर जिले को देखे, ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दे और किसी क्षेत्र में सड़कें कम हों । इसलिये मेरा कहना है कि मध्य क्षेत्र, बुन्देलखंड क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया जाय और प्रदेश की ओर भी ध्यान दिया जाय जिससे हम अन्य प्रदेशों के समकक्ष हो सकें ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको क्या बतलाऊं कि पी०डब्लू० डी० विभाग अपनी कार्यवाही के लिये कितना कुख्यात है । इस विभाग द्वारा इमारतें बनते ही चूने लगती हैं, पुलिया बनते ही टूटने लगती हैं । जीता जागता उदाहरण मैं दे रहा हूं । कई जिलों में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन पर दूब व घास लहलहा रही है । पत्थर-कंकड़ नाम की कोई चीज नहीं है । यह बात क्यों है ? इसका कारण है कि 20 प्रतिशत इंजीनियर ले लेंगे और 20 प्रतिशत ठेकेदार ले लेगा तो वहां दूब ही होगी पत्थर नहीं होगा । इसके साथ ही जो तमाम धांधलेबाजी हो रही है उनमें से कुछ को मैंने नोट किया है और अधिष्ठाता महोदय, मैं उनको आपके सामने रखता हूं । जैसे ठेकेदारों के बिलों का भुगतान बहुत देर से होता है । इसका कारण यह है कि जब तक मनमाने ढंग से सौदा नहीं हो जाता है तब तक पेमेंट नहीं किया जाता है । अगर पेमेंट तुरन्त होने लगे तो शायद घपला कम हो सकता है । दूसरे जो मस्टर रोल बनते हैं तो मैंने सड़कों पर व्यक्तिगत रूप से जा कर उनको देखा है । हमारे वहां भर्थना से ऊसराहार

तथा भर्थना से कुदरकोट की सड़कों पर जो मस्टर रोल रखते हैं वहां यदि 100 व्यक्ति काम करते हैं तो उसमें 200 व्यक्ति दर्ज किये जाते हैं। इसके अलावा मजदूरों को जो 3 रु० मजदूरी मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिलती है। शायद ही किसी को 3 रु० मजदूरी दी गई हो। इस तरह से गलत मस्टर रोल वहां रखे जाते हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों से निजी काम लिया जाता है। वहां सरकारी जीपों को निजी काम में प्रयोग किया जाता है।

दूसरे तृतीय तथा तचुर्थ क्लास के कर्मचारियों को सस्ती योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी को सस्ते मकान बना कर उनको रहने के लिये दिये जायं। परन्तु यहां अशोक मार्ग पर एक 12 मंजिला इमारत बनी है जिसको कि एयरकंडीशन करने का विचार है। मैं इसे एयरकंडीशन करने के बिल्कुल विरुद्ध हूं। जहां हमारे हिन्दुस्तान में लोगों को रहने के लिये मकान नहीं और लू लगने से, शीत से लोग मर जाते हैं। तो विधान सभा भवन जैसे एयर-कंडीशन भवनों की क्या जरूरत है जिनके बाहर जाने से लू लगने का भय रहता है, वहां मकानों को एयरकंडीशन करने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूं कि यह 12 मंजिला भवन जो बन रहा है उसको एयरकंडीशन न किया जाय। इसके साथ ही जो धान्धलेबाजी चल रही है वह खत्म हो। पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारी मुगल जमाने की पुरानी सड़कें हैं उनका सर्वे करके बाद में दूसरी सड़कों को बनाया जाय। इस पर बहुत रुपया नहीं खर्च होना है। आज कल मंत्री लोग क्या कर रहे हैं। केवल चुनाव जीतने के लिये अपने यहां क्रैश प्रोग्राम में या अन्य किसी प्रोग्राम में पक्की सड़कें बना रहे हैं और मुगल काल से और अंग्रेजी काल से जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनमें एक-एक, दो-दो, गज के गड्ढे हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि उन सड़कों को बनवाया जाय क्योंकि वहां किसी सर्वे का भी सवाल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

आपको कितना समय और चाहिये?

श्री गोरे लाल शाक्य––

केवल 15 मिनट। मैं अपने अनुभव की बात बतला रहा हूं, राजनीति के अनुसार आलोचना नहीं करना चाहता। हो यह रहा है कि आधी भी सड़क नहीं बनती कि मंत्री महोदय या रोडवेज के अधिकारी वहां बसों के परमिट दे देते हैं। बस चलती हैं तो जो गिट्टी पड़ी है वह उसे अलग कर देती है। उसी गिट्टी को कर्मचारी फिर सड़क पर डालते हैं। मैं चाहता हूं कि अधूरी सड़कों पर बसों का चलाना तुरन्त बन्द करें जिससे कि पब्लिक मनी का दुरुपयोग न हो सके। दूसरे सदन में भी लोगों ने इस प्रश्न को उठाया और मैंने भी इटावा में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बतलाया कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो सड़कें बन रही हैं या टेस्ट वर्क हो रहा है तो इनके मेन्टेनेन्स का कोई प्राविधान नहीं है। जो सड़कें साल दो साल पहले बनी थीं अब वह चलने लायक नहीं रह गयीं। मैं चाहता हूं कि जो सड़कें बनायी जायं उनकी मरम्मत के लिये पहले से प्राविधान कर देना चाहिये।

इसके साथ-साथ पी० डब्लू० डी० में जो रोड साइड के मकान बनते हैं उनकी बाबत कहना है। हमको बताया गया कि नक्शे दाखिल कर दिये लेकिन विभाग उनकी मंजूरी शायद इसलिए नहीं देता क्योंकि वहां लोग कुछ पैसा खाना चाहते हैं। मान्यवर, मरम्मत के लिये जो पेन्टिंग कराया जाता है तो उसकी बाबत हमें बतलाया गया और रिपोर्ट में भी है कि एक भी जगह पेन्टिंग नहीं होती और सारा पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

इसी के साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि अपनी स्पीच में पिछले साल मंत्री जी ने कहा था कि ठेकेदारों की हालत खराब है, छोड़ कर चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वह क्यों छोड़ कर चले जाते हैं? क्या उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वह पुलों का निर्माण कर सकें या सड़क बना सकें। उन्हीं लोगों को कंट्रेक्ट दिया जाना चाहिये जो कि यह काम कर सकें। हां, अगर इंजीनियर या मंत्री महोदय खुद किसी फर्जी नाम से ठेका ले लें तो जरूर छोड़ कर चले जायंगे। झांसी के बारे में रिपोर्ट को देखें। वहां पुल का काम जोशी एन्ड कंपनी के पास था। जब आप रुपया खर्च करते हैं तो यह कंडीशन लगा दें कि ठेकेदार पुल के निर्माण करेगा तो डिजाइन की कापी विभाग को देगा। मान लीजिये अगर वह शरारत करता है और बीच में चला जाता है तो डिजाइन आपके पास होगी और आप काम को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिये डिजाइन की कापी जब वह दे दें तभी कान्ट्रेक्ट की स्वीकृति देनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ, हमने रिपोर्ट में पढ़ा है जो कन्ट्रोलर ऐण्ड आडीटर जनरल और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की है, उसमें और मंत्री जी ने भी कहा, लोहा और सीमेंट सड़कों के जरिये मंगाया गया। क्यों मंगाया गया? जब रेल के साधन मौजूद हैं, तो लोहा सीमेंट सड़कों से क्यों मंगाया गया? कौन-सी ऐसी आवश्यकता पड़ गयी? इसके बाद, लोहा खुले बाजार से खरीदा गया। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार, सरकार है, ऐसा नहीं कि वह कोई अपने घर की व्यवस्था है। कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है। आप कहते हैं कि लोहा खुले बाजार से खरीदा। मैं कहता हूं क्यों खरीदा? क्यों धन का दुरुपयोग किया? इसके लाइसेंस केन्द्रीय सरकार से क्यों नहीं लिये? अगर लोहा, सीमेंट सरकार के लिये नहीं मिलेगा, तो किसे मिलेगा? मंत्री के लिये मिलेगा या इन्जीनियर के लिये? या निजी कामों के लिये मिलेगा? इस तरह से, मान्यवर, लोहा, सीमेंट सड़कों से मंगाने और खुले बाजार से खरीदने में करोड़ों रुपयों का अपव्यय किया गया।

इसके साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा था कि जिस तरह से निर्माण कार्य रुक जाता है, डिपार्टमेंट की स्वीकृति नहीं पहुंचती, कागज नहीं पहुंचता है, तो इंजीनियर लोग काम प्रारम्भ नहीं करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस पर क्या किया? कानून 375 में ढिलाई दे दी। उनको बेलगाम कर दिया कि तुम निर्माण करो। मैं कहना चाहता हूं कि कागज नहीं पहुंचता है तो उसके लिये 375 के पैरा में ढिलाई देने की क्या आवश्यकता थी? आपको प्रबन्ध करना चाहिये था। आप कागज भिजवाते। लेकिन कानून में ढिलाई क्यों की? इस तरह से घोटाले को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

मंत्री महोदय ने कहा और इस रिपोर्ट में उल्लेख है लैण्ड के ऐक्वीजीशन के बारे में। सड़कें जो बनाई गयी हैं, वैसे ही किसानों से कह दिया गया कि सड़क जायेगी, वह बेचारा संतोष करके रह गया। वह भूमि ऐक्वायर भी नहीं की गयी और न हरजाना दिया। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां 8 करोड़ का घोटाला हो सकता है, और करोड़ों का घोटाला हो सकता है, वहीं जो भी सड़कें बनें, तो किसानों की जो भूमि ली जाय, उसको प्रापरली ऐक्वायर किया जाय और उसको उचित मुआवजा दिया जाय। लेकिन गरीबों को मुआवजा तो नहीं दे सकते हैं करोड़ों का घोटाला हो सकता है।

अब मैं बताना चाहता हूं कि कभी-कभी माननीय मंत्री बहाना करते हैं कि हमारे पास मैटेरियल नहीं है। लेकिन दर्जनों जगह गिट्टी पड़ी है, सामान पड़ा है, सब कुछ मौजूद है लेकिन सड़क वैसे ही पड़ी हैं। जब मैटीरियल मौजूद है, तो सड़कों को क्यों नहीं प्रारम्भ किया जाता है? अतः निवेदन है कि जहां मैटीरियल पड़ा हो वहां सड़कों को तुरन्त प्रारम्भ किया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। ये जो ट्रांसपोर्ट ऐडवाइजरी कौंसिल, नागपुर योजना और बाम्बे प्लान और जो दूसरी योजनायें बनी हैं, उनकी जो कुछ सिफारिशें हैं, अगर सरकार उन्हीं की ओर ध्यान दे दे तो मुझे या अन्य माननीय सदस्यों को और कुछ सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने अच्छे से अच्छे सुझावों की आवश्यकता है, इन कमेटियों और योजनाओं ने पहले ही दे दिया है। 20 सों, दर्जनों और पचासों सुझाव पड़े हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। किस लिये ? अपनी सुविधा के लिये, घोटाले के लिये। कितना रुपया इन कमेटियों पर, कमीशनों पर व्यय होता है, लेकिन सब बेकार चला जाता है। लेकिन फिर भी मैं कतिपय सुझाव देना चाहता हूं जिनको उचित समझता हूं।

हमारे जो इंजीनियर हैं उनका काम इंजीनियरिंग का होना चाहिये न कि लेखे के काम और खाता बनाने का और यह देखने का कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में भी संस्तुति है कि वित्त के लिये एक अलग से सेल बनाया जाय। ठेकेदारी प्रथा को तुरन्त समाप्त किया जाय। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह ठेकेदारी प्रथा इतनी जीर्ण-शीर्ण तथा निकम्मी हो चुकी है इसको तुरन्त बन्द किया जाय और विभाग द्वारा काम किया जाय तथा ईमानदारी से किया जाय। ठेकेदारी में काम ईमानदारी से हो तो भी काम अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें ईमानदारी बरतने के चांसेज कम रहते हैं। मैं चाहता हूं कि विभाग द्वारा काम किया जाय। इसमें एक विजिलेंस सेल बनाया जाय जिसमें सदन के सदस्य अथवा अन्य लोग हों जो विभाग के काम को देखें।

दूसरे, मंत्रियों ने अपने क्षेत्रों में सड़कें बनवा ली हैं, लेकिन रिपोर्ट में पहले से संस्तुति यह है कि पहले यह देखा जाय कि जो एक हजार से ज्यादा आबादी वाला गांव है उसको सड़क से जोड़ा जाय। हजारों गांव ऐसे हैं जो दो तीन हजार की आबादी के हैं, लेकिन उनको सड़क से नहीं जोड़ा गया। मंत्रियों का क्षेत्र जिसकी आबादी हजार से नीचे है उसको सड़क से जोड़ दिया गया। मेरा सुझाव है कि एक हजार आबादी वाले गांव को किसी न किसी सड़क से जरूर जोड़ा जाय।

तीसरे, इस विभाग का काम है पब्लिक भवन का निर्माण करना। मेरा निवेदन है कि कानपुर, लखनऊ या बड़े-बड़े नगरों में हजारों आदमी फुटपाथों पर रहते हैं और शीत तथा लू से मर जाते हैं। उनके लिये व्यापक पैमाने पर रैन बसेरे बनाये जायं ताकि जो बेघर हैं उनको उनमें संरक्षण मिल सके।

मैं राष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रदेश में जो स्थान है उनकी भी बात करता हूं जैसे सारनाथ तथा एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी बार्डर पर संकिशा जहां हर साल हजारों बौद्ध तीर्थ यात्री आते हैं। सारनाथ में जो धर्मशाला बनाई गयी है, वह नाकाफी है। वहां भवन निर्माण कराये जायं ताकि अन्य देशों से जो तीर्थ यात्री आते हैं वे उनमें ठहर सकें। संकिशा में भी भवन निर्माण किया जाय ताकि यात्री उनमें रह सकें। इसके अलावा नान वर्किंग तथा वर्किंग डिवीजन्स में कोई संतुलन नहीं है। नान वर्किंग डिवीजन्स की संख्या कम की जाय और कम से कम नान वर्किंग डिवीजन्स से काम लिया जाय। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि जो क्लास थ्री तथा फोर एम्पलाईज हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाय।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि किसी भी देश व प्रदेश के लिये सड़क की जरूरत सर्वप्रथम है।

*श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)--

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य सुखद राज सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि अधिष्ठाता मंडल का सदस्य होने के नाते उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होने पर मान्यवर, पीठासीन होने के लिये सक्षम नहीं हैं। इस पर मान्यवर, यह जो रूलिंग हुई है, नये अधिष्ठाता मंडल में होने के नाते वे सक्षम हैं, मेरे विचार से माननीय पीठासीन महोदय की जो रूलिंग हुई है वह थोड़ा सा मिसकंसीव्ड है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

यह व्यवस्था का प्रश्न कहां हुआ? यह तो मान्यवर, आपकी रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं। जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में उन्हें रोक कर व्यवस्था का प्रश्न उठाना कहां तक उचित है?

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रक्रिया नियमावली का नियम 314 देखिये जिसमें लिखा है "अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी--किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी"।

(व्यवस्था के प्रश्न को लेकर कई सदस्य खड़े हो गये।)

श्री सुखद राज सिंह--

मान्यवर, यह आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पुनर्विचार के लिये कह रहे हैं।

(व्यवधान)।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था का आदर करते हुये केवल आपका ध्यान नियमावली के नियम 10 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है--"अधिष्ठाता मंडल--प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक दस सदस्यों का एक मंडल नाम निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर, पीठासीन सदस्य के कहने पर, सभा में पीठासीन हो सकेंगे"। तो मान्यवर, जो व्यवस्था नियमावली में उसी के तहत आपने जो व्यवस्था दी वह अनुकूल है। इस लिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखद राज सिंह--

आपने माननीय रामायण राय जी को सुन लिया अब थोड़ा आप हमें भी कहने का मौका दें और उसके बाद ही व्यवस्था दें.....

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अधिष्ठाता पर अविश्वास की भावना प्रकट करे तो उसे अधिष्ठाता की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी बात नहीं मानी जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुखद राज सिंह––

यहां अविश्वास की बात नहीं है। यह तो ऐसा विषय है जिसका पूरे सदन पर असर पड़ता है.....

श्री राम लखन (जिला बस्ती)––

हमारा प्रदेश भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है और इसके बावजूद भी वह पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश में सड़कें बहुत कम हैं और खास कर के पूर्वी जिलों में बहुत ही कम हैं। पूर्वी जिले इस क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं। मैं समझता हूं कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष माननीय लक्ष्मी शंकर यादव जी के जमाने में अच्छे काम हुये हैं ...

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)––

यदि आप एक मिनट का मौका मुझे दें .....

श्री राम लखन (जिला बस्ती)––

माननीय सदस्य मुझे बोलने दें। मुझे वैसे ही समय कम मिलता है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा पूरे सदन से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप देश और प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं, इस पिछड़े प्रदेश की तरक्की करना चाहते हैं तो जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये निगम बनाया गया है, यदि वैसे ही पूर्वी जिलों के पिछड़े इलाकों के विकास के लिये विशेष निगम बनाया जाये, तो मैं सरकार को उसी तरीके से धन्यवाद दूंगा। वहां के लिये एक निगम अवश्य बनना चाहिये। हरिजनों के लिये सभी पार्टी के लोग चिल्लाते हैं कि वे बहुत पिछड़े हुये हैं। बहुत सुन्दर हुआ कि जहां पर 18 प्रतिशत जगहें उन्हें दी जाती थीं, उसे बढ़ा कर 50 फीसदी कर दिया है। उसी तरीके से मैं मांग करता हूं कि यह सदन यदि पिछड़े इलाकों की तरक्की चाहता है तो बस्ती ऐसे जिलों के लिये यह कह दें, यह मंजूर कर दे कि जो इलाके आगे बढ़े हैं, जब तक उनके बराबर यह पिछड़े इलाके नहीं हो जायेंगे, इन पिछड़े इलाकों को ही प्राथमिकता दी जायेगी। तब मैं आपको धन्यवाद दूंगा। केवल ढिंढोरा पीटने से और पुराने आंकड़े दिखाते रहने से कुछ नहीं होगा। खाली व्यक्तिगत तरीके से लोगों के कहने पर गालियां दे देंगे तो इससे विकास नहीं होगा। जिस तरह से पिछड़ा यह प्रदेश है, जहां कोई काम नहीं होता है, मैं पूरे सदन से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये और इससे तीन गुना बजट पिछड़े जिलों के विकास के लिये भारत सरकार से और मांगिये, ताकि हमारे प्रदेश की तरक्की हो सके।

मान्यवर, मैं अपने जिले और पूर्वी जिलों के बारे में कह देना चाहता हूं। हमारा बस्ती जिला प्रदेश में सबसे पिछड़ा और बड़ा जिला है। इस जिले में आज तक कोई उत्थान नहीं हो पाया है। वहां पिछली बार जो आपने काम किया जो अनुदान दिया, बस्ती जिले में जो काम किया, उसके बारे में आपको पार्टी ने धन्यवाद दिया है और यहां सदन में भी धन्यवाद दिया था। फिर भी जो अनुदान है उससे अधिक उस पिछड़े इलाके के लिये आप रुपया दें, जिससे देश और प्रदेश की तरक्की हो सके और आपको धन्यवाद मिल सके। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मेरे इलाके में, जहां से मैं चुन कर आया हूं, आज तक कोई सड़क नहीं बन पाई है, केवल आपके जमाने में कुछ कच्ची सड़कें बनी हैं। मेरा निवेदन है उन्हें विशेष तौर से पक्का बनवायें और जहां पुल नहीं हैं, जैसे––एक कप्तानगंज से रामजानकी रोड सड़क जाती है, वहां पर

[श्री राम लखन]

रकहवा उर्फ पड़ूलघाट पर एक पुल का अवश्य निर्माण कराया जाये। वहां पर पुल न होने से लोगों को बड़ी परेशानी है और एलेक्शन के समय में लोग नाव से उसे पार कर जाते हैं। शिवाघाट पुल भी बनना चाहिये। इसके न होने से लड़ाई के जमाने में जो आपकी फौज फैजाबाद से चलेगी वह विकेन्द्रित हो जायेगी इससे वह विक्रमजोत से पैकलिया थाना, गौर, सनहा थाना, होकर मानपर पर जाते हुये बार्डर रोड से मिल जायेगी। उसको बस्ती होकर जाने में 40 मील का ज्यादा रन करना पड़ता है। यह उस पिछड़े इलाके के लिये एक आशीर्वाद हो जायेगा और वहां के गरीब लोग छोटा-मोटा धंधा करके अपनी जीविकोपार्जन कर सकेंगे। हमारे क्षेत्र में सड़वलिया घाट है। उसका पुल नहीं बन पाया है। लकड़ी के पटरे लगवा कर बनाते हैं। इस पुल के न बनने के कारण बस्ती जाने के लिये दुबलिया बाजार होकर जाना पड़ता है जो 20 मील पड़ता है। अगर यह पुल बन जाय तो सात मील में ही बस्ती पहुंच जायेंगे। इससे वहां के किसानों का कल्याण होगा। किसानों को अपना गन्ना आधे दामों पर बेचना पड़ता है क्योंकि उनको नदी पार करनी पड़ती है। आप वहां पुल बनवा कर सड़क पक्की करवा दें।

कप्तानगंज से होकर एक सड़क जा रही है गौरा बाजार। वहां पर बराहपुर में, रवई नदी पर एक पुल बनवाने की आवश्यकता है। वहां पर हर साल कितने बच्चे बह जाते हैं, किसानों को परेशानी होती है। हमारे यहां खास कर गल्ला और गन्ना होता है। सर्दियों में जब कि हमारे पास कोई साधन नहीं होता तो गन्ने को बेचकर जीवकोपार्जन करते हैं। लेकिन जब सड़क नहीं है, पुल नहीं है तो परेशानी हो जाती है। जिसके पास दस गाड़ी गन्ना है वह चार गाड़ी ही बेच पाता है। इसलिये रवई नदी पर पुल बनना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)---

आपने उनको पन्द्रह मिनट दे दिये। मुझे पांच मिनट समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

कटौती का प्रस्ताव रखने वालों के लिये टाइम अलग होता है। अध्यक्ष की व्यवस्था है कि कटमोशन पर और बोलने वालों को केवल दस मिनट दिये जायं। आपका कुछ समय खराब हुआ। मैंने तीन मिनट आपको ज्यादा दिये।

*श्री शिवचरन लाल---

अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं। कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वैसे भ्रष्टाचार के सभी विभाग हैं। इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ है इसलिये मुझे कुछ बातें कहनी है। मैं आपके माध्यम से जो भ्रष्टाचार की एक बात आयी हुई है इस प्रदेश में जौनपुर की बात है, पुल के एक चपरासी को गोली मार कर हत्या कर दी गयी, कितना बड़ा पुल बनाया गया था, जो पहली वर्षा में 18/19 जून को ध्वस्त हो चुका है। उसमें ढाई लाख की लागत लगी थी। असली कारनामे आखिर में पर्चे बांटने वाले ने कहे हैं। अन्त में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से हम युवकों की मांगे हैं कि बंगाल के मुख्य मंत्री की तरह निर्माण मंत्री के विरुद्ध एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच कमीशन बैठा कर इनके सारे भ्रष्टाचारों की न्यायिक जांच कराई जाय। यह मैं नहीं कह रहा हूं। ये परचा बाटने वाले युवक कांग्रेस, जौनपुर के हैं---नसीम हैदर, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद तौफीक, बांके लाल मौर्य, अशोक कुमार वर्मा, मोहम्मद जमील सिद्दीकी, कार्यकर्त्ता युवक कांग्रेस, जौनपुर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ सड़कें आप लिख लें। एक शाही सड़क जहांगीर के जमाने की है, चार सौ वर्ष पुरानी। 1962 से 1966 तक इसकी चर्चा कर चुका इसी सदन में। 1967 से 1970 तक लोक सभा में चर्चा कर चुका। लेकिन सरकार इतनी बहरी हो चुकी है कि सुनती ही नहीं है। नाई की सराय से जलेसर तक जो सड़क आगरा जिले में दस किलोमीटर की स्वीकार हुई है जो 26 किलोमीटर बननी थी, वह घपले में पड़ी हुई है। न के बराबर काम हो रहा है। मैंने सवाल किया था उसका जबाब दिया है कि जलेसर, अलीगढ़, एटा की सड़क 1975 तक पूरी हो जायेगी।

एक पत्र मैंने 1970 में लिखा था। उसका जवाब श्री वेदप्रकाश उप सचिव हैं उन्होंने दिया था कि "उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक 8–12–1970 के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित सड़क के सम्बन्ध में वांछित सूचना मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अभी अपेक्षित है। सूचना के प्राप्त हो जाने पर तथा उस पर विचार कर लेने के पश्चात् आपको स्थिति से अवगत कराया जायगा।" "यह समाई गांव से चावली तक केवल 5 मील का टुकड़ा है। जो 1971 का प्रस्ताव है कि 1,500 की आबादी पर सड़क बनेगी तो इसकी जन-संख्या 6,000 है। 1967–68 में श्री मंगलदेव विशारद, जब मंत्री थे तो वहां गये थे और उन्होंने इसका सर्वे कराने के आदेश भी दिये थे। यह सड़क मंजूर हो चुकी है इसको शीघ्र बनवाने की कृपा की जाय।

एक सड़क एतमादपुर तहसील के दरवाजे से बलदेव-दाऊजी तक बननी है। दाऊ जी बड़ा तीर्थ स्थान है और हजारों आदमी वहां जाते हैं। अगर एतमादपुर से दाऊजी जाना होता है तो पहले 20 किलोमीटर आगरा जाना होगा, फिर 30 किलोमीटर सादाबाद जाना होगा और वहां से 25 किलोमीटर चलकर दाऊजी पंहुचा जाता है। अगर यह सड़क बन जायेगी तो केवल 20 किलोमीटर ही रह जायेगा। इसलिये इस सड़क के बनने की विशेष जरूरत है। यह सड़क पूरी बनी बनाई है और खंदौली से मई तक गिट्टी भी पड़ चुकी है। अब केवल खंदौली-एतमादपुर तक बननी है। इसको जल्दी से बनाया जाये।

एक थोड़ा सा भ्रष्टाचार का नमूना पेश करता हूं। एक सड़क बरहन से अहारन तक बननी है। यह केवल 12 किलोमीटर चार वर्ष से बनाई जा रही है और अभी तक चार किलोमीटर भी नहीं बन पाई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 11 किलोमीटर पर ही कार्य रोक दिया गया है। यह ऋंश प्रोग्राम में मंजूर हुई थी। इस पर जनता 20 हजार का श्रमदान कर चुकी है। इसके निर्माण के लिये कोलतार तथा अन्य सामान खरीद कर डाल दिया गया है, जो आज गांव की गलियों में बहता हुआ नजर आता है। इस राज्य को हजारों रुपये की क्षति हो चुकी है। यह भी सुना जाता है कि इस सड़क के लिये मंजूर 80 हजार रुपया डूब चुका है। कंकड़ पड जाने से जो कुछ रास्ता श्रमदान से बना था वह भी खराब हो गया है। इससे यहां का विकास रुका पड़ा हुआ है, इसकी तुरन्त जांच कराई जाय। एक सड़क ऐसी है जो एतमादपुर से 13 किलोमीटर है। इसमें लाखों का गबन हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि बरहन से चार किलोमीटर भी सड़क नहीं बन पाई है। लेकिन कागज पर कम्पलीट बनी हुई दिखाई गई है। आपने कहा कि कच्ची सड़कें बनी हैं वह कब की बन चुकी हैं। आगरे जिले को बहुत ही वंचित रखा गया है। ब्लाक एतमादपुर बिलकुल

[श्री शिव चरन लाल]

ही उपेक्षित है और केवल राउ के सिकन्दरे से 4—5 मील की सड़क बन चुकी है। मुझे यह विश्वास नहीं होता है कि 10 किलोमीटर नाई-की—सराय से स्वीकृत हुई वह भी नहीं बन पा रही है। मान्यवर, इसकी जांच करा लें। आगरे के इंजीनियर को या और जो अधिकारी हों उनसे सही रिपोर्ट तो मंगवायें। मैं तो यही समझूंगा कि:—

आग लगे गांव में तो पेट्रोल से बुझाओ।
फिर आग बुझेगी कि सारे गांव को जलायेगी।
भूखे भेड़िये की भेड़ पंच बन जाये।
पंचायत करेगी कि भेड़ियों में बंट जायेगी।
हलवाई की दुकान पर कुतिया चौकीदार हो।
तो चौकीदारी करेगी कि जलेबी खा जायेगी।
आप ही बताओ आंधरों की नाव,
पार होगी कि बीच में ही डूब जायेगी।

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोरों का गवाह चोर हो तो सच्चा न्याय कैसे होगा? अध्यक्ष महोदय, खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती गरेबां फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। मगर वह समय आ रहा है कि—

शोहरत की बुलन्दी पल भर फातमाया है।
जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। यह सड़कों का अहम मसला है अतः मेरी अपील है कि एतमादपुर से दाऊ जी की सड़क को बनावें। दाऊ जी बड़ा भारी तीर्थ स्थान है यहां पर हजारों लोग जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सड़कों के लिये जोरदार मांग करता हूं।

एक सदस्य—

मुझे 6 जून से समय नहीं दिया गया है। मुझे भी समय दिया जाये।

एक सदस्य—

यह तो पक्षपात किया जा रहा है।

एक सदस्य—

यह तो अन्याय हो रहा है। पक्षपात हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष जी की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार चल रहा हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

पिछले जमाने में यह रूलिंग हो चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा समय विरोध पक्ष के लोगों को बोलने का मिलेगा।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में यह तो जरूर तय हो चुका है कि अधिक समय विरोधी पक्ष के लोगों को दिया जाय परन्तु यह नहीं तय हुआ है कि 3 उधर के और 2 इधर के बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं भी कार्य मंत्रणा समिति में हूं। अध्यक्ष की रूलिंग और कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार ही मैं समय दे रहा हूं। इसमें किसी पक्ष के साथ पक्षपात की बात नहीं है

श्री त्रिवेनी—

कार्य मंत्रणा समिति में अधिक समय उधर के पक्ष के लोगों को देने की बात तय हुई थी।

श्री अधिष्ठाता—

कार्य मंत्रणा समिति में मैं भी हूं। उसमें आखिर में यह कहा गया था कि अध्यक्ष जी अपने विवेक से भी समय अधिक दे सकते हैं। अध्यक्ष जी की यह व्यवस्था है कि 2 अगर

श्री त्रिवेनी—

यह कभी नहीं तय हुआ है कि 2 इधर के बोलें और 3 उधर के बोलें।

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष जी ने ऐसा नहीं तय किया है कि 2 इधर के बोलें और 3 उधर के बोलें बल्कि शासक दल की ओर से कम और विरोध पक्ष की तरफ से अधिक बोलेंगे।

*श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पी० डब्लू० डी० विभाग के सम्बन्ध में जो भी पैसा हमारी सरकार स्वीकार करती है सड़कों और पुलों के लिये उसका हमारे जो सम्बन्धित अधिकारी हैं वह इसका बहुत बड़े ढंग से इसका उपयोग करते हैं, अपने मनमाने ढंग से इसका उपयोग करते हैं। मान्यवर पी० डब्लू० डी० का अर्थ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि इसका अर्थ है—पी० के माने पालू, जो एक खेल खेला जाता है। डब्लू० के माने हैं वाइन और डी० के माने हैं डाइट। तो मान्यवर, इसका पैसा दुरुपयोग इस तरह से होता है—खेलने में, शराब में, और डाइट में। यह पैसा निर्माण के काम में नहीं लगता है। यह पैसा शराब में चला जाता है, मुर्गों में चला जाता है और वहां के इंजीनियरों तथा ओवरसियरों की जेब में चला जाता है। मैं आपसे मान्यवर, कहता हूं कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो खाता न हो। मैं आपको बता दूं कि एक ओवरसियर अगर उसको 4–6 महीने नौकरी करते हो गये हैं, तो उसके पास मोटर साइकिल हो जाती है। मान्यवर, एक कर्मचारी जो 500 रु० पाता है वह अपने परिवार का ठीक से गुजर नहीं कर पाता है आज कल की मंहगाई के समय में तो वह ओवरसियर जिसकी सर्विस केवल 4–6 महीने की ही हो अपने खर्चों के साथ-साथ मोटर साइकिल ले लेता है। तो इस तरह से साफ जाहिर है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

मान्यवर, पी० डब्लू० डी० की तरफ से जो रोड पर काम करते हैं उनके एरियर बाकी हैं और वह नहीं दिये जाते हैं। इनसे पूरे वेतन पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है, परन्तु उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। फावड़े, डलियों आदि के जो काम करने वाले होते हैं वे अपने पैसों से लाते हैं और वहां के ओवरसियर्स उसको सरकारी दाम से खरीदने में दिखा देते हैं और वह पैसा खा जाते हैं।

मान्यवर, रामनगर घाट चिरगांव में जो है उसका बनना बहुत जरूरी है। हर वर्ष यहां पर आदमी मरते हैं। अभी-अभी 5 जुलाई को एक घटना हो गयी, उसमें लोग बह कर मर गये, लेकिन कोई पुल वहां पर नहीं बनाया जा सकता है। श्रीमन् हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। ललितपुर अब एक जिला हो गया है। वहां पर पुरानी सड़कों के लिये 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है। लेकिन नयी सड़क की कोई स्वीकृति नहीं हुई है। अगर नई सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार स्वीकार कर लेती तो इस धनराशि में 4–5 सड़कें बन सकती थीं, लेकिन ऐसा क्यों होता क्योंकि पुरानी सड़कों की मरम्मत में विभाग के अधिकारियों को खूब लाभ होता है। झांसी में बाला जी एक तीर्थ स्थान है। वहां पर बहुत से लोग तीर्थ यात्रा के लिये जाते हैं। यदि वहां पर चिरगांव से बाला जी तक एक सड़क बना दी जाय तो 10–15 गांव इसके सम्पर्क में आ जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवत दयाल]

मोठ से शाहपुर–बांदा–बकेवा रोड पर डामर डालना मन्जूर था, लेकिन वह आज तक वहां पर नहीं पड़ा । सड़क में इस कदर गड्ढे हैं कि यदि कोई गर्भिणी स्त्री बस में यात्रा करे तो उसका गर्भ ही गिर जाय । बरसात में आप जाकर देखें तो पायेंगे कि वहां पर अगर कोई बीमार हो जाय तो उसे डोलियों में पास के शहरों में इलाज के लिये ले जाते हैं । उन दिनों में न वहां पर बैल गाड़ियां ही चल सकती हैं और न अन्य प्रकार के वाहन ही चल सकते हैं । हमारे यहां पर सर्वे कराने की जरूरत है । एक सड़क ललितपुर से झांसी और कानपुर से जालौन के लिये बनी हुयी है लेकिन उस पर कोई लिंक रोड नहीं है जो देहातों को जोड़ती हो । इसी प्रकार से समथर से करगेवा कानपुर मेन रोड पर लिंक रोड बनाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार से अगर मंडेर से झांसी बाया, कोचा भांवर व पालर रोड होती तो हमारे गांवों का ग्रामीण क्षेत्र का शहर से सम्बन्ध हो सकता है । अगर इन सड़कों का निर्माण हो जाता है तो हमारे देहात के भाइयों को काफी आराम मिल जाता । आज के युग में गांव वालों को न मिट्टी का तेल मिल पाता है, और न अन्य वस्तुयें मिल पाती है क्योंकि वहां पर बनिये लोग जो रहते हैं वे इस सब सामान को इकट्ठा कर लेते हैं और जब वहां के लोग 3 महीने कहीं नहीं जा पाते हैं तो बनिये लोग मनमाने दाम पर इन चीजों को बेचते हैं । कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के ठेके छूट जाते है, वे लोग अधिकारियों और मंत्रियों को बदनाम करने लगते हैं । जौनपुर के एक श्री राजेन्द्र यादव हैं । उनको जब ठेका नहीं मिला तो अब उन्होंने मंत्रियों के खिलाफ प्रचार करना आरम्भ कर दिया है । वे ब्लैकमेल करते हैं । गलती तो होती है, मैं यह मानता हूं । जब कोई अधिकारी गलती करता है तो वह सरकार की गलती मानी जाती है ।

इसी विभाग का एक कर्मचारी जो होता है उसकी साज-सज्जा के लिये लगगभग 15,000 रुपया लगाना होता है । आप जाकर उसके बंगले को देखिये कि किस प्रकार से उसका डेकोरेशन बढ़ जाता है जबकि उनका वेतन बहुत कम होता है ।

अब मैं एक सुझाव माननीय मंत्री को देना चाहता हूं कि ये जो आपके ठेके हैं ये हमारी जो मजदूरों की यूनियन हो उनको दिये जांय । इससे जो मुनाफा होगा वह गरीबों की जेबों में जायेगा न कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जेबों में । दूसरे यह भी देखा गया है कि इसमें से कुछ रुपया हमारे ओवरसियर, इंजीनियर अभियन्ता आदि खा जाते हैं ।

एक सड़क सम्थर से लडइया की बहुत जरूरत है । इसे बनवाया जाय । दूसरे शाहजहांपुर से बकुंआ लिंक रोड की बहुत आवश्यकता है इसे बनवाया जाय । दूसरे झांसी से बड़वा सागर रोड की लिंक रोड बन जाय तो इससे लोगों का बड़ा फायदा होगा फैजाबाद से सुल्तानपुर तथा शाहगंज से सुल्तानपुर मार्गों के तिराहे पर बड़ा ट्रैफिक कन्जेशन रहता है । अतः इस तिराहे से सुल्तानपुर नगर के लिये बाई पास बनाया जाय । जौनपुर जनपद में जफराबाद, देवकली, केराकत मार्ग के गठिया नाले पर पुल होना आत्यावश्यक है ।

श्रीमन्, आप देखें कि हमारे गांधी जी ने यह पहले वाक्य कहा था कि हम देहातों की तरफ निगाहें करें । लेकिन निर्माण की तरफ देहात में बिल्कुल ध्यान नहीं है । यानी सौ में 2 प्रतिशत भी ध्यान नहीं दिया जाता जबकि सारी जनता 80 परसेंट वहां निवास करती है । आज हालत यह है कि सड़कों के लिये डामर खरीदना होता है तो नहीं खरीदते हैं । ज्यादातर रुपया रोड़ी और मिट्टी में लगा देते हैं । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि इन सारी चीजों पर गौर करें । मैं यह नहीं कहता कि सारा रुपया हमीरपुर, बांदा, झांसी, बुंदेलखंड में ही खर्च कर दिया जाय । वही पिछड़े इलाके म नहीं हैं, बल्कि जो भी सब से पिछड़ा क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये ।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर बोलने का अवसर दिया । कटौती प्रस्ताव पर अभी जब मैंने उस तरफ के माननीय सदस्यों को सुना तो मुझे लगा कि अधिकतर वही तर्क दिये गये जो हमेशा सामने आते हैं और कोई भी विकल्प तथा सुझाव ऐसा सामने नहीं आया कि जो कमियां बतायी गयीं उनको किस प्रकार दूर किया जाय ।

मैं खड़ा हुआ हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिये । जैसा कि बताया गया 1972-73 और 1973-74 में जितना काम उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया उस पर इस पक्ष के बैठे हुए लोग गर्व कर सकते हैं । लेकिन यह खेद की बात है कि एक पर्दे को काला मानकर माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग की चरित्र हत्या का प्रयास किया गया । यह कोई व्यक्तिगत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां तक वर्तमान माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रश्न है। यह सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने में जितनी तेजी उन्होंने दिखलाई उतनी शायद पहले कभी नहीं दिखलाई थी । जब वे उत्तर प्रदेश सरकार के इतने पहले मुख्यमंत्री थे और वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था तो पुलिस मेन्ल का निर्माण करके उन्होंने एक चमत्कार किया जिससे कोआपरेटिव विभाग भ्रष्टाचार के चंगुल से ही नहीं बचा बल्कि हजारों भ्रष्टाचार करने वाले लोग जल की धारों के नीचे चले गये । तो आज ऐसे व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत अच्छे आरोप लगाना और खासतौर से तब जब यह कहा जाता है कि शीशे के मकान में बैठने वाले लोग दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, कहां तक उचित है ? लेकिन ऐसा यहां हुआ ।

मैं सिर्फ निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगें प्रस्तुत की गयी हैं वह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े को आवश्यकता को देखते हुये बड़ी कम है । 13 करोड़ रुपया इस प्रदेश के लिये, सड़कों के लिये, बहुत कम हैं और उसको बढ़ाना चाहिये । यह कहा गया कि साधनों की कमी है और प्लानिंग कमीशन ने जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये का आयोजन किया था । पांचवी पंचवर्षीय योजना में 127 करोड़ रुपया सड़कों के लिये रखा गया है वह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के लिये कम है, जब कि खास तौर से बाम्बे प्लान की बात कही गयी । उसमें यह कहा गया था कि 1981 तक उत्तर प्रदेश में 46,960 किलोमीटर सड़क होनी चाहिये । तो यदि 127 करोड़ की योजना का प्राविधान करके हम पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलें तो 1981 तक इस आशा की पूर्ति नहीं हो सकती है ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक एक्ट के द्वारा डेवलपमेंट लेवी है और उसका 40 प्रतिशत तो रिजर्व रहता है क्षेत्र समिति और जिला परिषद् वगैरह के लिये और शेष 60 प्रतिशत उस डेवलपमेंट लेवी का रुपया पावर, पेयजल, मेडिकल, सिंचाई और सड़क इत्यादि के लिये होता है । हम और आप सब जानते हैं कि जहां तक कि पेय जल, पावर और सिंचाई तथा मेडिकल का सवाल है, प्लानिंग कमीशन भी इनको प्राथमिकता देता है । प्लानिंग कमीशन भी काफी मात्रा में इनके लिये साधन मुहैया करता है । इसलिये मेरा सुझाव है और मांग है कि डेवलपमेंट लेवी में लगभग यहां 16 करोड़ रुपया है । जिसमें से 40 प्रतिशत चला जायेगा और बाकी 10 करोड़ रह जाता है उसको दे दिया जाय सार्वजनिक निर्माण विभाग को ताकि जो महत्वपूर्ण सड़कें है और जो आवश्यक सड़कें है उनके कार्य को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया जा सके । मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जो डेवलपमेंट लेवी का 10 करोड़ रुपया है उसको सार्वजनिक निर्माण

[श्री बिमल प्रसाद तिवारी]

विभाग को दे दिया जाय ताकि उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनका निर्माण किया जा सके ।

जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी के ऊपर 41 किलोमीटर सड़कें है जबकि पंजाब में 91 किलोमीटर, तामिलनाडु में 119 किलोमीटर और केरल में 100 किलोमीटर सडकें हैं एक लाख की आबादी पर । ऐसी दशा में हम लोगों का सारा ध्यान सड़कों पर लग जाना चाहिये क्योंकि आज के जमाने में वही मुल्क आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर पाते है जहां सड़कों का जाल बिछा होता है । इसलिये जरूरी है कि अधिक से अधिक साधन जुटाये जांय और प्लानिंग कमीशन से भी मांग की जाय । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारी इन भावनाओं को प्लानिंग कमीशन को पंहुचा दें कि 127 करोड़ की जो धनराशि निर्धारित की गई है पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये वह उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम है और यह भी कहा जाय कि उत्तर प्रदेश सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है ।

इसी तरह से मान्यवर, नेशनल हाईवेज का मामला ले लीजिये । उत्तर प्रदेश में प्रति एक लाख की आबादी पर 2.80 किलोमीटर सड़कें है जब कि आसाम में 0.14 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल में 5.50 किलोमीटर और हरियाणा में 1.34 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग है प्रति एक लाख की आबादी पर । हमें प्लानिंग कमीशन से यह मांग करनी चाहिये और माननीय मंत्री जी हमारी इन भावनाओं को वहां तक पंहुचा दें । इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं और वह यह है कि कैश प्रोग्राम में सड़कों का निर्माण किया जाता है वास्तविकता यह है कि उनके माध्यम से बनवाया जाता है जिनके पास कोई साइन्टिफिक नालेज और टेक्नीकल नो-हाऊ नहीं है । यह साइन्टिफिक नालेज और टेक्नीकल नो-हाऊ तो पी० डब्लू० डी० के पास है । इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि जहां तक सड़कें बनाने का सवाल है इसकी एक सेन्ट्रालाइज्ड ऐजेन्सी होनी चाहिये और वह ऐजेन्सी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो सकती है जो सारी की सारी सड़कें बनाने का काम करे चाहे वह कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत हों, चाहे जिला परिषद् की सड़कें हों या नगर पालिका । की, क्योंकि हम देखते हैं कि सड़कों के निर्माण के लिये राज्य सरकार ग्रांट देती है और उनके द्वारा व्यय होता है, लेकिन उनके पास साइन्टिफिक नालिज और टेक्निकल नो-हाऊ की कमी होने के कारण थोड़े ही दिनों में सड़कें बेकार हो जाती हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जहां तक सारी सड़कों को बनाने की बात है उसकी सेन्ट्रलाइज्ड ऐजेन्सी पी० डब्लू० डी० को होना चाहिये और मेरा सुझाव है कि इस पर बिचार किया जाय ।

इसी प्रकार से एक सुझाव और देना चाहता हूं कि एक रूरल इंजीनियरिंग सर्विस भी चल रही है । मैं नहीं समझ पाता कि इस डिपार्टमेन्ट के अलग से होने की क्या आवश्यकता है इसका भी कार्य पी० डब्लू० डी० अच्छी तरह से कर सकता है और जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्यवस्था है कि एक चीफ इंजीनियर के अन्तर्गत कई अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता होते हैं उसी प्रकार से रूरल इंजीनियरिंग सर्विस के लिये एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हो सकता था जिससे इसके साधनों की बचत होती और साथ ही साथ एक्सपर्ट नालिज के आधार पर नियोजन हो सकता था ।

मैं अधिक बात न कहकर इतना ही कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि फर्रूखाबाद राम गंगा पुल व बरेली-इटावा मार्ग का निर्माण 244.60 लाख रुपये की लागत से होना है और वह कार्य 1974-75 के अन्त तक पूरा हो जायेगा, लेकिन मुझे ऐसी आशा नहीं है कि वह इस वर्ष के अन्त तक हो जायेगा। इसलिये आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उस सड़क और पुल के निर्माण के कार्य में गति लाने का प्रयास करें । ताकि वह मार्च के अन्त तक पूरा हो सके ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे क्षेत्र का एक हिस्सा राजेपुर ब्लाक है जो गंगा और रामगंगा के बीच में बसा हुआ है और दसियों साल से बाढ़ का शिकार होता है। राजेपुर डाक बंगले से उजरामऊ तक एक सड़क स्वीकृत है। इस क्षेत्र मे 12 गांव ऐसे हैं जिनका मैं नाम नही लूंगा, लेकिन वह सारे गांव बाढ़ का शिकार होंगे इस सड़क के बनने से और उनको कोई बचा नही सकेगा। मेरा सुझाव है कि इस सड़क के बजाय राजेपुर से डबरी तक की सड़क बना दी जाय। इससे ये 12 गांव बाढ़ की चपेट से बचेंगे और साथ ही साथ यह सड़क बन्धा का भी काम करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 1972–73 और 1973–74 मैंने उनके विभाग ने जितना काम किया वह इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि शायद पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित करे।

श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले मैं आभार प्रदर्शित करूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबन्धित निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अभी यहां काफी चर्चा हुयी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सारी चर्चाओं में चाहे इधर से या उधर से अभी तक इस विभाग का जो रीढ़ है, जो हांथ-पैर हैं —सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिक —उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक इन श्रमिकजनों के बारे में, उनकी दयनीय दशा के बारे में और ऐसी स्थिति बनाने के बारे में कि वे दरअसल इस विभाग के सही हांथ-पैर बन सकें और एक शानदार तरीके से, एक नुमांया तरीके से इस विभाग की सेवा कर सकें विचार नहीं किया जाता जबतक सारी चर्चा अर्थहीन रहेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मुख इन श्रमिकजनों की दयनीय दशा का थोड़ा सा चित्रण करना चाहता हूं।

काफी संघर्ष के बाद इन श्रमिकों ने शासन से इस तरह की घोषणायें करायीं कि जो साधारण श्रमिक हैं अगर वे तीन वर्ष तक लगातार काम करते हैं तो उन्हें रेगुलर मान लिया जायगा और जो रेगुलर हो गये हैं अगर वे तीन साल तक मुतवातिर काम करते रहें तो उन्हें परमानेन्ट बना दिया जायगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना समय बीतने के बाद भी और माननीय मंत्री जी के मुखारबिंद से यहां ऐलान करने के बाद भी आज तक ये आश्वासन नहीं पूरे किये गये। न तो आम मजदूर को रेगुलर किया गया और जो रेगुलर कर दिये गये उनको परमानेन्ट भी नहीं किया गया। जो श्रमिक रेगुलर हुए उनका काफी एरियर बकाया है और उस एरियर को देने के सिलसिले में जो एलान किये गये थे उनको न तो पूरा किया गया और न आज किसी तरह की उस दिशा में कोई प्रोग्रेस की जा रही है। ऐसी स्थिति को सुधारना आज एकदम जरूरी हो गया है, मंहगाई ने जैसी हालत पैदा कर दी है उसको देखते हुये आज जब कि मंहगाई आसमान को छू रही है, ऐसे समय में सार्वजनिक निर्माण विभाग का श्रमिक किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज अन्य कर्मचारियों को 8 घंटा से अधिक काम करने पर ओवरटाइम भत्ता, वर्दी, आकस्मिक छुट्टियां तथा अन्य छुट्टियां और त्यौहारों की छुटिटयां सभी तरह की सुविधायें प्राप्त हैं, पर इन श्रमिकों के लिये कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इनका समाधान अत्यन्त आवश्यक है। मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

[श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी]

जो यह बजट पेश किया गया है इसके अन्दर मजदूर वर्ग की दशा सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं, कुछ बातें मैं भी और कहना चाहता हूं। पी० डब्लू० डी० में जिस प्रकार से डामर के ड्रमों की चोरी होती है उसे हम सब माननीय सदस्य जानते हैं। अगर इस बीमारी को ठीक न किया गया तो भविष्य मुझे इस विभाग का अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा इसके लिए सुझाव है कि इन डामर के ड्रमों की सप्लाई की जो व्यवस्था है इसको बदला जाय और इनकी सप्लाई की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही हो। साथ ही सभी सड़कों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाये।

शिकोहाबाद के अन्दर 12 वैगन कोयला चोरी चला गया। स्थानीय जनता ने भी उसके लिए शिकायत की, सरकार ने क्या कार्यवाही की आज तक उसका पता नहीं चला।

इटावा जिले में एस० एस० गंगवार नाम के एक अभियन्ता है जो 8 साल से वहीं अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। कई बार उनका ट्रांसफर भी हुआ, मगर फिर वह कैन्सिल हो गया। 3 बार उनका ट्रांसफर हुआ और रोका गया।

मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं, मैनपुरी जिले के बारे में अर्ज कर रहा हूं। कुछ सड़कों के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तय किया कि बनायी जायेंगी। पर बाद में यह पता चला कि वे केवल नक्शे पर बनी थीं उसके बाद वह नदारद हो गयीं। यह वह सड़कें थीं जो ग्रामीण जीवन के लिए जन-जीवन के लिए परमावश्यक थीं। जैसे नबीगंज से कुसमरा, भोंगाव से कुसमरा, कुसमरा से विथुनगढ़ मैनपुरी से एक सड़क बीला जिसको कि मनऊ तक बढ़ाने का सवाल था। इसी तरह से एक सड़क ऐसी है जो त्रिछुवा से हनुखेड़ा तक बनने के लिये स्वीकृत हो गयी थी। ईट, गिट्टी भी पड़ गयी थी पर वह बन्द हो गयी। पानी बरसने वाला है। सारी की सारी सड़क बह जायगी, मिट्टी वह जायेगी। बेबर मोटा सड़क अधूरी पड़ी है। अब तक लाखों और करोड़ों रुपया जो लगा है वह सब बर्बाद हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी--

मान्यवर, अतः जो बुनियादी नीतियां और तरीके हैं उनको बदल कर सही तौर पर अमल किया जाय तभी कुछ हो सकता है।

(कई सदस्यों के खड़े हो जाने पर।)

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया--

मान्यवर, मुझको भी बोलने का समय मिलना चाहिए। मुझे मौका नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी पार्टी के बोलने वालों से बात कर लें, मेरे पास जो नाम आये हैं मैं उनको ही बोलने के लिए कहूंगा। 2-2 मिनट बोल लें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया--

मान्यवर, 2-2 मिनट ही क्यों 7-7 मिनट दे दें। अभी आपने सदन में पैम्फलेट पढ़ने की इजाजत दी है तो हमको भी दे दीजिए। समय मिलना चाहिए, मान्यवर।

श्री राम रती देवी (जिला फैजाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं को जरूर मौका मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

सदन की कुछ परिपाटी है। जो नाम आते हैं उन नामों के अनुसार बोलना होता है। आप लोग रुक जायं।

## 1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान-संख्या 193 24–सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 60–सड़कें तथा पुल, अनुदान संख्या 61–कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67–सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68–कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 84–सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदानसंख्या 96 ऋण और अग्रिम सार्वजनिक निर्माण

श्री अनिरुद्ध राय (जिला देवरिया)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहस में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आज सदन में पहली मर्तबा बोल रहा हूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि वे मेरी बात को निर्बाध पूर्वक सुनने की कोशिश करें।

मान्यवर, जहां तक इस विभाग द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं वह मांग को देखते हुए कम हैं। कहीं भी जनता का भला नहीं होगा जबतक कि आवागमन के साधन नहीं होंगे। देश से गरीबी हटाने का संकल्प मान्यवर तब तक पूरा नहीं होगा जबतक सड़कें नहीं बनेंगी। किसी भी देश की तरक्की वहां के आवागमन के साधनों पर निर्भर करती है।

आजादी के पहले 1947 के पहले इस प्रदेश में मान्यवर केवल 14,926 कि०मी० पक्की सड़कें बनी थीं। मार्च, 1969 में वह बढ़ करके 29,213 कि०मी० हो गयीं। वर्ष 1973-74 में कुल 775 कि०मी० सड़कों का निर्माण कराया गया है। टेस्ट वर्क के अन्तर्गत इस प्रदेश में 390। कि०मी० सड़कों का निर्माण कराया गया है।

मान्यवर पुलों का निर्माण भी महत्वपूर्ण मार्गों पर किया गया है। जहां तक और जो बाकी पुल हैं उनके निर्माण का प्रश्न है उसके लिए सेतु निगम की स्थापना की गयी है, जिसके द्वारा जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी पुलों का निर्माण होगा।

इस विषय में अपने जिले में भागलपुर पुल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज से 3 वर्ष पहले इस पुल के निर्माण के आदेश हुए। वहां मटीरियल भी ले जाया गया। पर पता नहीं किन कारणों से आदेश हुए और सारा सामान हटा लिया गया।

मान्यवर, यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि वह सामान गलत ढंग से दूसरे व्यक्ति के साथ में पड़ गया और उसका गलत प्रयोग हुआ। उसके बाद कई माननीय सदस्यों के अनुरोध पर पुल बनने का कार्य रोक दिया गया तथा जो मेटेरियल बचा था उसे भी हटा दिया गया। इस प्रकार पुल के निर्माण की व्यवस्था न हो सकी। मान्यवर वहां पक्का पुल होना चाहिये। परन्तु जो पीपे के पुल का निर्माण होने जा रहा है मैं उसके लिए अपने माननीय मन्त्री जी को अपने जिले की तरफ से बधाई देता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक तरफ पुलों और सड़कों का जाल मैं देखता हूं और दूसरी तरफ हमारी देवरिया जिला काफी पिछड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र में से मैं चुनकर आया हूं वह है गौरी। उसको जब मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि उसे क्यों इतना उपेक्षित रखा गया है। वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की 3––4 सड़कें हैं। लेकिन आज काश्तकारों की गाड़ियों के टायर, बसों व ट्रकों के टायरों को, सड़कों के पिच न होने से, नुकसान हो रहा है। गौरी बाजार हाटा देवरिया, देवरिया भटनी––हातिमपुर तथा तीसरी सड़क देवरिया अभारी झांगा हाटा बड़े महत्व की सड़कें हैं। इन सड़कों पर आजतक इस विभाग का ध्यान नहीं गया है। मैं गौरी बाजार––रुद्रपुर बरहज की सड़क की तरफ भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देवरिया––रुद्रपुर की सड़क अत्यन्त सोचनीय दशा में है।

[श्री अनिरुद्ध राय]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इन सड़कों पर विशेष ध्यान दें और उनको बनवाने में अपना योगदान प्रदान करें।

इस अवसर पर मैं अपने क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण पुलों की तरफ भी मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मान्यवर, गौरी बाजार में शानदार और ग्राम उधोपुर के बीच में नक्ता नाले पर तथा काल बन और ब्रह्मपुर के बीच मझने नाले पर का पुल निर्माण अति-आवश्यक है। इससे क्रमशः आवागमन में 9--10 मील की दूरी मान्यवर कम हो जायगी। इस विभाग ने एक "हाफ-ए-मिलिएनजाब्स" योजना चलाई थी। उसके अन्दर 426 और 505 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्य बेरोजगार वालों के लिए बहुत महत्व का था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की जो मंशा थी उसको अधिकारियों के कारण पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षण जो प्राप्त कर चुके हैं उनको सेवा करने का अवसर न देकर बाहरी लोगों को सेवा का अवसर दिया जा रहा है। इस ओर माननीय मन्त्री जी अपना ध्यान दें। मान्यवर, आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

* * *

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सम्मानित सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

* * *

श्री एदल सिंह--

श्रीमन्, किसी भी देश की प्रगति के लिए सड़क, कृषि और उद्योग होना आवश्यक है। लेकिन मान्यवर, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसके विषय में नमूना और साबूत आपके सामने रखूंगा। मान्यवर, मेरे जिले बुलन्दशहर में रोडवेज की बिल्डिंग चन्द दिन पहले ही बनी थी और वह पी०डब्लू०डी० के द्वारा ही बनी। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि वह बिल्डिंग फट गई। इसी तरह से मान्यवर, जितनी भी सड़कें बनती हैं पी०डब्लू०डी० के द्वारा उनमें प्रथम श्रेणी की ईन्ट के बजाय थर्ड क्लास की ईन्टें लगती हैं। यह मेरी देखी हुई बात है। खुर्जा और शिकारपुर की सड़क पर ऐसा हुआ है। इसी तरह से बहुत सी बातें हैं। मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि हमारे जिले ने ही देश और प्रदेश को गौरवपूर्ण स्थान दिया है पिछल साल, गेहूं की सबसे अधिक पैदावार कर के और जब नसबन्दी चल रही थी तो पिछले साल इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। बावजूद इसके इस अभागे जिले में सड़कों का बहुत अभाव है।

मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुना गया हूं वह क्षेत्र पिछले 27 सालों से बैकवर्ड पड़ा हुआ है और वही क्षेत्र नहीं अन्य क्षेत्र भी बैकवर्ड हैं और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जबकि वह हरियाणा बार्डर से मिला हुआ है। खादर के जो लोग हैं जिल और तहसील में आने के लिए उनके पास कोई उचित साधन नहीं है। मान्यवर, एक सड़क जो खुर्जा--देवर को जाती है, मैं उसके बारे में मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि

---

[***]श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

पिछले 27 सालों में जब से देश आजाद हुआ है उस सड़क के निर्माण को कोई योजना बनी ही नहीं। उसमें 3––4 फुट के गड्ढे है। पचासों प्राइवेट बस चलती है उनको बहुत नुकसान होता है और साथ ही जनता का भी नुकसान होता है। इसी तरह से इस क्षेत्र में खुपुरा जो तहसील खुर्जा में पड़ता है, मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ओखला के पास में जो गांव हैं वह बहुत परेशान हैं और खुर्जा से होते हुए बुलन्दशहर जब घूमकर आते हैं तो उन्हें 60 मील पड़ता है। इस प्रकार की जो परेशानी हमारे क्षेत्र में पैदा हो गई है उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, इस विभाग में बहुत गलत नीति अपनाई जा रही है। अपने ही महकमे के आदमियों को सताया जा रहा है। छतर मंजिल की तरफ फोर्थ क्लास कर्मचारियों के जो क्वार्टस बने हुये हैं, उनमें बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है जब कि उन लोगों से 15 प्रतिशत कटौती की जा रही है। इस प्रकार की शिकायतें माननीय मन्त्री जी के पास आये दिन आती होंगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वह भी इसको सुलझाने में असमर्थ हैं। मैं यह बात तो चैलेंज के साथ कहता हूं। आप चाहें तो इंक्वायरी करवा लें और अगर गलत हो तो जो दंड सदन मुझे देगा मैं उसका भागीदार होने को तैयार हूं। अभी इसी संदर्भ में एक स्कीम चली थी। हरियाणा से यू० पी० में 17–18 खादर गांव आये हुए हैं उनको सड़क से जो जोड़ने वाली बात थी और यह भी स्कीम थी कि उन गांवों को मिट्टी डालकर ऊंचा उठाया जाय। यह स्कीम कुछ जगह चलने के बाद ठप्प हो गयी। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यातायात का साधन ठीक रखना है तो पुनः उस स्कीम को चालू कर दिया जाय।

मान्यवर,आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि ठेकेदार, इंजीनियर से मिल कर बहुत गड़बड़ करते हैं मेरे देखे मामले हैं मेरे गांव का ठेकेदार है वह बताया करता है कि एक बोरी सीमेंट में 25–30 बोरी रेत मिलाया जाता है। जब मान्यवर, ऐसे मैटीरियल से कोई बिल्डिग बनती है तो वह चन्द दिनों में ढह जाती है और फिर अगला बजट आने पर जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार के नाम पर उनके लिये मंत्री जी को प्राविधान करना पड़ता है। मेरा निवेदन कि सरकार इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करे और सारा काम पी० डब्लू० डी० विभाग अपने हाथ में ले। मान्यवर, ठेकेदारों को रखने में भी अधिकारी लोग पक्षपात करते हैं। माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस विभाग में नीचे से ऊपर तक कमीशन चलता है। 5 परसेंट आफिस वाले कमीशन लेते हैं और 10 से 15 परसेंट अधिकारी लोगों का कमीशन होता है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, पांच मिनट का समय और चाहता हूं।

मान्यवर, यह जो बजट है इसमें थोड़ा सा पक्षपात दिखलाई पड़ता है। लगभग 15 करोड़ 85 लाख का बजट है। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा पक्षपात किया है। लेकिन जो इलाके ज्यादा पिछड़े हैं वहां के लिये भी सोचना चाहिये। आप 5 करोड़ रुपया पर्वतीय क्षेत्र के 3 जिलों को दे रहे हैं। और बाकी 47 जिले हैं। यह प्राविधान बहुत कम है मैं जबकि यातायात का होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे पिछले दिनों रेलवे की स्ट्राइक हुई थी, यदि रोडवेज की भी स्ट्राइक हो जाती तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती। इसलिये मेरा सुझाव है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो। पुरानी सड़कों का नम्बर पहले आना चाहिये। इस विभाग

[श्री एदल सिंह]

में भ्रष्टाचार व्याप्त है वह समाप्त किया जाना चाहिये। जो प्राइवेट बस प्राइवेट रूट्स पर चलती हैं और उनसे जो आमदनी होती है यदि उसे सड़कों पर लगा दें तो यातायात के साधन अच्छे हो जायेंगे। एक निवेदन यह है कि बजट में इस तरह से अंकित किया जाना चाहिये कि जिससे सदन के सम्मानित सदस्यों को मालूम हो सके और उस पर विचार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका अधिष्ठाता महोदय, आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)---

मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय शाक्य ने करप्शन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाल दिया है।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)---

मान्यवर, पहले यह व्यवस्था रही है कि इधर से एक माननीय सदस्य बोलते थे और फिर उधर से दूसरे माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करते थे।

श्री अधिष्ठाता---

नम्बर उसी तरह से है और रहेगा। उसमें व्यवस्था है। विरोधी दल को ज्यादा अवसर बजट के समय दिया जाना चाहिये।

श्री गौरी शंकर---

तो क्या पहले के अधिष्ठाता महोदय, जो होते थे, वे व्यवस्था का उल्लंघन करते थे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

आपने कोई अनुपात रखा है? किसी रेशियो से बुलवा रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता---

मैंने सभी चीजों पर रोशनी डाल दी है।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे---

मान्यवर, समय कम है इसलिये मैं उन बातों को नहीं दुहराना चाहता, जिसको अन्य मा० सदस्यों ने कहा है। कुछ कन्सट्रक्टिव सुझाव दूंगा। सब से पहला सुझाव यह है कि पी० डब्लू० डी० में जो काम होता है,उसके अतिरिक्त दूसरे विभागों का काम भी आ जाता है। इससे वह अपने विभाग के काम को कर नहीं पाते। 47/48 प्रतिशत काम फिर से करना पड़ता है। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी चीजें न ली जायं कि जिसे वह न कर पायें। दूसरा सुझाव यह है कि मस्टर रोल हटा दिये जायें। इससे अननेसेसरी करप्शन पैदा होता है। मान्यवर, कमीशन की बात नीचे से ऊपर तक चलती है। अगर 27 सालों में इसको हटा नहीं सके, तो इसको लीगलाइज कर देना चाहिये। उसको शामिल कर देना चाहिये ताकि करप्शन दूर हो जाय। लेकिन मुख्य मंत्री से लेकर हर जगह कमीशन है और उसको हटा नहीं पा रहे हैं। सूखा योजना के अन्तर्गत जो 10 करोड़ रुपया आया, वेस्ट हो गया, काम नहीं हो सका। एक सुझाव यह है कि कन्ट्रैक्ट व्यवस्था समाप्त जल्द से जल्द हो।...

श्री त्रिवेणी---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठें। बीच में व्यवस्था नहीं होती।

श्री त्रिवेणी ---

मान्यवर, व्यवस्था तो बीच में ही मांगी जाती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया––

जब मैं खड़ा हुआ था तो पार्टी का नाम दिया और अब कह रहे हैं कि बीच में व्यवस्था नहीं होती ।

श्री त्रिवेणी––

मेरा ख्याल है कि, आप किसी के द्वारा मिसगाइड हुये हैं ।

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय इस समय नहीं हैं । लेकिन कार्य-मंत्रणा में तय हुआ था कि 7 इधर के बोलेंगे और 8 उधर के बोलेंगे । उस नियम का उल्लंघन करना. . .

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

अधिष्ठाता के लिये मिसगाइड शब्द का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है।

श्री त्रिवेणी ––

मान्यवर, आप कृपया डिसीजन दें ।

श्री अधिष्ठाता––

इस बात को मैं ध्यान में रखूंगा कि सबको समान अवसर मिले ।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे––

मैं अभी कह रहा था कि ठेकेदारी की प्रथा समाप्त होनी चाहिये । एक मार्ग है धनसाली तिलवारा मोटर मार्ग । इस मार्ग के 46 वें किलोमीटर का एस्टिमेट था 6,500 रु० और कांट्रेक्ट हुआ 49,550 रुपये का । इसी तरह 49वें किलोमीटर का एस्टिमेट था 9,850 रु० और कांट्रेक्ट हुआ 31,500 रुपये में । 54 वें किलोमीटर का एस्टिमेट था 24,700 रु० और कांट्रक्ट हुआ 35,500 रुपये में । 56 वें किलोमीटर का एस्टिमेट था 10 हजार रु० और वह बढ़ कर हो गया 1 लाख रुपया 63 वें किलोमीटर का एस्टिमेट था 14 हजार रुपया और कांट्रेक्ट हो गया 31 हजार रुपये में । 64 वें किलोमीटर का एस्टिमेट था 8,500 रु० का लेकिन कांट्रेक्ट हुआ 49,690 रु० में । 43 वें किलोमीटर का एस्टिमेंट था 6600 रु० का लेकिन कांट्रेक्ट हुआ 15 हजार रुपये में । यह फीगर्स साबित करते हैं कि कितनी गड़बड़ी ठेकेदारी प्रथा में है । यह 73–74 के फीगर्स हैं । अगर विभाग इस काम को करे तो सस्ता व अच्छा करेगा । पहले जो सड़कें विभाग द्वारा बनाई गयीं वे काफी दिन चलीं और कम खर्चे में भी बनीं ।

मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी की बात करता हूं । जिला बरेली की एक तहसील आंवला है । उसकी हालत बड़ी गंभीर तथा नाजुक है । एक सड़क वहां पर बयोचरा से बलिया जा रही है । सारी लम्बाई 4 किलोमीटर है । एक किलोमीटर पर एक ऐसा रास्ता है जो 100 साल पुराना है जिससे बलिया पहुंच जाते हैं और उसकी चौड़ाई 40 से 60 मीटर तक है । लेकिन वहां पर इस रास्ते को छोड़कर दूसरा नया रास्ता लिया जा रहा है और उस पर नई सड़क बनाई जा रही है । यह नया रास्ता किसानों के खेतों में से होकर जाता है

[श्री रामेश्वर नाथ चौबे]

जिसके कारण बड़ा भारी आन्दोलन तथा भूख हड़ताल होने जा रही है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज को नोट कर लें और जिला बरेली के इंजीनियर को बुलाकर पूछें कि दयोचरा से बलिया जाने वाली जो पुरानी सड़क है उसे न लेकर नया रास्ता क्यों लिया जा रहा है जबकि पुराने रास्ते से भी बलिया पहुंचा जा सकता था । फिर क्या कारण है कि 50,60 किसानों की जमीन सड़क में जबरदस्ती ली जाय ? मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं उनकी बात यहां सदन में रखूंगा और मंत्री जी उनकी बात पर अवश्य विचार करेंगे । मैं कारण नहीं बतलाना चाहता जिनके कारण वह रास्ता बदला गया क्योंकि किसी का नाम लेना यहां उचित नहीं होगा । फिर भी वह रास्ता आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, उसी मोड़ पर रुका हुआ है जहां से सीधा रास्ता बलिया को जाता है और जो 100 वर्ष पुराना रास्ता है।

दूसरी सड़क दयोचरा से मजगवां जाती है। 63–64 में यह सड़क पास हुई थी । उस पर अभी तक कुछ हिस्से में ईंट ही बिछ पाई है । 11 साल हो गये, बड़ी तब्दीलियां हो गयीं, लेकिन यह छोटी सी सड़क आज तक नहीं बन पाई है ।

(इस समय 3 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मजगवां से सिरौली एक सड़क है उसमें केवल मिट्टी ही डाली गई है । कोई प्रगति अभी तक उस सड़क पर नहीं हुई है । सन् 64 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस सड़क को पी० डब्लू०डी० को दे दिया था, किन्तु अभी तक कुछ भी उस सड़क पर नहीं हो पाया है । अतः मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस ओर भी आप ध्यान दें । हमें इस बात का दुख है कि उसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसी तरह से क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कलेक्टरगंज से एक सड़क जोगीडेर जाती है जिसमें कि बे हिसाब रुपया खर्च किया गया है किन्तु उस सड़क की मेन्टीनेन्स न होने से वह सारी सड़क खराब हो गई है । एक सड़क बरेली से नैनीताल को जाती है । वह बड़ी इम्पार्टेन्ट रोड है और निरन्तर चलने वाली रोड है । आगे चलकर उसमें एक पेट्रोल पंप है और वहां पर एक रेलवे कालोनी है । वह सारा का सारा एक मील का टुकड़ा ऐसा है जिसमें हर महीने लगभग 15 एक्सीडेन्ट्स होते हैं । वहां पर रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । कुछ नहीं तो कम से कम स्पीड ब्रेकर्स ही लगा दिये जायं । हमने कई दफे इस ओर मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया है, लेकिन कोई कार्यवाही अब तक वहां पर नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि जहां पर इतनी कैजुअल्टीज होती हैं वहां पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो अधिष्ठाता जी अभी उस सम्मानित कुर्सी पर बैठे हुए थे उनके खिलाफ गबन के, जालसाजी के और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुये हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें. . . . (व्यवधान) अगर आप नहीं बैठते हैं तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेंद्र प्रसाद दौनेरिया—

आप मेरी पूरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? आपको नियम मालूम नहीं हैं । आप पहले बाबा फफीम खां का नाम सीख लें. . .

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया—

मेरी पूरी बात सुनें...

श्री अध्यक्ष—

नहीं सुनेंगे हम आपकी बात । इस तरह से किसी अधिष्ठाता के लिये कहना सदन का अवमान है । यहां पर जो अधिष्ठाता या अध्यक्ष बैठे थे उन्होंने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया, अव्यवस्था क्या की ? मैं कहूंगा कि इस तरह का व्यवहार अशोभनीय ही नहीं कुरुचिपूर्ण और आक्षेपयुक्त है...

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता । (लाल बत्ती होने पर)

श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

मान्यवर, मेरा सारा समय इन सब ने ले लिया । कृपया मुझे 1 मिनट का समय और दे दें । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बमियाना रेलवे स्टेशन जो कि आंवले के पास ही है वहां पर तीन मील लम्बाई पर 50/60 गांव हैं जो कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत नहीं आ पाये हैं और आगे भी नहीं आ सकता है । यदि मियाना से बशारतगंज रोड मिला दिया जाय तो इन 50/60 गांवों की जनता को काफी राहत होगी । इसके बाद वहां एक तहसील फरीदपुर है, वहां पर ढकनी पुल है वह नहीं बना है, उसके दोनों तरफ रास्ता बना हुआ है । यदि यह पुल बनाने पर विचार किया जाये तो निश्चित रूप से सारा रास्ता कनेक्ट हो जायेगा । इसी तरह से अल्मोड़ा में पूर्णागिरि नामक एक पवित्र देवस्थान है, उस पर ऊपर जाने के बाद हर साल 25–30 दुर्घटनायें रास्ता दुर्गम होने से हो जाती हैं । उस पर पी0 डब्लू0 विभाग थोड़ा सा ध्यान दे और 70–80 हजार रुपया खर्च करके उसे सुगम बना दे, तो वे सारी कैजुवल्टीज से बच सकते हैं । इसके अलावा वहां पर नीचे से ऊपर तक कोई भी पुलिस का आदमी उपस्थित नहीं रहता है, जो कि बड़ी शोचनीय स्थिति है । ऐसा मालूम देता है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान एवं ऐसे महत्व की सड़क से किसी सरकार का कोई सरोकार नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसकी धनराशि जो मंत्री जी ने रखी है, वह बहुत कम है । क्योंकि यह विभाग ऐसा है, जिसका मनुष्य जीवन के दैनिक कार्यकलापों से विशेष संबंध रहता है, जो हमारे देश और प्रदेश के हिस्सों से दैनिक सम्पर्क बढ़ाता है और वही हिस्सा तरक्की करता है, जहां पर यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं । चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका हो । यह मनुष्य की जीवन की रेखाओं की तरह एक दूसरे से संबंध बनाता है । अभी एक सदस्य ने कहा कि साढ़े 5 करोड़ का बजट पहाड़ों के लिये दे दिया गया है ।

[श्रीमती सरस्वती टम्टा]

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि वह पैसा तो हमारे भारत सरकार का है । अभी वक्तव्य में मंत्री जी ने पहाड़ों के लिये कहा था कि अलग से बजट रखा गया है, जो पर्वतीय विकास परिषद् द्वारा आयेगा और उसका कार्यान्वयन इसी विभाग द्वारा होगा । मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आती हूं, मैं अपने विपक्ष के साथी, जिन्होंने 5 करोड़ का जिक्र किया था, से कहना चाहूंगी आज जब इंसान इस विज्ञान के युग में चन्द्रमा पर पहुंच रहा है, वहां पर आज भी इंसान घास पकड़कर मार्ग तय करता है, जो सदियों पूर्व बकरियों द्वारा मार्ग बना था उसी रास्ते पर आज भी वहां के लोग चलते हैं । मैं माननीय सदस्य को आमंत्रित करती हूं, वह वहां आकर वहां की कठिनाइयों को जरा देखें । इस सदन में बार-बार फल पट्टियों पर जोर दिया गया है और वहां पर हमारे कीमती स्थानों को काट-कर बाग लगाये गये हैं जहां पर काफी फल, सब्जी आदि पैदा होते हैं, लेकिन यातायात के अभाव में वहां पर वे सड़कर ढेर हो जाते हैं मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, वहां बहुत ही सुन्दर, संसार प्रसिद्ध पिंडारी ग्लैशियर है, जहां पर यातायात के साधन नगण्य हैं उस ग्लैशियर की सुन्दरता को देखने के लिए देश और विदेश के हजारों पर्यटक जाना चाहते हैं लेकिन आने जाने की सुविधा न होने के कारण नहीं पहुंच पाते हैं । कई वर्ष पूर्व वहां लोहार-खेत तक एक कच्ची सड़क का निर्माण हुआ था, जो अब ध्वस्त प्राय है । मैं उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, वे इस ओर ध्यान दें, क्योंकि वह संसार का सबसे नजदीकी ग्लैशियर है और लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है । वह उस मार्ग को कपकोट से लोहार खेत, खाती तक और निर्माण करा दिया जाय ताकि वहां पर सैलानियों को जाने में सुविधा हो । वहां पर ऐसे-ऐसे कई रमणीक और धार्मिक स्थल हैं जो अपना धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व रखते हैं जिनकी वजह से उनका महत्व है और जहां पर लोग ज्ञान और शांति की खोज में जाना चाहते हैं, किन्तु यातायात के साधनों की परेशानी और कमी के कारण जा नहीं पाते हैं ।

जहां एक तरफ पहाड़ों में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और जमुनोत्री ऐसे पवित्र, धार्मिक और रमणीक स्थान हैं, वहीं वहां पर पिंडारी ग्लैशियर, फ्लावर वैली, कौशानी, बिन्सार, चौपाटिया, टूनागिरि ग्वालदम आदि अति सुन्दर स्थान हैं । मेरा निवेदन है कि इन स्थानों को सड़कों और पुलों से जोड़ कर मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए और उनको भी योजना का अंग बनाया जाए । भारत सरकार का योजना आयोग और साथ ही हमारे प्रदेश की सरकार भी पर्वतीय अंचलों का विकास करना चाहती है । जिसके लिये प्रयास भी किया जा रहा है । योजना आयोग का सुझाव है कि पर्वतीय अंचल में छोटे प्रकार और मंझले प्रकार के उद्योग चाहे वहां की वन सम्पदा पर आधारित हों या खेतिहर पैदावार पर आधा-रित हों, लगाये जायं । लेकिन आपके द्वारा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां पर याता-यात के साधन प्रचुर मात्रा में सुलभ कराये जायं ताकि उद्योग धंधे हमारे पनप सकें, जिससे पर्वतीय क्षेत्र की बेरोजगारी, बेकारी दूर हो सके ।

मान्यवर, 1972–73 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड का निर्माण हुआ जो अधूरी पड़ी है । उस रोड को बालीघाट चौरादोफाड़ से धर्मघर तक बनाने का लक्ष्य था । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उस रोड को शीघ्र बना दिया जाय क्योंकि उस रोड के अभाव में वहां के लोगों को काफी परेशानी है, वह सारा फौजी एरिया है, लोगों को अपने घर पहुंचने में तीन-चार दिन लग जाते हैं । विशेषतया सरयू नदी पर पुल की आवश्यकता है । उससे मार्ग निर्माण में भी सुविधा होगी । और लोगों के आवागमन में भी सुविधा होगी ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गोमती नदी है । गोमती के उद्गम स्थान से बैजनाथ तक कोई पैदल पुल नहीं है जो 30–32 मील का एरिया पड़ता है । मेरा सुझाव है कि वहां पर पिंग्लौर और नौगड़ी स्टेट के बीच में पैदल पुल बना दिया जाय जिससे बरसात में आवागमन लोगों को सुविधा मिले । दूसरे एक पैदल पुल की हरसिल के पास सरयू नदी

में आवश्यकता है क्योंकि कन्नड़ घाटी में रहने वाले 22 ग्राम सभाओं को उससे सुविधा मिल सकती है । पुल के अभाव में चूंकि बीच में नदी है बच्चों को स्कूलों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। कई बच्चे बरसात के दिनों में बह जाते हैं । उनकी जीवन रक्षा के लिए शीघ्र पुलों का निर्माण कराया जाय । श्रीमान्, 1972–73 में जो प्रदेश प्रगति, चाहे पुलों के विषय में हो, चाहे मार्ग निर्माण के विषय में हो चाहे भवन निर्माण के विषय में हो, हुई है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी व उनके विभाग को धन्यवाद देती हूं । हमारे पहाड़ों में बरसात के दिन में जितना बजट का पैसा आता है, आज कल पलड आता है, मार्ग टूट जाते हैं, उनका मलवा साफ करने में ही काफी पैसा खर्च हो जाता है । पहाड़ों में इसके लिये धनराशि बढ़ायी जाय । बिना यातायात के हम पिछड़े रह जायेंगे । हमारा विकास नहीं हो पायेगा जब तक यातायात की पूरी सुविधायें न मिलें ।

पहाड़ों में जो इंजीनियर्स वगैरह भेजे जांय, अनुभवी और मेहनती भेजे जांय जो लगन से काम करें । पर्वतीय क्षेत्र का विकास करें ।

1962 में सीमान्त जिलों, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी को जो सुविधायें मिली थीं, कुछ यातायात की सुविधा उपलब्ध हो गयी है, लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि वही सुविधायें अल्मोड़ा, टेहरी, पौड़ी और गढ़वाल जिलों को मिलनी चाहिये क्योंकि उनका कोई न कोई हिस्सा सीमान्त को छूता है । मेरा क्षेत्र है वह तिब्बत बार्डर से लगा हुआ है । वैसे ही टेहरी, पूरे हिमाचल बार्डर से लगा है, पौड़ी भी बार्डर से लगा हुआ है । इसलिये इन जिलों को भी सीमांत की सुविधायें प्रदान की जांय और उतनी ही सुविधायें हों जो सीमान्त जिलों को मिल रही हैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये मेरा निवेदन है कि जो धनराशि रखी गयी है उसको बढ़ाया जाय ।

श्री रामस्वरूप भारतीय (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष इस विधान सभा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के सुझाव दिये जाते हैं । और भ्रष्टाचार के बारे में भी जिक्र किया जाता है लेकिन देखा यह गया है कि आज तक इस विभाग में न तो कोई परिवर्तन ही हुआ और न कोई सुधार ही हुआ । इस विभाग में नये प्रकार के भ्रष्टाचार ने जन्म ले लिया है । इधर 3/4 वर्ष से जो त्वरित योजना की सड़कें है या दूसरी सड़कें हैं, वे चन्द आदमियों के फायदे के लिये, चन्द बड़े आदमियों के घरों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये, उन सड़कों का निर्माण होने लगा है । यह नया भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है । इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा प्रतापगढ़ जिला है । इस जिले में कुछ मुकाम ऐसे हैं कि एक ही मील के अन्तर्गत 2/2 सड़कों का निर्माण हुआ है और वह केवल खास व्यक्तियों के घरों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये किया गया है। कच्ची सड़कों की ओर इस विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है । इससे जनता का लाभ होता। इसलिये इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसे का दुरुपयोग किया है । इस विभाग के बारे में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं फिर भी इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके पुराने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है बल्कि नये भ्रष्टाचार ने जन्म ले लिया है ।

कहा जाता है कि विरोधी दल की ओर से कोई माकूल सुझाव नहीं दिया जाता है। जो सही चीज होती है उसके सम्बन्ध में हमारी ओर से जरूर सुझाव दिये जाते हैं। उस पर अमल

[श्री राम स्वरूप भारतीय]

करना या न करना सरकार का काम है । यह उसके मन की बात है। लेकिन विरोधी दल के लोग सही सुझाव देते हैं और बराबर देते रहेंगे । त्वरित योजना के अन्तर्गत इस विभाग ने जो सड़कें बनाई हैं उनकी कतई आवश्यकता नहीं थी । प्रतापगढ़ से कुण्डा जाने वाली सड़क पर यदि मंत्री जी चलें, अपनी गाड़ी न ले जायं बल्कि परिवहन की गाड़ी से चलें । वहां डाक बंगला भी है । वहां आप रहेंगे । 35 मील का एक रास्ता 3/4 घंटे में पहुंचेंगे तो बुखार जरूर आयेगा । वहां सरकारी अस्पताल भी है, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा । तब आपको ज्ञान होगा कि इस सड़क की ज्यादा आवश्यकता थी या कुछ खास व्यक्तियों के घरों को जो पक्की सड़क से मिलाये गये हैं उनकी ज्यादा आवश्यकता थी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के विरोध के बावजूद भी छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीनें ले ली गयीं और उनको बरबाद कर दिया गया । जहां से सड़क जाना बिलकुल आवश्यक नहीं था वहीं बनायी गयी । लिखकर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उनकी जमीनों से सड़क निकाल दी गयी और वह सड़क पक्की सड़क से कहीं नदी तक, कहीं ऊसर तक बनाकर छोड़ दी गयी । यह भी नहीं हुआ कि किसी बड़े गांव तक बनायी जाये । मुगल पीरियड की एक बड़ी आवश्यक सड़क रामबरेला-सलोन से हमारे प्रतापगढ़ में बिहार को मिलाती है । लखनऊ से वाराणसी जाने वाली सड़क और जेठवारा से लाल गोपालगंज की सड़कों को मिलाती है । पुराने जमाने में इसी सड़क से जब नवाबों का जमाना था तो इस सड़क से होकर फौज जाया करती थी । इस पर कम से कम 5-7 बड़े दो बाजार हैं और 3-4 इन्टरमीडियेट कालेज हैं । अगर यह सड़क बन जाये तो इस क्षेत्र के रहने वाले गरीब किसानों को आवागमन का अच्छा साधन मिल जायेगा । और वह जो अपना खेतों में सामान पैदा करते हैं, जैसे आलू पैदा करते हैं लेकिन बड़े-बड़े व्यापारी सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और वहां के काश्तकारों को लाभ नहीं हो पाता है ।

अध्यक्ष महोदय, त्वरित योजना के अन्तर्गत जिला परिषद के माध्यम से जो सड़कें बनवायी गयी हैं उन सड़कों पर कंकड़ की कुटाई गर्मियों में होती है । हमारे यहां गर्मियों में कुटाई कराई गयी है । कंकड़ बिछाकर मिट्टी बिछाई गयी है और पैसे का पेमेन्ट करा लिया गया है । उसकी हालत यह है कि साइकिल से चला नहीं जा सकता है । मिटौरा से शकरदहा तक सड़क बनी हुई है उस पर कमासिन नामक स्थान पर बकुलाही नदी पर एक पुल बना है । इस पुल पर अब तक ढाई लाख रुपये का पेमेन्ट हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुल 2 बार ढह गया । हवा चलने पर ढह गया । मामूली तूफान आया और यह पक्का पुल गिर गया । इस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं चाहे वह त्वरित योजना हो या कोई अन्य योजना हो इसको अवश्य देखें ।

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक योजना गरीबी को रोजगार देने के लिए चलायी गयी । लेकिन जिन गरीबों को काम करने का मौका दिया गया उनको वही पुराने रेट पर मजदूरी दी गयी जो ठेकेदारों के माध्यम से मिला करती थी । यहां से योजना थी कि उनको 3 रुपया के हिसाब से मजदूरी दी जाये, लेकिन नहीं दी गयी । विभाग के इंजीनियर्स ने फर्जी मस्टर रोल भर कर पैसा खा गये । इन शब्दों के साथ मैं जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं ।

(श्री गोरे लाल शाक्य के बुलाये जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, हमको समय नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

रोज समय नहीं मिल सकता है । अब समय नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, हमको पांच मिनट हो चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

अब है नहीं समय । रोज समय नहीं मिल सकता । अगर जनसंघ का एक बोले तो सोशलिस्ट पार्टी का भी एक बोले । यह नहीं हो सकता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

हर दल को मान्यवर, समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं हो सकता । प्रश्न यह है कि आप उनको भी तो मौका देंगे कि नहीं ।

श्री गौरी शंकर---

मान्यवर, हम लोगों को समय नहीं मिला । हमको भी समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया है, माननीय शाक्य जी जवाब है वह दें ।

श्री गौरेलाल शाक्य---

मान्यवर, मुझको दोनों पार्टियों के माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का मौका मिला ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह परम्परा बहुत अच्छी नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस तरह से समय नहीं दे सकता । आप कृपा करके आसन ग्रहण करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

आपको मौका देना चाहिये, यह अच्छी बात नहीं है । आप इस तरह से डिस्करेज करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर समय के अनुसार मौका दिया जायगा तो आपको कई हफ्ते के बाद मौका मिलेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं श्रीमन् आपने जो अब तक इस परम्परा का निर्वाह किया है उसके अनुसार कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

ऐसी कोई परम्परा नहीं डाली गई है कि आपको हमेशा समय दिया जायगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की यह बहुत पुरानी दादागिरी और जबरदस्ती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

श्रीमन्, आप जानते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के पास ऐटम-बाम्ब होते हैं, जो आपके शासन को धराशायी करने के लिये काफी होते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

तो होगा, आप पहले दिखाये होते, तो देखा जाता । अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ मुझे कार्यवाही करना पड़ेगा । आप नहीं बैठते हैं तो मैं आपको आज के लिये निकालूंगा और इस तरह का व्यवहार करना कहां तक शोभनीय है सदस्य के लिये ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, आपकी इस व्यवस्था के विरुद्ध मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

आप रोज सदन का त्याग किये रहिये ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी के एक सदस्य ने कहा वही पुरानी बातें और कोई विकल्प नहीं दिया । इसके बारे में मान्यवर, यह है कि एक चोर जो पिछले साल चोरी की, पिछले साल भी पकड़ा गया । इस साल चोरी की इस साल भी पकड़ा गया । तो इस साल भी पकड़ा ही जायगा, अगर पुरानी बातें आईं तो इस वर्ष वह चोरी करेगा तो इस वर्ष भी पकड़ा जायगा । मान्यवर, रेल यात्रा न बनाकर हवाई यातायात बनायें । लेकिन सड़कें तारकोल से न बनाकर रबड़ से बनायें, यह विकल्प है क्या ? ये विकल्प चाहते हैं जिस चीज से सड़कें बनायी जायगी, जो उनमें खराबियां पैदा होंगी, वे अवश्य कहीं जायेंगी । आज भी साइन्स मौजूद है, वह हमारे आदि काल में भी थी, बीच में भूल गये थे । तो जो सजेशन्स हमारी पुरानी कमेटियां 10-20 साल से देती आई हैं, उन्हीं को हम याद दिला देते हैं और जो नये मुद्दे पकड़ में आते हैं, उनको भी सरकार को बता देते हैं । अतः मेरी समझ में कोई खास बात उनकी नहीं आयी, जिसके बारे में मैं ठीक से उत्तर दे सकूं ।

हमारे मंत्री जी ने कहा कि जूनियर इन्जीनियर्स की हड़ताल हो गयी और राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लागू हो गया है । ये दोनों बातें भी आपकी वजह से हुईं । जब आपने जूनियर इंजीनियर्स की कोई सुनवायी नहीं की वे हड़ताल पर चले गये कैसा है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ? अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अपने कर्मचारियों को अच्छा ट्रीटमेंट दे तो कोई कारण नहीं है कि वे हड़ताल पर जांय । जब उनकी जायज मांगों को आप नहीं मानते हैं । तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं । लिहाजा जो भी सड़कें इन कारणों से कम बनीं, उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है । विकल्प तमाम हैं ।

अब मैं अपने मंत्री जी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं । मंत्री द्वारा ट्रांसफर कर दिये जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी विभाग वाले ट्रांसफर का लेटर उस समय देते हैं जब कि रिश्वत ले लेते हैं । एक आर्डर यहां से करवाया लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के लोगों ने जब रुपया ले लिया तब काम आगे बढ़ा । मेरी प्रार्थना है कि विभाग में ट्रांसफर, कन्फर्मेशन, और नियुक्ति आदि बिना रिश्वत के हो । और आप क्या विकल्प चाहते हैं ।

मुझे तो पता नहीं था लेकिन लोगों ने मुझे बताया और विभाग के लोगों ने ही बताया कि स्टाफ ज्यादा है और काम कम हैं । तो मैं चाहता हूं कि स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाय ताकि यह समस्या पैदा न हो कि स्टाफ ज्यादा हैं ।

माननीय मंत्री जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि एटा में एक भाटिया नाम का एक ठेकेदार है, मंत्री जी भी उसको जानते हैं । यह 2000 या 4000 रुपया जूनियर इंजीनियर्स से मंत्री जी के नाम पर ऐंठता है । वह एक साधारण सा आदमी था लेकिन अब लखपति के रूप में बैठा हुआ है । यह तो नयी बात है इसे वे देखने की कृपा करें ।

मंत्री महोदय ने कहा और स्पीच में भी पढ़ा है कि रोड रोलर्स की कमी के कारण सड़कें बनने में देरी होती है। रोलरों से काम को शिफ्टों में लेने के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्राप्त किया जाय ।

दूसरे इस विभाग को सबसे ज्यादा दूषित करने वाले 2 और काम हैं । एक तो है मेजरमेंट से पेमेंट करना और दूसरा है टैन्डर्स सिस्टम । इनके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । 80 प्रतिशत, जो मैजरमेंट्स होते हैं वे गलत होते है । मिसाल के लिये जैसे कोई इमारत बन रही है । अगर उसके मैजरमेंट में आधा इंच भी बढ़ा दिया तो उससे ही करोड़ों रुपये का गबन हो जाता है । यहां 2–3 करोड़ की इमारत बन रही है तो उसका मैजरमेंट एक आध इंच बढ़ा दिया जो कि मौजूद नहीं है, कागज पर बढ़ा दिया और पेमेंट ले लिया गया । तो यह जो पेमेन्ट सिस्टम है वह बिलकुल बन्द किया जाय । 2–3 बार मेजरमेंट-नाप ले लें उसके बाद जो वास्तविक हो उसके अनुसार पेमेंट होना चाहिये ।

इसके साथ टेंडर सिस्टम डिफेक्टिव है । हर एक सिस्टम की बुराइयां और अच्छाइयां होती हैं । हमको कहना नहीं चाहिये, लेकिन मैं कहता हूं कि जैसी आज पी० डब्लू० डी० की हालत है, हमको इस डेमोक्रेसी में विश्वास है । अगर हमारे जैसे नवयुवक के सामने यही बुराइयां पी० डब्लू०डी० की बनी रहीं और चौथाई हिस्सा जो पी० डब्लू० डी० का खर्च होता है, जेबों में जाता रहा तो मेरा जैसा व्यक्ति डेमोक्रेसी में विश्वास खो बैठेगा और मैं सी०पी० आई० या सी०पी०एम० ही नहीं बनेगा बल्कि मैं नक्सलाइट का भी रूप धारण कर सकता हूं । इसलिये ये सब खामियां दूर होनी चाहिये । टेंडर में खराबी यह होती है कि जिस स्टैंडर्ड का सामान आना चाहिये वह मंत्री-महोदय से साठ-गांठ करके सब कुछ करवा लेंगे । तो जितने पैसे का टेंडर आवे उससे कम का दे देते है । उनको विश्वास है कि सब-स्टैंडर्ड का मैटीरियल लगायेंगे और मंत्री जी के इंजीनियर पास कर देंगे तो वह कोटा पूरा हो जायगा । ये दोष दूर होना चाहिये ।

आप देखते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है । नागपुर योजना के अनुसार गांव की दूरी, ऐसा कोई भी गांव नहीं होना चाहिये जो पक्की सड़क से 5 मील और कच्ची सड़क से 3 मील दूर हो । और बाम्बे योजना के अनुसार ऐसा कोई गांव नहीं होना चाहिये जो 4 मील पक्की सड़क से और डेढ़ मील कच्ची सड़क से दूर हो । लेकिन इन दोनों योजनाओं के अनुसार ऐसा हुआ है क्या ? मैं देखता हूं कि 10–10, 5–5 मील ज्यादा दूर गांव है कच्ची और पक्की सड़कों से । वह किसी भी सड़क से जुड़े नहीं हैं । तो ये जोड़े जाय । यह पहले भी, 10–20 साल पहले दिया गया था, आज आप भूल रहे हैं, उसको मैं याद दिला रहा हूं ।

इसके साथ, आप देखते है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था तभी तरक्की कर सकती है हर तरह से जब यातायात के साधन हों । क्योंकि किसान जो उत्पादन करते है अगर सड़कें नहीं है तो बरसात में बहुत सी फसलों के मूल्य ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वह अपनी कोई फसल मार्केट तक नहीं पंहुचा सकते, पानी भरा हुआ है । जबकि उसको ले जाने का राइट होना चाहिये, नैतिक अधिकार होना चाहिये, लेकिन सड़कों के अभाव में अपनी ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाजार तक नहीं ले जा पाता है और महीनों इन्तजार करना पड़ता है तबतक भाव कम हो जाते हैं और उनको नुकसान होता है ।

[श्री गोरे लाल श्रीवास्तव]

दूसरे, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति जो सुदूरपूर्व के देहातों में फैलानी है, वह कच्ची और पक्की सड़कों पर ही निर्भर करती है । नागपुर योजना में सुझाव भी दिया था कि देहातों में सड़कों के लिये एक ग्रामीण सड़क विकास समिति बनायी जाय । मैं चाहता हूं कि वह समिति बनायी जाय ताकि सुदूरपर्व देहातों के लिये उचित व्यवस्था हो सके । इसके साथ ही साथ तब तक कोई सड़क न बनायी जाय जब तक भूमि का अधिग्रहण पूरी तरह से न कर लिया जाय । मैंने कई जगह देखा भूमि का अधिग्रहण हुआ नहीं और सड़क बननी शुरू हो गयी । नतीजा यह हुआ कि बाद में भूमि अधिग्रहण न हो सकने के कारण सड़क का रास्ता बदलना पड़ा । तो मैं चाहता हूं कि ऐसा न किया जाय ।

ऐसा भी किसी जगह हुआ है कि आपने कार्य अरम्भ करा दिया कि दस लाख रुपये की लागत का यह कार्य है और दस लाख मोहय्या कराये नहीं । तो बाद में वह काम बन्द करना, पड़ा । इससे कितना वेस्टेज होता है । मैं चाहता हूं कि सड़क हो या पुल या मकान हो प्रारम्भ से ही आप पूरे धन की व्यवस्था करें ताकि अधूरा काम न छोड़ना पड़े और जनता का पैसा नष्ट न हो । ज्यादा न कह कर मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार हमारे सुझावों पर अमल करे और मैं यह आशा करता हूं कि यह सदन हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगा ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मान्यवर, वह तमाम माननीय सदस्य जिन्होंने इस वादविवाद में हिस्सा लिया उनको मैं धन्यवाद देता हूं और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर मैं विचार करूंगा । साथ ही जो शिकायतें की गयीं कहीं-कहीं खास-खास सड़कों या भवन की उसकी जानकारी कर के जरूरत हुई तो जांच भी कराऊंगा, उस पर उचित कार्यवाही करूंगा । दोनों तरफ से बहुत सी सड़कें मांगी गयीं है । उसको भी हम देखेंगे और जब भी सम्भव होगा उस पर विचार करेंगे ।

मैं सब से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों के बारे में कह देना चाहता हूं । एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनकी सूचना के लिये बता देना चाहता हूं कि 1-3-71 तक के 19,050 श्रमिक जिनके तीन वर्ष हो चुके थे वे रेगुलर हो चुके हैं । इनमें से रेगुलर होने के बाद 14 हजार को कन्फर्म भी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इसके अलावा करीब 14,500 ऐसे भी लोग हैं जो 31-3-73 तक तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं उनको भी रेगुलर करने की कार्यवाही विचाराधीन है । इसके बाद करीब 2-3 हजार रह जायेंगे उनको भी तीन वर्ष पूरे होते ही रेगुलर कर दिया जायेगा, उसके बाद वे कन्फर्म भी हो जायेंगे ।

ठेकेदारी प्रथा के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि उसको हम दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं । हमारा यह प्रयास है कि कम से कम काम ठेकेदारों के द्वारा कराया जाय । जो भी हमारे पुल बन रहे हैं उनका काम भी अब ठेकेदारों के द्वारा न कराकर सेतु निगम द्वारा बनवाये जा रहे हैं । मिट्टी के जो काम हैं वे अब विभाग द्वारा ही कराये जाते हैं । जो सड़कें बनाने का काम है उसके लिये भी हम चाहते हैं कि उनको विभाग द्वारा ही बनवाया जाय । जो लेबर कान्टैक्ट फेडरेशन है और उसकी जहां-जहां प्राइमरी सोसाइटियां हैं उनको काम देने का भी हमारा प्रयास चल रहा है । सुबह मैंने चूने से सड़क बनाने के ऊपर कुछ प्रकाश डाला था । मैंने अभियन्ताओं को आदेश दिया है कि यह काम भी विभाग द्वारा ही होगा । आप इस बात की जानकारी कर लें कि पहले कितना काम ठेकेदारों द्वारा होता था और आज कितना काम उनके द्वारा होता है । इससे आपको जानकारी होगी कि अब ठेकेदारी प्रथा को हम कितना कम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

ठेकेदारों का विरोध नहीं है, कमीशन का विरोध है। उसके लिये आप क्या कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

शासन की तरफ से बराबर यह प्रयास किया जा रहा है कि ठेकेदारों को भविष्य में जहां तक सम्भव हो काम न दिया जाय। इससे इतना तो होगा ही कि यह लोग जो अपना मुनाफा कमाते थे, कम से कम उसकी तो बचत अवश्य होगी। आज पैसे की भी कमी है। हमारी कोशिश यह है कि कम से कम पैसे में अधिक से अधिक काम किया जाय।

भवनों के लिये माननीय सदस्यों ने कहा कि विभाग भवन नहीं बनाता है और पैसा वापस कर देते हैं। जब से भवन निर्माण तथा सड़क निर्माण के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है, तब से ऐसी बात नहीं है। भवन निर्माण के लिये अब जितना भी पैसा दिया जाता है वह सारा का सारा काम पूरा किया जाता है, कोई पैसा वापस नहीं किया जाता। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रतापगढ़ में, पता नहीं कहां के बारे में वह कह रहे थे, कि एक जगह पर बहुत सी सड़कें कर दी गयी है। मैंने सुबह निवेदन किया था कि सूखाग्रस्त योजनाओं के अन्तर्गत काम देने के लिये टेस्ट वर्क वाले काम हुये थे। उसमें मुख्य काम तो गांव के जो बेकार लोग थे उनको काम देना था और अगर वहां पर जमीन है तो वहां पर सड़कें बनी होंगी। सड़कों के निर्माण से वहां की जनता को पैसा मिलेगा यही मुख्य चीज थी। जहां पर जमीन मिली थी उस वक्त वहां पर सड़कें बनायीं गयीं थीं। हो सकता है कि किसी जगह पर सड़कें ज्यादा हो गयीं हो तो किसी जगह का नाम अगर बताया जायेगा तो मैं उसे देख लूंगा।

माननीय सदस्यों ने कुछ और सड़कों का जिक्र किया। वह सड़कें तो नोट हुयी होंगी। उसको मैं देखूंगा और जो कुछ उसमें किया जा सकता है, करने की कोशिश की जायेगी।

दूसरे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे याद नहीं है कि आप थे या नहीं, या आपके बाद यहां पर एक पर्चा दिखाया गया। इस पर्चे को जिसने बनवाया उसे मैं जानता हूं और नाम भी मैं ले रहा हूं, राजेन्द्र सिंह यादव, क्योंकि नाम तो लिया जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जौनपुर का एक मामला हुआ, महीना या डेढ़ महीना हुआ। एक छोटा सा पुल बन रहा था। इंजीनियर और ओवरसियर के बारे में कहा गया कि जो इन्होंने चूना सप्लाई किया वह ठीक नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी को इसकी इक्जीक्यूटिव कमेटी का पता लगा तो उसने 5 आदमियों की एक कमेटी बना दी। जांच हुयी और पता चला कि चूने की जगह राखी सप्लाई हो रही है। मुझे मालूम हुआ मैंने भी जाकर देखा। मैंने चीफ इंजीनियर से कहा उन्होंने देखा और उस इंजीनियर और ओवरसियर का ट्रांसफर हो गया। ट्रान्सफर के बाद राजेन्द्र सिंह यादव हमारे दफ्तर में आये और ट्रान्सफर कैन्सिल करने को कहा।

(कुछ सदस्यों के बीच में खड़े होकर बोलने पर।)

आप लोग कुछ न बोलें। मैंने अभी तक आप लोगों के बीच में कुछ नहीं कहा है। आप भी सुन लीजिये।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

इसके बाद बता रहा हूं। उस समय मेरे कमरे में एक एम० एल० सी० बैठे थे और एक इन्फारमेशन अधिकारी बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि चार्ज लगा है और ट्रांसफर कैंसिल कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि यह हमारी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा कि यह ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो सकता है।

मैं कहता हूं श्रीमन्, जो यह पर्चा बांटा गया है उसके बारे में मेरी बातों को सुनकर राजेन्द्र सिंह तरह-तरह की अनाप-शनाप बातें बकने लगे और मेरे विरुद्ध पर्चा बांटने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि इसको बांटने से अखबारों में तो यह आ ही जायेगा। जांच हो या न हो यदि जांच होगी तो चाहे यह बातें साबित न हों पर वह बदनाम तो हो ही जायेंगे। इसके बाद वह चले गये। एक दो दिन बाद श्री आगा जैदी जो कि इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उनको लेकर आये और कहा कि इनको माफ कर दीजिये। फिर मैंने कहा कि मैंने किया ही क्या है। यह तो इस तरह से दलाली करते ही हैं। उनका काम है दफ्तरों में जाकर के धमकाना, बहकाना और डराना और बाद में उनसे पैसा वसूल करना। एक गोल बना हुआ है। जिन्होंने पर्चा बांटा है उनके नेता हैं राजेन्द्र सिंह यादव। मैं आपसे यह भी निवेदन करूं इसके बारे में जो जौनपुर के रहने वाले हैं, जो इधर के बैठने वाले हैं उनकी बात नहीं है। पर जो उधर के बैठने वाले हैं, विरोधी दल के हैं वह भी अच्छी तरह जानते हैं।

एक सदस्य--

किस पार्टी के हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वह और उनकी पार्टी दलालों की है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक --

आप भी कुछ दलाल मालूम पड़ते हैं।

(कई सदस्यों द्वारा बैठ जाइये-बैठ जाइये कहने से और एक साथ बोलने से शोर।)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आप लोग हुआ-हुआ सियारों की तरह से क्यों करने लगे?

(शोर)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, आपको व्यक्तिगत जानकारी है और बहुत से माननीय सदस्यों को भी है कि ऐसे दलालों को :-: को मैं अपने यहां से निकाल चुका हूं और वे निकल कर मुझे खूब गाली देते हैं। इसी तरह से इन दलालों ने भी गाली दिया है। ठेकेदार तथा इंजीनियर मेरे यहां नहीं आते हैं। इनको बहुत से माननीय सदस्य जानते भी हैं। वैसे मान्यवर जो शिकायतें होती हैं, दूसरे मामले होते हैं उनकी जांच कराई जाती है और कार्यवाही भी होती है। मैं निवेदन करूं कि 97 बड़े-बड़े और छोटे तमाम अभियंताओं को किसी न किसी प्रकार की सजा दी जा चुकी है। जब भी कोई मामला प्रकाश में आया उस पर जांच होती है और कोई भी हो जिस पर यदि जुर्म साबित हो गया तो वह किसी तरह से बच नहीं सकता है। राजेन्द्र सिंह ऐसे आदमी आकर कहते हैं कि उस पर सजा नहीं होनी चाहिये। जैसा कि इन्होंने कहा था कि पर्चे बांट दिये जायं, समाचार पत्रों में यह खबर तो आ ही जायेगी और मिनिस्टर बदनाम हो जायेंगे। मैं यह कहता हूं कि जो बातें उसमें पर्चे में विभाग की है उसकी जांच करायेंगे और जो बातें मेरे बारे में हैं तो मेरी सारी जिन्दगी में यदि मैंने कहीं कभी एक पैसा भी लिया हो और उसको कोई अगर साबित कर दे तो मैं कोई भी सजा जो मुझे दी जायेगी उसे मैं भुगतने को तैयार हूं।

मान्यवर, माननीय सदस्य पर्चा पढ़ने के पहले पता लगा लेते तब उन बातों का यहां पर जिक्र करते तो अच्छा होता। जो कुछ भी पर्चे में हमारे व्यक्तिगत बारे में है उसके संबंध में यह सदन या मुख्य मंत्री जो भी सुझाव दें और जिस तरह से चाहें जांच करवा लें और यदि मेरे खिलाफ कोई जुर्म लड़कपन से लेकर आज तक साबित हो जाय तो मैं जो सजा दी जायेगी उसे भुगतने के लिये तैयार हूं। लेकिन जो ये दलाल हैं वह सोचते हैं कि हम दब जायेंगे, हम उनकी धमकी में आ जायेंगे तो यह नहीं हो सकता है। कोआपरेटिव में तमाम खाने पीने वालों ने भी हमारे खिलाफ बिगुल बजा दिया और 7 लाख रुपया हमारे बदलने के लिये खर्च किया। तमाम भ्रष्ट लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं चौधरी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये प्रगतिशील कदम उन्हीं के समय से उठाये गये हैं। पुलिस सेल भी उसी परिस्थिति में आया था और उसी वक्त कायम हुआ और जब कार्यवाही शुरू हुई और लगातार 10-20 गिरफ्तारियां रोज होने लगीं तो मेरे खिलाफ ही बिगुल बज गया। जो चोर होते हैं वह दूसरों को चोर बनाते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि जैसी भी जांच करनी हो, जांच की जाय और कुछ भी मालूम हो मेरे खिलाफ तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं।

अन्त में मैं फिर से धन्यवाद देकर यह निवेदन करता हूं कि जो सुझाव यहां सदन में आये हैं उन पर विचार होगा, जितने भी शिकायतें आती हैं भ्रष्टाचार के सिलसिले में, उन सब की एक एक की जांच होगी। मैं फिर से इस सम्मानित सदन से कहना चाहूंगा कि चाहें वह मुख्य अभियन्ता हों या बड़े से बड़े अधिकारी हों, अगर उसके खिलाफ कुछ चीज साबित हो जायेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सजा मिलने से बचा नहीं सकती, उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये यह आशा और प्रार्थना करता हूं कि यह जो प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग का रखा गया है उसे पास करने की माननीय सदन कृपा करेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि वह यह बताने की कृपा करें कि जो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का एलान इस सदन में किया है उसके लिये उन्हें बधाई देते हुये यह पूछना चाहता हूं कि जब उनके जमाने में चूने और राखी की बात साबित हो गई तो राखी और चूना मिलाने वाले इन्जीनियर और ओवरसियर का उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर किया है और ट्रान्सफर कोई सजा नहीं होती है। दूसरे, जो टेस्ट वर्क में माननीय मंत्री जी ने बड़ी तारीफ कर दी कि काफी जमीन मिल गई है और उस पर काफी मिट्टी का काम हो गया है तो मैं यह चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री के विभाग में उन जमीनों और उस पर खड़ी फसलों को मुआवजा देने के लिये क्या कोई बन्दोबस्त है? तीसरी चीज यह है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि दलालों का एक गोल है जो इस तरह का काम करता है तो क्या उसमें आप ही के जिले के कोई विधायक शरीक हैं? क्या उनको इसकी जानकारी है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

इन्जीनियर और ओवरसियर का जो ट्रांसफर किया गया वह तो एक प्रकार से तुरन्त कार्यवाही है। उसके बाद मुख्य अभियन्ता से कहा गया है कि वह उसकी जांच कर और जिस

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव--]
तरह से अपनी रिपोर्ट देंगे और अगर कोई बात साबित हो जायगी तो उसको सजा जरूर देंगे। जहां तक टेस्ट वर्क में जमीनों के बदले मुआवजा देने का प्रश्न है, जहां पर जमीन थी और जहां पर लोगों ने कहा था कि वहां पर सड़क बनवा दी जाय और जहां पर लोग जो बेकार थे और काम करने के लिये तैयार हो गये थे, वहां पर सड़क बनी है। इसलिये न तो कोई मआवजा देने का प्राविधान ही है और न इस विषय में कोई प्रश्न उठता ही है मुआवजा देने का।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---
खड़ी फसल गेहूं की कटवा कर और मुआवजा देने के वायदे पर जमीन दी गई थी . . .

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---
जहां तक दलाली की बात है और जैसा मैंने कहा था कि पर्चे के पीछे है तो इनमें मैं उन माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जौनपुर में उन्होंने विरोध किया था, उनका भी हाथ है। लकिन जहां तक किसी विधायक का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते होंगे, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री सोहन लाल लाठ---
माननीय मंत्री जी, जिन लोगों ने जमीन दी है उनको मुआवजा जरूर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 24 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24---सार्वजनिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,62,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 60 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60---सड़कें तथा पुल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,53,46,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 61 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

24—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 60—सड़कें तथा पुल, अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम सार्वजनिक निर्माण

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,51,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 62 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,73,41,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 67 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,54,12,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 63 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68 कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,04,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या 84 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,72,59,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 96 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 96—ऋण और अग्रिम—सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुये 100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 13 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इनमें मुझे बिजनौर जिले के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता, श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल, की विष देकर हत्या, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत हुई है। तथ्य गम्भीर हैं। अतः इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, श्री ऋषि बल्लभ सुन्दरियाल उत्तर प्रदेश के बड़े राजनैतिक कार्य कर्ता थे। इस प्रकार थाने में ले जाकर बिष देकर उनकी हत्या हुई है। इसमें पूरी जांच होनी चाहिये और निर्णय सदन के सदस्यों के समक्ष आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह तो रहा हूं, उसको स्वीकार किया है। सूचना इस प्रकार है—"बिजनौर जिले के एक प्रमख राजनैतिक कार्यकर्ता श्री ऋषि बल्लम सुन्दरियाल की इसी सप्ताह विष देकर हत्या कर दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार इस संदेह की पुष्टि हो रही है कि विष एस० डी० एम० नजीबाबाद तथा एस० ए० कीरतपुर ने दिया था। श्री सन्दरियाल सरकार को जबरन गेहूं वसूली नीति का विरोध कर रहे थे। कई सभाओं का उन्होंने आयोजन किया था। इससे कुपित होकर एस० डी० एम० नजीबाबाद ने उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी थी।"

तो इसके महत्व को देखते हुये, वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। अब एक ही स्वीकार कर सकते हैं वह किया।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मेरा नहीं स्वीकार किया। यह तो लखनऊ की ही घटना है। बड़ी महत्वपूर्ण है। विधायकों के सामने ये गिरफ्तार किये गये हैं। उनके पास हथियार हैं और....

श्री अध्यक्ष—मने कह तो दिया, एक ही स्वीकार कर सकते हैं।

## दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने वाले 3 व्यक्तियों की रिहाई का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 10 जुलाई, 1974 को लगभग 1-40 बजे अपरान्ह, विधान सभा मण्डप में जिस समय कि श्री गोरे लाल शाक्य सदन में अपना भाषण दे रहे थे, शासन पक्ष की ओर की दर्शकदीर्घा (नम्बर 4) से 3 व्यक्तियों ने टाइप किये हुये 4,5 पर्चे सदन में नीचे फेंके। दीर्घा में नियुक्त विधान सभा रक्षकों ने उन व्यक्तियों को तुरन्त ही अपने वश में करके उन्हें वहां से हटा दिया। इस अवसर पर उन व्यक्तियों ने "डाक्टर अम्बेदकर जिन्दाबाद" के नारे लगाये। ये तीनों व्यक्ति इस समय हिरासत में हैं तथा विधान सभा मार्शल के नियन्त्रण में बैठाये हुये हैं। इन व्यक्तियों के पास से प्राप्त हुये दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र एवं पर्चे की प्रति संलग्न है। प्रवेश पत्र का ब्योरा इस प्रकार है:--

| प्रवेश-पत्र संख्या | व्यक्ति का नाम | जारी करने वाले व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|
| 1--33 75 | श्री छेदी लाल निराला | श्री सफीउर्रहमान अंसारी, सदस्य विधान सभा |
| 2--33776 | श्री लल्लन प्रसाद | श्री उदयनाथ, सदस्य विधान सभा |
| 3--33777 | श्री लक्ष्मण दास | श्री बैजनाथ यादव, सदस्य विधान सभा |

पूछने पर इन तीनों व्यक्तियों ने अपने नाम की पुष्टि की है।
तो अब इनके बारे में क्या राय है ? इन्हें छोड़ दिया जाय ?
(कई आवाजें--छोड़ दिया जाय।)

न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--
कुछ सजा अवश्य दी जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--
इस तरह से पर्चे का गिरना रोज होगा।

श्री अध्यक्ष--
फिर भी मैं समझता हूं कि आम राय है कि तीनों को छोड़ दिया जाय। पर्चे में केवल यह लिखा हुआ था "डाक्टर अम्बेदकर की मूर्ति स्टेट बैंक के सामने वाराणसी कचेहरी के पास गोल पार्क (चौराहे) पर लगाने की अनुमति दी जाय नहीं तो हम हरिजन अपनी कुरबानी देने को हमेशा तैयार हैं।" इस पर मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही न की जाय और उनको छोड़ दिया जाता है। भविष्य में ऐसी हरकतें जो करेंगे उनके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा।

प्रश्न यह है कि इन तीनों व्यक्तियों को छोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--
अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद 4 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
10 जुलाई, 1974।

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 129 पर]

### गोरखपुर के इन्टर कालेजों की सूची जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

| क्रमांक | संस्था का नाम | शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री बी० पी० बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर .. .. | 3 |
| 2 | आर्य कन्या इन्टर कालेज, गोरखपुर .. .. | 1 |
| 3 | डी० ए० वी० बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर .. .. | 1 |
| 4 | नेहरू स्मारक बालिका इन्टर कालेज, मुन्डेरा बाजार, चौरी चौरा, गोरखपुर .. .. .. .. | 1 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 132 पर)

## भोजपुर लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई की संभावना

| उन ग्रामों का नाम जिनमें सिंचाई प्रस्तावित है | रकबा (एकड़ में) | माइनरों का नाम | माइनर की लम्बाई (कि० मी० में) | कुल भूमि जिस में पानी मिलने की संभावना है (एकड़ में) | योजना की कुल लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 बलाई बुजुर्ग | 698 | 1—मेन केनाल सुनियापुर से बलाई खुर्द | 10 | 69 | लगभग 30 लाख रुपये |
| 2 बलाई खुर्द | 805 | 2—माइनर नं० 1 (दायां) खनियापुर | 1.2 | | |
| 3 सरगांव खुर्द | 738 | 3—माइनर नं 2 (बायां) भोजपुर | 1.2 | | |
| 4 बिरिया | 680 | 4—माइनर नं० 3 (बायां) भोजपुर | 1 | | |
| 5 डेरापुर | 458 | 5—माइनर नं० 4 (बायां) सनियापुर सलेमपुर | 2 | | |
| 6 रानीपुर | 167 | 6—माइनर नं० 5 (बायां) बुढ़वल | 3.2 | | |
| 7 सलेमपुर | 408 | 7—माइनर नं० 6 (बायां) बिरिया | 2.4 | | |
| 8 सनियापुर | 1098 | 8—माइनर नं० 7 (बायां) बलाई खुर्द | 1 | | |
| 9 बनतापुर | 23 | | | | |
| 10 भोजपुर | 765 | | | | |
| 11 बुढ़ावल | 152 | | | | |
| 12 पदमपुर | 63 | | | | |
| 13 महावल | 401 | | | | |
| 14 पलिया | 190 | | | | |
| 15 डवालपुर | 145 | | | | |
| 16 मिरजापुर खुर्द। | 135 | | | | |

संसद सदस्य सूचना

## नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 142 पर)

### उन्नाव जिले की ड्रेनों की सूची

| क्रम संख्या | ड्रेन का नाम | लम्बाई मील में |
|---|---|---|
| 1 | तारगांव ड्रेन | 4—0—0 |
| 2 | बिछिया | 1—4—0 |
| 3 | खालामैन ड्रेन | 2—0—0 |
| 4 | मौरावां | 2—0—0 |
| 5 | कुशी खेरा ड्रेन | 3—4—0 |
| 6 | डीह ड्रेन | 2—0—0 |
| 7 | पाही | 4—0—0 |
| 8 | न्योला | 2—4—0 |
| 9 | अकबरपुर | 2—4—0 |
| 10 | पुरौना | 3—0—0 |
| 11 | गरन्डा | 3—0—0 |
| 12 | तकिया | 1—4—0 |
| 13 | लोचा | 4—0—0 |
| 14 | न्योरना | 2—4—0 |
| 15 | दरसवां | 4—0—0 |
| 16 | छियाटोबर | 3—0—0 |
| 17 | बरदाह | 4—0—0 |
| 18 | अहेसा | 2—4—0 |
| 19 | नारीचक | 3—0—0 |
| 20 | दहिया | 3—4—0 |
| 21 | जाजपुर | 4—4—0 |
| 22 | सिंधापुर | 2—4—0 |
| 23 | उसैन | 3—0—0 |
| 24 | हरहा | 2—0—0 |
| 25 | सैदपुर | 4—0—0 |
| 26 | पैगम्बरपुर | 3—0—0 |
| 27 | हिलगी | 2—4—0 |
| 28 | पछिमगांव | 1—4—0 |
| 29 | ऐन | 2—0—0 |
| 30 | गुर खाट | 2—0—0 |
| 31 | खरझारा | 2—0—0 |
| 32 | चतुरखेरा | 3—0—0 |
| 33 | बानगांव | 3—6—0 |
| 34 | टोपरा ड्रेन | 2—2—0 |
| 35 | मुराठा | 3—4—0 |
| 36 | हिन्दुनागढ़ | 1—6—0 |
| 37 | जालिमगंज | 1—0—0 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्रम संख्या | ड्रेन का नाम | लम्बाई मील में |
|---|---|---|
| 38—सहोला | .. .. .. .. | 2—4—0 |
| 39—नौरतपुर | .. .. .. .. | 4—4—0 |
| 40—शदीपुर | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| 41—कोरारी नं०—2 | .. .. .. | 2—0—0 |
| 42—बेहटा | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 43—गौरिया | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 44—इटौली | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 45—मैनपुर | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 46—बिठार | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| 47—नाथीखेरा | .. .. .. .. | 3—0—0 |
| 48—मिर्जापुर | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 49—असीवन ड्रेन | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 50—शैलापुर ड्रेन | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 51—चन्दौली ड्रेन | .. .. .. .. | 5—0—0 |
| 52—इब्राहीमपुर | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 53—रतावर | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| 54—लालाखेरा | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| 55—गजाफरपुर | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 56—भवानी | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 57—जोगीकोट | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| 58—पलिया | .. .. .. .. | 2—1—0 |
| 59—पाठकपुर | .. .. .. | 1—0—0 |
| 60—देवस | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 62—रसहरा | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| 61—कटियार | .. .. .. .. | 2—4—0 |
| 63—शियामपुर | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 64—मुन्नी डेरा | .. .. .. .. | 1—0—0 |
| 65—शेरपुर | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 66—गुलजारपुर | .. .. .. .. | 1—4—0 |
| 67—ऐनी बुजुर्ग | .. .. .. .. | 2—0—0 |
| | महायोग .. | 160—2—0 |

## पुराने नालों की सूची जिनका पुनरोद्धार किया जाना है

| नालों का नाम |
|---|
| 1—जैल |
| —सिटी |
| —कूटन |
| 4—गदार |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 107 वि० सभा—(1491)—1975—835 ।